लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ३७, १९५९/१८८१ (शक)

[१४ से २२ दिसम्बर १९५९/२३ अग्रहायण से १ पौष १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

नवां सत्र, १९५९/१८८१ (शक)

(खण्ड ३७ में अंक २१ से २७ तक हैं)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची पृष्ठ

[द्वितीय माला, खण्ड ३७—अंक २१ से २७—१४ से २२ दिसम्बर, १९५९/२३ अग्रहायण से १ पौष १८८१ (शक)]

अंक २१—सोमवार, १४ दिसम्बर, १९५९/२३ अग्रहायण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२७ से ८३४, ८३६ से ८३९, ८७३ और ८४० २३२१—४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३५, ८४१ से ८७२ और ८७४ २३४२—५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १३४८ से १४०४ २३५७—८८

स्थगन प्रस्ताव—

हैदराबाद में विस्फोट २३८२—८८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २३८६—८८

राज्य-सभा से सन्देश २३८८

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २३८९

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

सत्रहवां प्रतिवेदन २३८९

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दो पुलिस सिपाहियों का अपहरण २३८९—९०

विनियोग (संख्या ८) विधेयक—पुरःस्थापित २३९०

भारतीय सांख्यिकीय संस्था विधेयक—

विचार करने के लिये प्रस्ताव २३९०—२४०५

खंड २ से १२ और १ २४०९—१८

पारित करने के लिये प्रस्ताव २४०५—१८

त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि-सुधार विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव २४१८—२२

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित २४२२

हसन-मंगलौर रेलवे लाइन के बारे में आधे घंटे की चर्चा २४२२

दैनिक संक्षेपिका २४२६

विषय	पृष्ठ
अंक २२—मंगलवार, १५ दिसम्बर, १९५९/२४ अग्रहायण, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७५ से ८८७, ८८९, ८९१ और ८९२	२४१३—५६
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ७	२४५६—६०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८८८, ८९० और ८९३ से ९१९	२४६०—७२
अतारांकित प्रश्न संख्या १४०५ से १४९१	२४७२—२५०७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२५०७—०९
अविलम्बनीय लोक-महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय	२५०९—११
निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	२५११
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) दूसरा संशोधन विधेयक— पुरस्थापित	२५११
विनियोग (संख्या ८) विधेयक—पारित	२५१२
त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि-सुधार विधेयक— संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव	२५१२—१८
नियम के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव	२५१८–१९
मनीपुर भू-राजस्व तथा भूमि-सुधार विधेयक— संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव	२५१९—३१
दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक— संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव	२५३५—५०
दैनिक संक्षेपिका	२५५१—५७
अंक २३—बुधवार, १६ दिसम्बर, १९५९/२५ अग्रहायण, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२० से ९३०, ९३२ और ९३३	२५५९—८०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९३१ और ९३४ से ९६७	२५८०—९०
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९२ से १५८३	२५९७—२६४०

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	२६४०–४१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२६४१–४२
सभा में व्यवस्था के बारे में	२६४२–४४
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा विधेयकों सम्बन्धी समिति—चौवनवां प्रतिवेदन	२६४४–४५
खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) विधेयक—पुरःस्थापित	२६४५
दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव	२६४५-४८
राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन के बारे में वक्तव्य	२६४८
खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव	२६४८
सभा का कार्य	२६९२–९३
दैनिक संक्षेपिका	२६९४
अंक २४—गुरुवार, १७ दिसम्बर, १९५९/२६ अग्रहायण, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९६८ से ९७९ और ९८२ से ९८४	२७०१–२३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८०, ९८१, ९८५ से १०१४	२७२३–३६
अतारांकित प्रश्न संख्या १५८४ से १६५२	२७३६–६८
डा० बी० पट्टाभि सीतारमय्या का निधन	२७६८
विशेषाधिकार का प्रश्न	२७६८–६३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२७६३–६५
राज्य सभा से सन्देश	२७६५–६६
अविलम्बनीय लोक-महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
युवक समारोह, मैसूर में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	२७६६–६७
समिति के लिए निर्वाचन—	
प्राक्कलन समिति	२७६७–६८

विषय	पृष्ठ
चीनी (विशेष उत्पादन शुल्क) अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प तथा चीनी (विशेष उत्पादन शुल्क) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	
खण्ड १ से ५	२७७६
पारित करने के लिये प्रस्ताव	२७७६
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	२७७७–७८
खण्ड १ और २	२७८०
पारित करने के लिये प्रस्ताव	२७८०–८१
सभा का कार्य	२७८१–८२
गन्ने तथा चीनी के मूल्य के बारे में प्रस्ताव	२७८२–२८०७
वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	२८०८–१८
दैनिक संक्षेपिका	२८१९–२६

अंक २५—शुक्रवार, १८ दिसम्बर, १९५९/२७ अग्रहायण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०१५, १०१७ से १०२७, १०२९, १०३२ और १०३४	२८२७–५०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८	२८५०–५१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०१६, १०२८, १०३०, १०३१, १०३३, १०३५ से १०५२, १०५२-क, १०५२-ख, १०५३ से १०६८, १०६८-क और १०६९ से १०७५	२८५१–७४
अतारांकित प्रश्न संख्या १६५३ से १७७०, १७७०-क, १७७०-ख, १७७०-ग, १७७०-घ, १७७०-ङ और १७७०-च	२८७४–२९२८
विशेषाधिकार के प्रस्ताव के बारे में	२९२८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२९२८–३१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बैठकों की कार्यवाही-सारांश	२९३१

विषय	पृष्ठ
याचिका समिति--	
बैठकों के कार्यवाही सारांश	२९३१
सदस्य की गिरफ्तारी तथा निरोध	२९३१
आठवां प्रतिवेदन	२९३१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
आकाश सीमा का अतिक्रमण	२९३१–३३
भारत-पाक वित्तीय वार्ता के बारे में वक्तव्य	२९३३
सभा का कार्य	२९३३–३४
खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) संशोधन विधेयक--	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	२९३४–४१
खण्ड १ से ४ .	२९४१
पारित करने के लिये प्रस्ताव	२९४१–४२
मत विभाजन के परिणाम में शुद्धि . . .	२९४२
विवाहित स्त्रियों की सम्पत्ति (विस्तार) विधेयक--	२९४१
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव	२९४२
खण्ड १ से ५ . .	२९४४
पारित करने के लिये प्रस्ताव .	२९४४
वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	२९४४–४९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
चौवनवां प्रतिवेदन . . .	२९५०
औषधि उद्योग के सरकारी उपक्रम के रूप में विकास के बारे में संकल्प	२९४९–६२
शिक्षा संस्थाओं में अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण के बारे में संकल्प	२९६२–६८
दैनिक संक्षेपिका	२९६९–७८
अंक २६--सोमवार, २१ दिसम्बर, १९५९/३० अग्रहायण, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०७६, १०७७, १०७९ से १०८१, १०८३ से १०८७, ११२०-क, १०८८, १०९० और १०९२ से १०९५	२९७९–३००१
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०७८, १०८२, १०८९, १०९१, १०९६ से ११०४, ११०४-क, ११०५ से ११०८, ११०८-क, ११०९ से १११७, १११७-क, १११८ से ११२०, ११२०-ख, ११२१ से ११२४, ११२४-क, ११२४-ख	३००१–१८
अतारांकित प्रश्न संख्या १७७१ से १७८५, १७८७ से १८९८, १८९८-क, १८९८-ख, १८९८-ग और १८९८-घ	३०१८–७९

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
निजामुद्दीन के नाले की दुर्घटना	३०७९—८१
विशेषाधिकार का प्रश्न	३०८१—८२
भारत-चीन सम्बन्धों के बारे में वक्तव्य	३०८२—८६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३०८६—८९
राज्य सभा से सन्देश	३०८९
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	३०८९
लोक लेखा समिति—	
इक्कीसवां प्रतिवेदन	३०८९
प्राक्कलन समिति—	
पैंसठवां, सड़सठवां और इकहत्तरवां प्रतिवेदन	३०८९—९०
बचाव स्टेशन समिति के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य	३०९०
सदस्य की गिरफ्तारी	३०९०—९१
अनुपस्थिति की अनुमति	३०९१
समवाय (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में सदस्य की नियुक्ति	३०९१
खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव	३०९२—३१२९
कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	३१२९—३३
दैनिक संक्षेपिका	३१३४—४४
अंक २७—मंगलवार, २२ दिसम्बर, १९५९/१ पौष १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११२५ से ११३७	३१४५—६५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११३८ से ११६०, ११६२ से ११६४, ११६४-क, ११६४-ख, ११६५ से ११६८, ११६८-क, ११६८-ख, ११६९ से ११७५ और ११७५-क	३१६५—८३
अतारांकित प्रश्न संख्या १८९९ से २०१७	३१८३—३२२९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३२२९—३१

विषय	पृष्ठ
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति—	
सोलहवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश	३२२९—३१
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
सत्रहवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश	३२३१
राज्य सभा से सन्देश	३२३१
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	
सातवां प्रतिवेदन	३२३१
प्राक्कलन समिति—	
अड़सठवां, उनहत्तरवां और सत्तरवां प्रतिवेदन	३२३२
तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ के उत्तर की शुद्धि	३२३२—३४
मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक—पारित	३२३४—३६
कोयला खान बचाव नियमों के बारे में प्रस्ताव	३२३६—४४
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियमों के बारे में प्रस्ताव	३२४४—४९
उड़ीसा खनन निगम के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	३२४९—५५
भारत-चीन सम्बन्धों के बारे में प्रस्ताव	३२५५—८१
दैनिक संक्षेपिका	३२८१—९१
नवें सत्र की कार्यवाही का संक्षेप	३२९१—९४

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

गुरुवार, १७ दिसम्बर, १९५९

---

२६ अग्रहायण, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सचिवों के साथ मंत्रियों के सम्बन्ध

+

†*९६८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री खुशवक्त राय :
श्री हेम बरूआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मंत्री और विभाग के सचिव के सम्बन्धों को विनियमित करने के लिये नियम बनाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) यह मसला विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या मंत्रियों और सचिवों के सम्बन्ध पहले से ही सुस्पष्ट नहीं हैं ? कौन सी नयी कठिनाइयां उठ खड़ी हुई हैं और कौन कौन से मुख्य प्रश्न विचाराधीन हैं ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** सचिव और मंत्रीगण काफी समय से काम कर रहे हैं। उन्हें पारस्परिक विश्वास के आधार पर सुचारु रूप से अपना कार्य चलाना होता है। मेरे ख्याल से यही आधारभूत

---

†मूल अंग्रेजी में

शर्त है। कार्य के शीघ्रतापूर्ण निबटारे के लिये कुछ व्यौरेवार नियम होने चाहियें अथवा नहीं, और अन्य प्रश्नों पर विचार किया जा सकता है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : हाल के जीवन बीमा निगम-कांड के पश्चात मंत्रियों और सचिवों के कार्य-संबंधों को स्पष्ट रूप में निश्चित कर देना है। इस संबंध में कुछ कठिनाइयां रही हैं। क्या सरकार इस प्रश्न के इस पहलू पर और बात पर भी विचार कर रही है कि मंत्रालय द्वारा जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों का निबटारा किया जाना है उनके संबंध में मंत्री और सचिव के बीच उत्तरदायित्व का बंटवारा किस प्रकार होना चाहिये ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : सामान्यतया मंत्री ही मंत्रालय में होने वाले प्रत्येक कार्य के लिये उत्तरदायी होगा।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मौजूदा परिस्थितियों में सचिव लोग मंत्रियों के उपासंग अथवा परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं, जैसा जीवन बीमा निगम और मूंदड़ा के सौदे में प्रगट हुआ था ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : वे सहायक और सहकर्मी होते हैं।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को कुछ इस प्रकार के सुझाव प्राप्त हुए हैं कि इस तरह के उच्च न्यायाधिकरण की नियुक्ति की जाये, जो मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों के बीच में इस तरह के कानफ्लिक्टस का समाधान कर सके ?

श्री गो० ब० पन्त : पहली दफ़ा सुन रहा हूं सवाल के रूप में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम सम्बन्धी विवाद उठने के बाद से सचिवों ने यह महसूस करना आरम्भ कर दिया है कि वे बड़ी कठिन स्थिति में हैं ? यदि ऐसी बात है, तो वह कौन सी कठिनाई है जिसका उन्हें सामना करना पड़ रहा है और जिसे आप इस विषय पर नये सिरे से विचार कर दूर करना चाहते हैं ?

†**श्री गो०ब० पन्त** : मेरे विचार से किसी भय को दूर करने का प्रश्न नहीं है। नियम किसी भय को दूर करने के लिये नहीं, वरन कार्यपद्धति में सुधार करने के लिये बनाये जाते हैं। इस सुझाव से तो ऐसा लगता है कि ऐसे नियमों की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस पर भी विचार करूंगा।

उच्च न्यायालयों में छुट्टियां और काम के घंटे

+

†*९६९. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री कालिका सिंह : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ५ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों में छुट्टियां कम करने और काम के घंटे बढ़ाने के सम्बन्ध में और कितनी प्रगति हुई है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय की छुट्टियों की अवधि में भी कुछ कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (५ अगस्त १९५९ को) तारांकित प्रश्न संख्या १३३ का उत्तर दिये जाने के बाद से बम्बई और मद्रास के उच्च न्यायालयों ने चालू पत्री-वर्ष में काम के दिन बढ़ा कर २१० कर दिये हैं और आसाम के उच्च न्यायालय ने काम के घंटे ४ से बढ़ा कर ४$^{3}/_{4}$ कर दिये हैं।

(ख) और (ग). संविधान के आरम्भ से पूर्व संघीय न्यायालय की ४ महीने के लिये वार्षिक छुट्टियां होती थीं। उच्चतम न्यायालय की स्थापना के समय से वार्षिक छुट्टियों में दो हफ्तों की कमी कर दी गयी थी। १९५७ में इसे घटा कर ३ महीने कर दिया गया और १९५८ में इनकी अवधि १० सप्ताह से अधिक कर दी गयी है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या अन्य उच्च न्यायालयों ने कुछ समय पूर्व दिया गया यह सुझाव मानने से इंकार कर दिया था कि या तो छुट्टियों की अवधि कम कर दी जाय अथवा काम के घंटे बढ़ा दिये जायें ? यदि हां, तो यह कौन-कौन से न्यायालय थे ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : तीन या चार को, बल्कि तीन उच्च न्यायालयों को छोड़ कर शेष सभी ने इस सुझाव को मान लिया है, और इन तीनों को भी यह मानने के लिये राज़ी किया जा रहा है कि वर्ष में कम से कम २१० काम के दिन रहने चाहियें।

†**श्री श्रीनारायण दास** : जिन उच्च न्यायालयों ने इस सम्बन्ध के सुझावों को नहीं माना है उनके तर्क क्या हैं ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : तर्क यह है कि वर्ष में २०० काम के दिन होने काफ़ी हैं और यदि उन्हें २१० दिन काम कराया गया तो उन्हें कठिनाई होगी।

श्री राधे लाल व्यास : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुकदमों का इतना अधिक काम बकाया है, तो क्या यह सम्भव नहीं है कि यह वैकेशन बिल्कुल खत्म कर दी जायें और अगर जजिज़ को आराम करने की ज़रूरत हो, तो वे हक की छुट्टी ले लिया करें, जिस से दोनों काम हो जाया करें ? क्या शासन इस पर विचार करेगा ?

श्री गो० ब० पन्त : वह २१० दिन मनाने में ही काफ़ी दिक्कत हो रही है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या उच्च न्यायालयों के दैनिक काम के घंटों में कुछ वृद्धि की गई है ? यदि हां, तो विभिन्न उच्च न्यायालयों में कितनी कितनी ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : उच्च न्यायालय आमतौर पर दिन में ५ घंटे काम करते हैं। लेकिन कुछ उच्च न्यायालय ५$^{1}/_{2}$ घंटे और एक या दो ५ $^{1}/_{4}$ घंटे काम करने को राज़ी हो गये हैं।

†**श्री तंगामणि** : केन्द्रीय सरकार के परिपत्र में जिन दो बातों का जिक्र है उनमें से एक काम के घंटे बढ़ा कर ५$^{1}/_{2}$ कर देने के बारे में है। किन-किन उच्च न्यायालयों ने ५$^{1}/_{2}$ घंटे काम करना स्वीकार कर लिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गो० ब० पन्त :** आंध्र प्रदेश और मद्रास के उच्च न्यायलय ५¼ घंटे काम करते हैं। राजस्थान और उड़ीसा ने अपने काम के घंटे बढ़ा कर ५½ कर दिये है। अन्य सामान्य-रूप से दिन में ५ घंटे कार्य कर रहे हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या यह सच है कि कुछ उच्च न्यायालयों में दोपहर के भोजन की छुट्टी का समय घटाया जा रहा है ताकि काम के घँटों में कुछ मिनटों को वृद्धि की जा सके ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** उच्च न्यायालय अपने दोपहर के भोजन का समय घटाने-बढ़ाने के लिय स्वतंत्र हैं। यदि वे दिन में ५ ही घंटे भी काम करें तो भी हमें उनका आभारी होना चाहिये। हम अन्दरूनी व्यवस्था में दखलन्दाज़ी नहीं करना चाहते।

उड़ीसी नृत्य

†***९७०. श्री पाणिग्रही :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मँत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी ने उड़ीसा नृत्य को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये १९५८–५९ और १९५९–६० में वित्तीय अनुदान दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी राशियां कितनी हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्रीहुमायून् कबिर) :** (क) और (ख). संगीत नाटक अकादमी ने सूचित किया है उड़ीसी नृत्य-नाट्य को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये १९५८–५९ में १२,८०० रुपये के अनुदान दिये गये थे। १९५९–६० के लिये सांस्कृतिक सँगठनों को अनुदान देने का प्रश्न अकादमी के विचाराधीन है।

†**श्री पाणिग्रही :** १९५८–५९ में किन-किन संस्थाओं को अनुदान दिये गये थे ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** नेशनल म्यूज़िक एसोसियेशन कटक : इसे उड़ीसी नृत्य के विकास के लिये ३००० रुपये और उड़ीसी नाटक के सर्वेक्षण के लिये २००० रुपये मिले हैं; उड़ीसा सँगीत परिषद्, पुरी, इसे पखावज वादन के लिये १८०० रुपये मिले हैं ; उड़ीसा सँगीत-नाटक अकादमी भुवनेश्वर को नृत्य, सँगीत और नाटक के सर्वेक्षण के लिये मिले हैं।

†**श्री पाणिग्रही :** मंत्री महोदय ने हमें बताया था कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिये, कि इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य माना जा सकता है या नहीं, एक समिति नियुक्त की गई थी। इसके सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** अकादमी द्वारा नियुक्त समिति ने अभी अपना अंतिम प्रतिवेदन नहीं दिया है। लेकिन हमें ज्ञात हुआ है कि अकादमी की कार्यकारिणी समिति ने यह निश्चय किया है कि शास्त्रीय नृत्यों के अलावा वे नृत्यों के दो और स्वरूपों ––परम्परागत नृत्य और आधुनिक भारतीय नृत्य–– को मान्यता देंगे। उड़ीसा को परम्परागत नृत्यों में शुमिल कर लिया गया है

†**श्री बै० च० मलिक :** क्या उड़ीसी नृत्य सीखने के लिये कोई व्यक्ति छात्रवृत्ति पा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून् कबिर :** मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** परम्परागत नृत्यों की श्रेणी में किन किन नृत्यों को रखा गया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** कुचिपुडि, छौ, यक्षमण आदि को ।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या सरकार को उड़ीसी नृत्य सम्बन्धी तालपत्र पर लिखी पाण्डुलिपियों को प्रकाशित करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मुझे अभी तक तो ऐसा कोई अभ्यावेदन मिलने की बात याद नहीं आ रही है । लेकिन यदि कोई अभ्यावेदन आया तो निश्चय ही उस पर विचार किया जायगा ।

जाली लाटरी व्यवसाय

*९७१. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में ऐसी कई कम्पनियां हैं जो जाली लाटरी व्यवसाय द्वारा रुपया ठगती हैं ;

(ख) इन कम्पनियों के धोखे से रुपया मारने के बारे में क्या सरकार को विदेशों से भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है; और

(घ) उसके परिणामस्वरूप ऐसी कितनी जाली कम्पनियों का पता चला है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) और (ख). इस बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं ।

(ग) शिकायतों को उचित कार्यवाही के लिये राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया था ।

(घ) चूंकि बहुत सी शिकायतों की पुलिस जांच कर रही है या उनके मामले अदालत में चल रहे हैं, इसलिये ऐसी कम्पनियों की संख्या का पता लगाना मुमकिन नहीं है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे कौन से देश हैं जिन से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और किन किन कम्पनियों के सम्बन्ध में इस प्रकार की इनक्वायरी की जा रही है ?

†**श्रीमती आल्वा :** नाइजीरिया, घाना, उगांडा, मारीशस, मलाया आदि अन्य देशों के राष्ट्र जनों से वहाँ बिकने वाले लाटरी के टिकटों के बारे में शिकायतें आई हैं ।

श्री भक्त दर्शन : जब कि इस तरह की बोगस लाटरी कम्पनियां हमारे देश में बहुत बढ़ रही हैं, तो क्या सरकार स्वयं ही एक अच्छी लाटरी कम्पनी चलाने का विचार कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो कार्य के लिये सुझाव है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री पद्म देव : जब कि यह लाटरी एक जुआ है और इसके बारे में कोई विधान देश के अन्दर नहीं है, ऐसी सूरत में सरकार क्या कोई विशेष आदेश इसको बन्द करने का देने का विचार कर रही है या इस चीज़ को बन्द करने के लिये कोई इस प्रकार का अधिनियम बनायेगी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : वह कानून मौजूद है और कानून के खिलाफ यह कार्रवाई हो रही है और इसलिये जो शिकायतें आई हैं उन पर जांच हो रही है ताकि उन पर मुकदमा हो सके, जो लोग कि ऐसा कर रहे हैं ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि भारतवर्ष में इस प्रकार की कितनी जाली लाटरी कम्पनियां हैं जिन के विरुद्ध सरकारी कार्रवाई की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि इसका पता लगाना मुमकिन नहीं है ।

†**श्रीमती आल्वा :** अभी ऐसी ३२ कम्पनियां हैं जिनके मामलों की जांच हो रही है या मुकदमे चल रहे हैं । ऐसी ३२ कम्पनियां अथवा फर्में पकड़ी गई हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि भारतीय दंड विधान की धारा २९४–क, जिसके अधीन इस देश में लाटरियों की अनुमति दी जाती है, सिक्किम पर लागू नहीं होती और किस उपबन्ध के अधीन सिक्किम की लाटरियों को इस देश में अनुमति दी जाती है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** सिक्किम के अन्दरूनी मामले इस सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने पहले एक अवसर पर सिक्किम के महाराजकुमार को इस देश में इस लाटरी को बन्द कर देने के लिये लिखा था जिसके उत्तर में उन्होंने यह कहा था कि इस लाटरी से सिक्किम के राजकोष को ७२,००० रुपयों का लाभ होता है इस लिये वे इसे बन्द नहीं करेंगे ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती ।

†**श्री हेम बरूआ :** क्या यह सच नहीं है कि सिक्किम सरकार एक बदनाम व्यापार कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । हमें किसी विदेश के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिये । अपनी बातें हमें अपने तक ही सीमित रखनी चाहियें ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि अँग्रेजी और देशी भाषाओं के साप्ताहिक पत्रों ने सुगम वर्ग-पहेलियां चलाना आरम्भ कर दी हैं जो जाली लाटरियों की किस्म की ही होती हैं ? क्या सरकार इन सभी पर प्रतिबन्ध लगाने वाली है ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** इन वर्ग-पहेलियों को शासित करने वाला कानून मौजूद है । यदि कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो उसे सज़ा दी जा सकेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ट्रकों और ट्रैक्टरों का निर्माण

+

†*९७२. श्री पद्म देव :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री पुन्नूस :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **प्रतिरक्षा** मँत्री ११ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न सँख्या १३६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युद्ध सामग्री कारखानों में ट्रकों और ट्रैक्टरों के निर्माण में और कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) युद्ध सामग्री कारखानों में ट्रकों और ट्रैक्टरों के उत्पादन के लिये अपेक्षित बैलेंसिंग प्लांट लगाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) युद्ध सामग्री कारखानों में ट्रकों और ट्रैक्टरों के उत्पादन में सँतोषप्रद प्रगति हो रही है। असेम्बली लाइन लगभग जून, १९५९ के अन्त में चालू की गयी थी और अक्तूबर, १९५९ के अन्त तक २५० ट्रकें, बाड़ियों समेत पूरी तरह तैयार कर ली गयी थीं जिनमें से २४० ट्रकों की डिलीवरी भी दी जा चुकी है। जहां तक ट्रैक्टरों का संबंध है, ४१ डी–१२० और ३६ डी०–८० किस्म के ट्रैक्टर सेना और दण्डकारण्य अधिकारियों को भेजे भी जा चुके हैं।

(ख) ट्रक–परियोजना के लिये १.६० लाख रुपयों के और ट्रैक्टर परियोजना के लिये १४.९४ लाख रुपयों के बैलेंसिंग प्लांट के आडर दिये जा चुके हैं जिसमें से चालू वर्ष में दोनों परियोजनाओं पर ११.२० लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है इन परियोजनाओं के लिये अपेक्षित और भी मशीनों का आर्डर शीघ्र ही दे दिया जायगा ।

श्री पद्मदेव : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि देश में कितनी मांग हैं और हम कितनी इस वक्त इम्पोर्ट कर रहे हैं ?

†**श्री रघुरामैया** : मैं पहले ट्रैक्टरों के बारे में बताऊंगा । सेना, दण्डकारण्य परियोजना और राजस्थान नहर परियोजना की विभिन्न मांगें हमारे पास हैं । सेना ने डी–१२० किस्म के ५५ ट्रैक्टर मांगे हैं, डी–४२ किस्म के लिये सेना की मांग ७४ और दण्डकारण्य परियोजना की १६, और राजस्थान नहर की १० हैं । डी–५० के लिये....

†**अध्यक्ष महोदय** : हमें यह सारा ब्यौरा नहीं चाहिये । कुल कितने ट्रक्टर चाहियें ? स्पष्ट है कि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि प्रतिरक्षा विभाग के अलावा गैर–सरकारी उपयोग के लिये कितने ट्रैक्टरों की जरूरत पड़ेगी?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: मैं बार-बार बता चुका हूं कि मौजूदा व्यवस्था में युद्ध सामग्री कारखाने केवल अनुमान के आधार पर ही इनका निर्माण नहीं कर सकते। उन्हें निर्माण की, यहां तक कि सेना के लिये भी निर्माण करने की, अनुमति तभी दी जाती है जब इंडेंट उनके पास भेजा जाय। इसलिये यदि किसी गैर-सरकारी पार्टी को या किसी सरकारी विभाग को उनकी आवश्यकता हो तो उन्हें हम से कहना होगा और यदि विदेशी मुद्रायें दे दी गयीं तो युद्ध सामग्री कारखाने उनका निर्माण कर देंगे।

†**सेठ गोविन्द दास** : जहां तक खमरिया के युद्ध सामग्री कारखाने का संबंध हैं, क्या वहां भी ट्रकों का निर्माण किया जा रहा है; और यदि हां, तो वहां से कितनी आवश्यकतायें पूरी की जाती हैं?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मेरे ख्याल से खमरिया में किसी भी गाड़ी का निर्माण नहीं किया जाता।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : पिछले सत्र में एक एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा था कि क्रमशः निर्माण के कार्यक्रम के अनुसार पांचवर्षों के भीतर इन ट्रकों के ९० प्रतिशत हिस्से-पुर्जे भारत में बनने लगेंगे, और शेष १० प्रतिशत अत्यंत जटिल प्रकार के होने के कारण यहां नहीं बन सकेंगे। ये १० प्रतिशत पुर्जे हिस्से भारत में कब तक बन सकेंगे और क्या इन पुर्जों को इस देश में बनाने के संबंध में टेंट संबंधी कुछ बाधायें हैं?

†**श्री कृष्ण मेनन** : ये काफी अनुदार ढंग से लगाये गये अनुमान हैं। हम उनसे आगे बढ़ जाने का प्रयास करेंगे। पांच वर्ष की अवधि काफी लम्बी है। यह कहना कठिन हैं कि इस देश में क्या-क्या घटनायें हो जायंगी और हम जिन उपकरणों का अब उपयोग कर रहे हैं इनका उपयोग चालू भी रहेगा या नहीं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : सेना को प्रतिवर्ष जितनी ट्रकों और ट्रैक्टरों की आवश्यकता पड़ती है क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय युद्ध सामग्री कारखानों में इन के निर्माण की मौजूदा गति से इन्हें पूरा कर लेगा, और यदि हां तो कितने वर्षों में?

†**श्री कृष्ण मेनन** : इस समय निर्माण कुछ निश्चित किस्मों तक सीमित है। व्यवस्था भी कुछ किस्मों की गाड़ियों तक ही सीमित है। जहां तक सेना की आवश्यकताओं का संबंध है, यदि सामान उपलब्ध हो तो हम वर्त्तमान और संभावित सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मंत्री महोदय ने दण्डकारण्य को इन ट्रकों के सँभरण का जिक्र किया था। क्या ३ टन वजन वाली ये ट्रकें दण्डकारण्य और अन्य पर्वतीय स्थानों में उपयोग सिद्ध होंगी; यदि नहीं, तो क्या एक टन वजन वाली ट्रकों के निर्माण की कोई योजना है जो सभी पर्वतीय स्थानों में उपयोगी सिद्ध हो सकेंगी।

†**श्री कृष्ण मेनन** : हमने दण्डकारण्य को ट्रकों के सम्भरण के बारे में तो कुछ नहीं कहा था।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने ट्रैक्टरों के बारे में कहा था। यह प्रश्न ट्रकों और ट्रैक्टरों दोनों से सम्बन्धित है। दण्डकारण्य के लिये ट्रैक्टर बनाये जाते हैं; ट्रक नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० राम सुभग सिंह : क्या लगभग एक टन वजन वाली ट्रकें बनाने का कोई प्रस्ताव हैं जो पर्वतीय स्थानों में भी उपयोगी सिद्ध हो सकें।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को उत्तरों को समझना चाहिये। मंत्री महोदय ने कहा है कि जब तक सैनिक अथवा असैनिक अधिकारियों द्वारा आर्डर नहीं दिये जाते वह किसी चीज का निर्माण नहीं करते हैं। वह दण्डकारण्य के लिये नहीं बना रहे हैं। इसलिये उनसे पूछने से कोई लाभ भी नहीं है क्योंकि वह अपने आप पहले भी नहीं करते हैं।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : पिछले एक अवसर पर श्री फीरोज गांधी ने यह सवाल उठाया था कि जब तक गैर सरकारी लोग या सरकारी विभाग आर्डर न दें तब तक युद्ध सामग्री कारखाने निर्माण नहीं करते और सरकारी विभाग युद्ध सामग्री कारखानों को तब तक इंडेंट नहीं दे सकते जब तक वे उस प्रकार के उपकरणों का निर्माण न करते हों। उस समय मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया था कि वे इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और दोनों में मेल बैठाना चाहते हैं। उस विचार का क्या बना?

†श्री फ़ीरोज गांधी : क्या सरकार ने इस बात का ध्यान रखते हुए, कि बाजार में ट्रक की शैशी[1] तब तक नहीं मिलती जब तक लेने वाला वास्तविक कीमत से ५–६ हजार रुपया अधिक देने को तैयार न हो क्या सरकार निर्मित ट्रकों में से कुछ को असैनिक उपयोग के लिये देने के प्रश्न पर विचार किया है या वह इस पर विचार करेगी?

†श्री कृष्ण मेनन : मैं पहले इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ। यदि युद्ध सामग्री कारखानों को इंडेंट भेजा जाय और गैर-सरकारी लोग आवश्यक विदेशी मुद्राओं की व्यवस्था कर सकें तो मौजूदा नियमों के अनुसार युद्ध सामग्री कारखाने उन्हें संभरण कर सकते हैं।

भारतीय प्रोद्योगिकी, संस्था, खड्गपुर

+

†*६७३. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री पाणिग्रही : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २७ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८१६ के उत्तर के सम्बन्ध म यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खडगपुर के कार्यकरण और विकास का पुनर्विचार करने के लिये बनाई गयी पुनर्विचार समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है; **और**

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी, नहीं। संस्था के गर्वनरों के बोर्ड की टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न हीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Chassis.

†**श्री स० चं० सामन्त :** यह पुनर्विचार समिति कब बनाई गई थी और क्या इसके प्रतिवेदन के देने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई थी ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** पुनर्विचार समिति १९५९ के आरम्भ में स्थापित की गई थी और इसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। केवल गवर्नरों के बोर्ड का प्रतिवेदन प्रतीक्षित है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** यह पुनर्विचार समिति क्यों बनाई गई थी ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह समिति हमारी सामान्य प्रथा के अनुसार बनाई गई थी। बड़ी राष्ट्रीय संस्थाओं के मामले में हम उनके कार्य का पांच वर्ष बाद पुनरावलोकन करते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या इस समिति ने कानपुर में उत्तरी उच्च प्रौद्योगिकी संस्था के विकास के प्रश्न पर विचार किया है, और यदि हां, तो उनका प्रतिवेदन क्या है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह समिति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खडगपुर से सम्बन्धित थी ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** इस पुनर्विचार समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रशासी निकाय को अब दिया और वह उसकी जांच कब समाप्त क रेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** पुनर्विचार समिति ने २९ जनवरी, १९५९ को अपना प्रतिवेदन दिया। प्रशासी निकाय ने उस पर हिस्सों में विचार किया। नियुक्त उप-समिति इस पर ७ जनवरी, १९६० को विचार करेगी और गवर्नरों का बोर्ड इस पर १३ फरवरी, १९६० को विचार क रेगा ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या इस संस्था में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता है। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या खनिजोद्योगिकी[1] विभाग के कार्यकरण के बारे में कोई टिप्पणी की गई थी; और यदि हां, तो क्या किसी सुधार का सुझाव दिया गया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, सिफारिशों पर 'विज़िटर' द्वारा विचार किये जाने से पहले उन्हें गोपनीय समझा गया है।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** क्योंकि इस पुनर्विचार समिति का प्रतिवेदन केवल भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, खडगपुर के लिये ही नहीं, अपितु बम्बई और मद्रास की प्रौद्योगिकीय संस्थाओं के लिये भी हित कर होगा, क्या सरकार इसकी शीघ्र जांच करेगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैंने ब्यौरा दे दिया है। गवर्नरों के बोर्ड ने इसके विचार के लिये १३ फरवरी, १९६० नियत की है और विज़िटर द्वारा सिफ़ारिशों पर विचार किये जाने के बाद, मेरे विचार में प्रतिवेदन को प्रकाशित करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Minerology.

पलाना लिग्नाइट

+

†*९७४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री तंगामणि :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर डिवीज़न में पलाना में लिग्नाइट निक्षेपों के खुले रूप से खनन की संभावनाओं की जांच करने के लिये नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) उसमें की गई सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ग). विशेषज्ञ समिति ने प्रतिवेदन दे दिया है और उस पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) इस बात पर सरकार के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद फैसला किया जावेगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच है कि राजस्थान में इस खान का खनन-कार्य प्रथम पंचवर्षीय योजना और उसमें न होने पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में शुरू किया जाना था ? वह कार्य किस कारण से रुका और बरबाद हुए समय को पूरा करने के लिये अब सरकार क्या कार्य करेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस खान का संचालन इस समय राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। मुझे इस बात का पता नहीं है कि उनकी योजना के अनुसार उन्हें अपना उत्पादन बढ़ाना था और किस प्रकार बढ़ाना था। यह प्रविधिक समिति मुख्यत: राज्य सरकार को अर्थ-व्यवस्था में सुधार और खानों के प्रविधिक कार्यकरण में सुधार के बारे में परामर्श देने के लिये बनाई गई थी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच नहीं है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित होने तक योजना आयोग द्वारा योजना और परियोजना के अनुमोदित न किये जाने के कारण इस खान का खनन-कार्य रुक गया और इन सब वर्षों में इस क्षेत्र का विकास-कार्य रुक गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी नहीं। यह सच है कि सामान्य रूप से राज्य विकास योजनाओं पर भी योजना आयोग की अनुमति लेनी पड़ती हैं, परन्तु मेरे विचार में कोई ब्यौरेवार परियोजना प्रतिवेदन नहीं बनाया गया था।

†**श्री तंगामणि** : क्या इस क्षेत्र में उपलब्ध लिग्नाइट का कोई अनुमान लगाया गया है और क्या सरकार इस खान के कार्य पर तृतीय योजना में बिजली और उर्वरकों के उत्पादन के लिये बहु-प्रयोजनीय परियोजना के रूप में विचार करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, इस क्षेत्र में अनुमानतः १८० लाख टन लिग्नाइट का भंडार है, लगभग १०० लाख टन तो खोदे जाने वाले क्षेत्र में और ८० लाख टन अक्षत क्षेत्र में। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, वह तो एक सुझाव है और मैं उस बारे में कोई बचन नहीं दे सकता।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन चार महीने पहले दिया गया था। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार अब तक इस पर विचार करके किसी निर्णय पर क्यों नहीं पहुंच सकी है ?

†**श्री सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं नहीं समझता कि एक खनन परियोजना को अन्तिम रूप देने के लिये चार महीने का समय लम्बा समय है।

†**श्री नरसिंहन्** : क्या यह सच है कि इस खान का छोटे पैमाने पर खनन किया गया है और खान से निकाले गये उत्पादों का कुछ छोटे पैमाने के बिजली के उत्पादन के लिये इस्तेमाल किया गया है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह सच है कि खान में कार्य आरम्भ हो गया है और निकाले गये लिग्नाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** . क्या यह सच है कि राजस्थान में इस खान में उपलब्ध लिग्नाइट की तापीय शक्ति निकेली में उपलब्ध लिग्नाइट की तापीय शक्ति से बहुत अधिक है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** . मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** . क्या यह सच नहीं है कि इस समिति में, जिसने सिफारिशें की, केन्द्रीय सरकार के सब उत्तम विशेषज्ञ मौजूद थे ? यदि हां, तो सरकार चार महीने या इससे अधिक समय क्यों ले रही है जब कि उन विशेषज्ञों ने यह बता दिया है कि यहां पर उपलब्ध लिग्नाइट निवेली से बहुत बढ़िया है ? उर्वरक कारखाना, विद्युत उत्पादन और लौह-अयस्क का निकालना, सब विकास कार्यक्रम इन खानों पर निर्भर हैं। इन सब महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुये, सरकार इसमें शीघ्रता करने और राजस्थान के विकास में इस बाधा को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह बहुत लम्बा प्रश्न है, बल्कि एक भाषण है। संचालन के बारे में जो कुछ मैं कह चुका हूं, मुझे उससे अधिक और कुछ नहीं कहना है ।

†**अध्यक्ष महोदय** . मैं इस बारे में भाषण की अनुमति नहीं दूंगा । माननीय सदस्य का ख्याल हो सकता है कि इसमें बिलम्ब हुआ है परन्तु मंत्री महोदय का विचार है कि इस मामले में कोई बिलम्ब नहीं हुआ । हम अब इस पर जोर नहीं डाल सकते ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** . क्या मैं एक बात कह सकता हूं ? श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने पूछा था कि क्या इस समिति में केन्द्रीय सरकार के सब प्रविधिक विशेषज्ञ मौजूद थे या नहीं। यदि थे, तो सरकार प्रतिवेदन के किस पहलू पर विचार कर रही है, वित्तीय पहलू पर या किसी और बात पर क्योंकि इस के टेक्निकल पहलू की और जांच की आवश्यकता नहीं है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : वित्तीय पहलू, विदेशी मुद्रा, प्रविधिज्ञों की उपलब्धता आदि बातों पर विचार किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि :** इस समय इस खान से प्रति वर्ष कितना लिग्नाइट निकाला जा रहा है और अगले दो वर्षों में इसमें कितनी वृद्धि हो जावेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं बता चुका हूं कि इस खान पर खनन-कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। मेरे पास वार्षिक उत्पादन के आंकड़े नहीं हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि वे समय समय पर बदलते रहते हैं क्योंकि वे लिग्नाइट के इस्तेमाल पर निर्भर करते हैं। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग, अर्थात् विस्तार का सम्बन्ध है, वह इस बात पर निर्भर करेगा कि टेक्निकल प्रतिवेदन की जांच के बाद क्या निर्णय किया जाता है।

'डार्ट–६' विमान इंजनों का निर्माण

+

†*९७५. { **श्री बैं० च० मलिक :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री खुशवक्त राय :
श्री तंगामणि : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १० अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोल्स रायस की ब्रिटिश फर्म से भारत में 'डार्ट–६' विमान इंजनों के उत्पादन के लिये सहयोग की शर्तों की परीक्षा कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित करार के ब्यौरे के बारे में बताना जन-हित में नहीं है।

(ग) करार की शर्तों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और औपचारिक करार पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किये जाने की आशा है।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** हम कब तक इन विमान इंजनों का निर्माण आरम्भ कर देंगे और आरम्भ में हम कितने इंजन बनायेंगे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** करार को अन्तिम रूप दे दिया गया है परन्तु उस पर हस्ताक्षर नहीं हुये हैं। अतः इस प्रश्न का अभी उत्तर नहीं दिया जा सकता। यदि माननीय सदस्य अगले सत्र में पूछें, तो इसका उत्तर दिया जा सकेगा।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल:** करार को अन्तिम रूप दे दिया गया है, परन्तु इस पर हस्ताक्षर नहीं हुये हैं। फिर यह तो आसानी से बताया जा सकता है कि हम इन विमान इंजनों का निर्माण कब तक आरम्भ कर देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : इस समय मंत्री महोदय उस बारे में कुछ नहीं बता सकते। यदि माननीय सदस्य चाहें तो वह अगले सत्र में प्रश्न पूछ सकते हैं। उस समय तक मंत्री महोदय उत्तर दे सकेंगे।

†**श्री तंगामणि** : क्या अन्तिम करार हो जाने के बाद रोल्स रोयस के साथ हुई सहयोग की शर्तों को हमें बताया जायेगा ?

श्री कृष्ण मेनन : जी, नहीं। क्योंकि यह विकास के सब क्षेत्र से संबंधित हैं और एक शर्त यह है कि उनकी गोपनीय बातों को किसी को न बताया जाय।

केन्द्रीय युद्ध-सामग्री डिपो, छेवकी में खरीद में अनियमिततायें

+

†*९७६. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री पाणिग्रही :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १९ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय युद्ध-सामग्री डिपो, छेवकी (इलाहाबाद) में स्टोर की स्थानीय खरीद करने के बारे में अनियमितताओं की विशेष पुलिस संस्थान द्वारा जांच में और क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : इस मामले में अभी विशेष पुलिस संस्थान की रिपोर्ट नहीं आयी है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : पहले भी एक ऐसे ही प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि विशेष पुलिस संस्थान ने अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है। इसमें विलम्ब क्यों हुआ है और क्या विशेष पुलिस संस्थान को प्रतिवेदन देने में शीघ्रता करने को कहा गया है क्योंकि विलम्ब से ऐसी अनियमितताओं में शामिल होने के लिये और व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा ?

†**श्री रघुरामैया** : मैं विशेष पुलिस संस्थान के बारे में नहीं कह सकता परन्तु मैं समझता हूं कि वे जो कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिवेदन दिये जाने के बाद कोई विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी अथवा इन अनियमितताओं में कोई विभागीय जांच की जा रही है ?

†**श्री रघुरामैया** : ऐसी कुछ कार्यवाही करने के पहले, हम विशेष पुलिस संस्थान के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

अमृतसर के जलियांवाला बाग में राष्ट्रीय स्मारक

†९७७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ११ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३९१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर के जलियांवाला बाग में राष्ट्रीय स्मारक बनाने में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस कार्य पर अब तक कितना धन खर्च किया गया है ; और

(ग) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) यह अनुमान लगाया जाता है कि ३०–११–१९५९ तक लगभग ७० प्रतिशत कार्य पूरा हो गया था।

(ख) २७ अक्तूबर, १९५९ तक ५,१५,८१५·९० रुपये।

(ग) यह आशा की जाती है कि यह कार्य चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस स्मारक को ठीक से रखने, संधारण और चलाने के लिये कोई व्यवस्था की जावेगी और यदि हां, तो क्या व्यवस्था की जावेगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : स्पष्टत: जब ९ लाख रुपये की लागत से स्मारक बनाया जा रहा है, तो उचित व्यवस्था की जावेगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं ब्यौरा चाहता हूं।

†**श्री हुमायून् कबिर** : माननीय सदस्य को पता है कि इस कार्य के लिये एक अधिक शक्ति वाला न्यास बनाया गया है और यह उस न्यास से संबंधित होगा।

श्री अर्चित राम : क्या मैं पूछ सकता हूं कि जितना रुपया आप खर्च कर रहे हैं उसमें से पब्लिक कंट्रीब्यूशन कितना है अगर कुछ है तो ?

श्री हुमायून् कबिर : अफसोस है कि पबलिक कंट्रीब्यूशन कुछ बहुत ज्यादा नहीं मालूम होता है। हमने गवर्नमेंट की तरफ से करीब ९ लाख रुपया सैंक्शन किया है और यही खर्चा है।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक इस यादगार का संबंध है तो इस यादगार के साथ शहीदों के संबंध में कोई पुस्तकालय या कोई संस्था भी स्थापित होगी और अगर होगी तो क्या उसके लिये भी सरकार कोई रेकरिंग ग्रांट देगी ?

श्री हुमायून् कबिर : अभी तो हमारे सामने इस मेमोरियल को बनाने का काम है और उसको यह ट्रस्ट कर रहा है। यह एक सिफारिश है जो कि उस ट्रस्ट को भेज दिया जायगा।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री जी या सरकार के पास कोई ऐसी लिस्ट है कि जिसमें उन व्यक्तियों के नाम दिये गये हों जो कि डायर एंड कम्पनी की गोलियों से मारे गये थे और क्या उन शहीदों के नाम वहां पर इंस्क्राइब्ड किये जायेंगे ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : प्रत्येक व्यक्ति के नाम के रखे जाने के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्मारक हम उन शहीदों की स्मृति में बना रहे हैं जो डायर एंड कम्पनी द्वारा मारे गये थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को उन सब व्यक्तियों के नामों का पता है जो डायर एंड कम्पनी द्वारा मारे गये थे।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का सुझाव है कि वहां पर उनके नाम लिखे जायें।

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह एक सुझाव है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि संभव हुआ, तो उनके नाम स्मारक के चारों ओर लिखे जायें। माननीय सदस्य का यह सुझाव है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आसर** : क्या सरकार का गोलियों के छिद्र वाली पुरानी दीवार का अवशेष के रूप में संरक्षण करने का विचार है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जिस मकान पर गोलियों के निशान हैं, उसे प्राप्त कर लिया गया है और इसको वहां रखा जायेगा ।

श्रीमती इला पालचौधरी : क्या सार्वजनिक अंशदान के लिये कोई अपील की गयी थी और यदि हां, तो वह अपील कितने वर्ष पहले जारी की गयी थी ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह ट्रस्ट लगभग पांच वर्ष पहले बनाया गया था । मुझे पता नहीं है कि ट्रस्ट ने सार्वजनिक अंशदान के लिये कोई अपील की थी या नहीं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों की यादगार में यह स्मारक बनाया जा रहा है उनके नामों की फेहरिस्त क्या सरकार के पास है और यदि नहीं है तो क्या उसके इकट्ठा करने की कोशिश की गई है और यदि कोई लिस्ट है तो क्या वह सदन के पटल पर रक्खी जायगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह भी एक सुझाव है जो मैं ट्रस्ट को भेज दूंगा ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी**: मैं यह जानना चाहता हूं कि जिनकी यादगार बनायी जा रही है उनके नाम सरकार के पास हैं या नहीं, यह सजेशन नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । अगला प्रश्न ।

अंडमान के लिए दांडिक नियम

†*९७८. **सरदार अ० सिं० सहगल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करीब आठ वर्ष पहले भारत सरकार ने अंडमान द्वीप समूह में दांडिक नियमों के पुनरीक्षण के लिये एक वर्ष के लिये एक व्यक्ति वहां भेजा परन्तु वह वहां सात वर्षों तक रहा ;

(ख) क्या सरकार पुनरीक्षित दांडिक नियमों को सभा-पटल पर रखेगी ; और

(ग) यदि नियमों को पूरी तरह से पुनरीक्षित नहीं किया गया, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) १९५३ में विभिन्न विनियमों और नियमों के पुनरीक्षण-कार्य में अन्दमान और निकोबार प्रशासन की सहायता करने के लिये आरम्भ में एक पदाधिकारी तीन महीने के लिये भेजा गया था । उसने प्रशासन के अधीन १७ जनवरी, १९५३ से ४ सितम्बर, १९५८ तक पहले तो आफिसर ओन स्पेशल ड्यूटी और फिर मुख्यायुक्त के सहायक सचिव (जुडिशियल) के रूप में कार्य किया ।

(ख) विनिमयों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी जाती हैं ।

(ग) प्रशासन दांडिक विनिमयों और नियमों में ऐसे उपबन्धों को हटाने की कार्यवाही कर रहा है जो वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नहीं हैं । इतने समय में, किसी भी दांडिक विनियमों और नियमों को द्वीप समूह में लागू नहीं किया जा रहा है ।

---

†मूल अँग्रेजी में

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : प्रतिवेदन में क्या सिफारिशें की गयी थीं ? क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर भी रखी जायेगी ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : कौन सा प्रतिवेदन ? प्रतिवेदन तो कोई नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : दांडिक नियमों और विनियमों के पुनरीक्षण के लिये १९५३ में तीन महीने के लिये भेजा गया यह पदाधिकारी वहां इतने अधिक समय तक क्यों ठहरा ? क्या इसकी जांच की गयी है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : वह वहां इसलिये ठहरा क्योंकि उसका वहां ठहरना जनहित में समझा गया ।

†**श्री हेम बरुआ** : मूल प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है कि उसने वहां जुडिशियल कमिश्नर के रूप में कार्य किया। क्या इस नियुक्ति का भी केन्द्रीय सरकार को पता था या यह उसका अपना बन्दोबस्त था ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : उसकी वहां नियमों के अनुसार नियुक्ति की गयी थी। उसकी केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना नियुक्ति नहीं की गयी।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : मैं यह जानना चाहता हूं कि उस पर कितना धन खर्च किया गया है ।

†**श्री गो० ब० पन्त** : मेरे विचार में जो उसको वेतन दिया गया, उस पर वह धन खर्च किया गया था।

केरल में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना

\+

†*९७९. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री वारियर :
श्री कोडियान :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री पुन्नूस :
श्री कुन्हन :
श्री नागी रेड्डी :
श्री वें० प० नायर :
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के राज्यपाल ने राज्य में शांति और व्यवस्था बनाये रखने के प्रश्न पर ९ सितम्बर, १९५९ को विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी; और

(ख) यदि हां, तो परिणाम क्या रहा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) ९ सितम्बर को ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी। शान्ति और व्यवस्था सरल बनाने के ढंगों पर विचार विमर्श करने के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं की एक कान्फ्रेंस ३ सितम्बर को बुलाई गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) बैठक में कोई निश्चय नहीं किये गये।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या सरकार का विचार कोई ऐसी विशेष कार्यवाही करने का है जिस से अब से एक मास उपरान्त होने वाले निर्वाचन उचित व स्वतंत्र हों ?

†श्री गो० ब० पन्त : सरकार भरसक कार्यवाही कर रही है और उसे सभी दलों के सहयोग पर विश्वास है।

†श्री पुन्नूस : क्या उस कान्फ्रेंस में राज्यपाल ने यह प्रस्ताव किया था कि सभी संबंधित दल शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने की अपील करें ? यदि हां, तो इस पर विभिन्न दलों की क्या प्रतिक्रिया थी ?

†श्री गो० ब० पन्त : ऐसी कोई अपील नहीं की गई। यह सच है।

†श्री मणियंगाडन : केरल राज्य में राष्ट्रपति की उद्घोषणा और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासन अपने हाथ में लेने के पूर्व शान्ति और व्यवस्था की स्थिति की अपेक्षा आजकल क्या स्थिति है ? स्थिति में सुधार हुआ है या स्थिति बिगड़ी है ?

†श्री गो० ब० पन्त : इस में पर्याप्त सुधार हुआ है और अब प्रायः सामान्य है।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़: राज्यपाल ने प्रत्येक दल के कितने सदस्य बुलाये थे ?

†श्री गो० ब० पन्त : केरल में चल रहे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि कांफ्रेंस में सम्मिलित थे। मेरा विचार है कि वे साम्यवादी दल, कांग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और मुसलिम लीग के थे। रिपब्लिकन पार्टी का कोई सदस्य न था।

†श्री कोडियान : क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश त्रावनकोर क्षेत्र में, जहां अधिकतर झगड़े हुए थे,। वे अनेकों हरिजन अभी तक अपने घर नहीं लौटे हैं जिन्हें अपने जीवन की रक्षा के लिए भाग जाने पर बाध्य किया गया था क्योंकि पुलिस संरक्षण का अभाव है ? यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†श्री गो० ब० पन्त : मेरा विचार है कि कथा पूर्णतया सच नहीं है। कुछ सप्ताह या कुछ मास पूर्व कुछ झगड़ा था। परन्तु मुझे बताया गया है कि अब कोई झगड़ा नहीं है।

दिल्ली में सत्याग्रह

+

†*९८२. { श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में आर्य समाज ने हिन्दी के बारे में सत्याग्रह करने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई ज्ञापन मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). इस मामले में पंजाब की आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा स्वीकृत संकल्प की एक प्रति सरकार को मिली थी। प्रेस रिपोर्टों से विदित होता है कि समिति ने हिन्दी आन्दोलन पुनः आरम्भ न करने का निश्चय किया है।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री भक्त दर्शन : आर्य समाज की ओर से जो ज्ञापन सरकार को दिया गया है क्या वह दिल्ली में हिन्दी के संबंध में है या पंजाब में हिन्दी के सम्बन्ध में ?

श्री गो० ब० पन्त : वह पंजाब की हिन्दी के संबंध में है।

श्री भक्त दर्शन : इस समय पंजाब में जो भाषा सम्बन्धी स्थिति है, क्या सरकार उस से पूर्णतया संतुष्ट है, और क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आयी है कि भाषा के संबंध में अन्दर ही अन्दर एक ज्वालामुखी सुलग रहा है जो किसी भी समय फट सकता है ?

श्री गो० ब० पन्त : ज्वालामुखी धधकते तो देखा नहीं, मगर सरकार चाहती है कि वहां सब लोगों में पूरी तरह से मेल हो और किसी तरह की भी उनके बीच में कड़वाहट न रहे ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि पंजाब की सद्भावना कमेटी की सिफारिशें, जिसको कि पंजाब सरकार ने नियुक्त किया था और जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है, कब तक व्यावहारिक रूप में आ सकेंगी ?

श्री गो० ब० पन्त : यह तो पंजाब गवर्नमेंट तै करेगी, उन्हीं ने कमेटी मुकर्रर की है और उन्हीं के पास रिपोर्ट पहुंची है ।

श्री वाजपेयी : क्या यह सच है कि पंजाब की हिन्दी रक्षा समिति ने हाल में रोहतक की बैठक में यह निश्चय किया है कि उनका एक प्रतिनिधिमंडल पंजाब की भाषा समस्या के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी से भेट करें, और क्या इस आशय की सूचना सरकार को प्राप्त हुई है ?

श्री गो० ब० पन्त : हमारे पास तो कोई सूचना आयी नहीं है। ऐसा हुआ होगा और इस में किसी को बहुत ज्यादा देखभाल करने की जरूरत भी नहीं है। यदि कोई प्रतिनिधिमंडल किसी के पास आना चाहता है तो जिसके पास आना चाहे हैं उसको लिखे हैं और उसका जबाब उनको मिलता है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या यह सच नहीं है कि पंजाब सरकार द्वारा नियुक्त की गई सद्भावना समिति केवल सद्भावना उत्पन्न करने के लिये थी और भाषा का प्रश्न उनके क्षेत्राधिकार में नहीं था ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** मेरा विचार है कि सद्भावना पर आधारित समाधान में आये या आने वाले सारे कारण समिति के क्षेत्राधिकार में होने चाहियें ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या यह सच नहीं है कि भाषा के प्रश्न पर पहिले ही एक समझौता हो गया है कि इस प्रश्न पर एक दल के आग्रह पर नहीं अपितु सारे दलों की सहमति से विचार किया जायेगा तथा निश्चय किया जायेगा ।

†**श्री गो० ब० पन्त** : सद्भावना मिशन किसी व्यक्ति पर कोई निश्चय नहीं थोपती परन्तु यह सद्भावना स्थापित करने के उपायों की खोज करती है ।

---

†मूल अँग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि भाषा रक्षा समिति ने सत्याग्रह का विचार जो स्थगित किया है, क्या देश के ऊपर जो उत्तर की ओर से संकट आ रहा है उसके कारण या केन्द्रीय सरकार के समझाने बुझाने के कारण ?

श्री गो० ब० पन्त : मैं समझता हूं कि बुद्धिमत्ता के कारण ।

भूमि अधिग्रहण

\+

†*९८३. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री पांगरकर :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **विधि** मंत्री २ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १०८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि अर्जन व अधिग्रहण सम्बन्धी देश भर में समान रूप से लागू होने समेकित विधान बनाने में क्या प्रगति हुई है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)**: भूमि अर्जन व अधिग्रहण विधि के सम्बन्ध में विधि आयोग के प्रतिवेदन पर सम्बन्धित प्रशासी मंत्रालयों में किये गये विचार के आधार पर प्रतिवेदन में सम्मिलित मुख्य सिफारिशों को पृथक कर लिया गया है। राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से विधि आयोग प्रतिवेदन में सम्मिलित सिफारिशों पर साधारणतया और विशेषकर उसमें सम्मिलित मुख्य सिफारिशों पर मत मांगा गया है। प्रतिवेदन में दूरगामी और जटिल सिफारिशों के होने के कारण राज्य सरकारों आदि से उत्तर और भारत सरकार के कुछ निश्चय करने में कुछ समय लगेगा।

†**श्री अजित सिंह सरहदी**: राज्य सरकारों के मत प्राप्त होने की क्या तारीख निश्चित की गई है ताकि सरकार उन पर विचार कर सके ?

†**श्री हजरनवीस** : उनसे प्रार्थना की गई है कि वे ३१ दिसम्बर, १९५९ से पहले भेज दें।

†**श्री तंगामणि** : क्या भूमि अर्जन व अधिग्रहण के बारे में सिफारिशों पर विधि मंत्रालय ने अपना मत बना लिया है ?

†**श्री हजरनवीस** : यह राज्य सरकारों के मत प्राप्त होने पर ही निश्चित हो सकता है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : राज्य सरकारों का मत किन मुख्य विषयों पर मांगा गया है ?

†**श्री हजरनवीस** : आयोग की सिफारिशों पर।

†**श्रीमती रेणुका राय** : कितनी राज्य सरकारों ने अद्यतन अपने उत्तर भेजे हैं ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : किसी ने नहीं भेजा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता में चांदी परिशोधन का कारखाना

+

*९८४. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री जं० ब० सिं० विष्ट :
डा० गंगाधर शिव :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री पेरूलेकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में चांदी परिशोधन के कारखाने को स्थापित करने तथा उसे चलाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) २२ दिसम्बर, १९५८ को स कारखाने की एक भट्टी में जो विस्फोट हो गया था, उसके क्या कारण थे और उससे कितनी हानि हुई ;

(ग) इस विस्फोट के लिये कौन-कौन से व्यक्ति उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्य-वाही की गई है ;

(घ) उस खराबी को दूर करने में जिसके कारण विस्फोट हुआ था, क्या प्रगति हुई है और पूरी तरह से तैयार होने के दिन तक उस पर कितना व्यय हुआ ; और

(ङ) इस परिशोधन कारखाने में कब तक काम प्रारम्भ होने की आशा है ?

वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) कारखाने का इंजीनियरिंग काम पूरा हो चुका है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं का परीक्षण और निर्धारण हो चुका है और अब चांदी साफ की जाने लगी है। गलाई-विभाग ने ढलाई की पूरी क्षमता अभी तक प्राप्त नहीं की है।

(ख) विस्फोट का कारण यह था कि गलाई-विभाग में एक घरिया की पिघली हुई धातु बिजली की भट्टी के तार और पानी के जरिये डंक पहुंचाने वाले यंत्रों पर गिर गई। चूंकि संयंत्र (प्लाण्ट) का पूरा बीमा कराया जा चुका था, इसलिये इस विस्फोट के कारण किसी तरह की हानि होने का सवाल ही नहीं होता।

(ग) दुर्घटना की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पर नहीं डाली जा सकती। लेकिन इस खराबी के कारण भारत सरकार को जो अतिरिक्त खर्च करना पड़ा उसे वसूल करने के सम्बन्ध में टेक्निकल सलाह देने वाली कम्पनी मेसर्स डेमाग और मशीनें लगाने वाली कम्पनी मेसर्स सेपल्चर ब्रदर्स से लिखा पढ़ी शुरू कर दी गयी है।

(घ) गलाई-विभाग में सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था की जा रही है और अच्छी डिजाइन और बड़े आकार की घरियां भी लगायी जा रही हैं और इन सब की जांच की जा रही है। जांच का काम पूरा होने पर ही यह मालूम हो सकेगा कि अतिरिक्त खर्च कितना आ।

(ङ) अभी बिल्कुल सही तौर पर बताना सम्भव नहीं है कि चांदी साफ करने के कारखाने में पूरी कार्य क्षमता कब तक आ सकेगी।

श्री म० ला० द्विवेदी : प्रश्न के खण्ड (ग) में मैंने किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं पूछा है, जिसकी वजह से यह विस्फोट हुआ। मैंने पूछा है कि कितने ऐसे लोग हैं, जिन के कारण विस्फोट

---

†मूल अंग्रेजी में

हुआ है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि एक व्यक्ति नहीं, तो और अधिक कितने व्यक्ति सके लिये जिम्मेदार हैं और स बारे में जांच-पड़ताल की गई है या नहीं और यदि नहीं, तो क्यों नहीं की गई ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह तो प्रश्न के उत्तर में बता दिया गया है कि पिघला हुआ मैटल तार कूलिंग प्लाण्ट पर गिर गया, जिसकी वजह से यह विस्फोट हुआ ।

श्री म० ला० द्विवेदी : कितने व्यक्ति स के उत्तरदायी हैं ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह कहना ो मुश्किल है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मुश्किल क्यों है ? सरकार को मालूम है कि कितने महीने पहले विस्फोट हो गया और विस्फोट ऐसी घटना है, जिससे सरकारी संयंत्र को बड़ी हानि पहुंची है और बड़ी हानि पहुंच सकती है, तो फिर इसकी जाच क्यों नहीं की गई और यदि की गई, ो कौन इसके लिये जिम्मेदार है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं माननीय सदस्य से कहूंगी कि वह उत्तर को ज़रा अच्छी तरह पढ़ लें ।

†**श्री हेम बरुआ** : माननीय उपमंत्री ने भाग (ख) के उत्तर में कहा था कि विस्फोट पिघली हुई धातु के कारण हुआ था और इसका प्रभाव भट्टी पर भी पड़ा और हानि का अनुमान लगाया जा रहा है । क्या कोई हानि हुई थी ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : उन्होंने जर्मनी से उत्तम प्रकार की घरिया का क्रयादेश दे दिया है और इसके शीघ्र आने की संभावना है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री यह नहीं बता सकी हैं कि विस्फोट में कितने व्यक्ति घायल हुये हैं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं । विस्फोट हुआ और मशीनरी की हानि हुई । मैं ठीक जानकारी देने में असमर्थ हूं ।

†**श्री हेम बरूआ** : जनहानि अन्य हानि की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : कोई जनहानि नहीं हुई ।

†**श्री हेम बरुआ** : सका प्रभाव भट्टी पर भी पड़ा था ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : कहा जाता है कि संयंत्र का पूरा बीमा होने के कारण हानि का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि बीमा कम्पनी हानि पूरी करेगी । आजकल वे इसकी गणना कर रहे हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : इस घटना को हुये एक साल से अधिक हो गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन्सोरेंस कम्पनी से क्लेम करने के लिये सरकार ने लिखा पढ़ी की है, यदि की है, तो कितना क्लेम किया है और यदि नहीं क्लेम किया है, तो कितने क्लेम की संभावना है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : टेक्निकल कनसल्टेन्ट्स और रेक्टर्ज़ से इस बारे में लिखा पढ़ी हो रही है कि वह उसकी पूर्ति कर दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : उनके पास इसके विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : अभी यह कहना कठिन है कि हानि कितनी हुई है क्योंकि यह स्थानापन करने पर निर्भर है और वह हो रहा है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्षति कितनी हुई ? संयंत्र की बीमा होने के कारण सरकार की हानि नहीं है परन्तु आपने कितनी क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनी से मांगी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री कहते हैं कि पुर्जों के न बदले जाने तक वह कुल हानि नहीं बता सकते ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मशीन खरीदी गई थी । नष्ट हुये संयंत्र का क्रय मूल्य तो अवश्य होगा ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह बाद में बताया जा सकता है । अभी मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या बीमा निरीक्षक ने स्थान का निरीक्षण कर लिया है और प्रतिवेदन दे दिया है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन सब मामलों के बारे में माननीय सदस्य को प्रश्नों की आशा होनी चाहिये थी । हानि होने पर बड़ी अनोखी बात है कि माननीय मंत्री हानि का लगभग अनुमान भी नहीं बता सकते ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : इस प्रकार की बीमा करी गई सम्पत्ति पर हानि होने पर उस समय तक यह बताना ठीक न होगा कि क्या हानि हुई जब तक कि सब संबंधित व्यक्ति उसकी गणना न कर लें । तत्कालिक दावा बीमा कराये गये धन के लिये किया गया है । अभी मेरे पास आंकड़े नहीं हैं । परन्तु मैं इसकी ठीक गणना होने तक दावा नहीं कर सकता ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

छोटे ट्रेक्टरों की बिक्री

*६८०. **श्री विभूति मिश्र**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रतिरक्षा कारखानों द्वारा बनाये गये छोटे ट्रेक्टरों को व्यापारिक बिक्री के लिये देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो किस कीमत पर, कितने और कब तक ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) तथा (ख). माननीय सभासद का इशारा किस प्रकार के ट्रेक्टर की तरफ है, स्पष्ट नहीं है ।

छोटे अथवा बड़े क्रालर ट्रेक्टर, खरीदार को उसका आर्डर आने पर वाजबी समय में प्राप्य किये जा सकते हैं । सैनिक कारखाने पक्का आर्डर मिलने पर ही सामान बनाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अगर इशारा ऐसे ट्रेक्टरों के नमूनों की ओर है, जो अब अथवा पहले अवसरों पर नुमाईश में दिखाये जा चुके हैं, तो ऐसे ट्रेक्टर सैनिक कारखाने तभी बनाना शुरू करेंगे जबभी उनकी आवश्यकता हुई या उनके लिये आर्डर प्राप्त हुये। उनका मूल्य ट्रेक्टर की किस्म और संख्या पर निर्भर होगा। फिर भी मूल्य हर हालत में वाजबी ही होगा।

पूंजी निर्गम

†*९८१. **श्री मुरारका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिमूल्य पर पूंजी निर्गम की स्वीकृति देने में किस सिद्धांत का पालन किया गया ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में ऐसे कितने मामलों में ऐसा सिद्धांत लागू किया गया है ; और

(ग) कितने मामलों में उपरोक्त सिद्धांत लागू नहीं किया गया ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: (क) से (ग). कोई कठोर सिद्धांत निर्धारित नहीं है। प्रत्येक मामले का निश्चय निम्नलिखित जैसी संबंधित बातों का ध्यान रख कर विशेषता के आधार पर किया जाता है, अंशों का स्वाभाविक मूल्य, उनका बाजार का रोटेशन, समवाय के लाभांश का रिकार्ड, विद्यमान साम्याधिकार पूंजी के संबंध में निर्गम की मात्रा, प्रचलित बाजार परिस्थितियां, आदि। अतः निश्चित नियम से किन्हीं मामलों में छूट देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा। १९५७, १९५८ और १९५९ (१४ दिसम्बर तक) के वर्षों में कुल ८८२ स्वीकृतियां दी गईं और इनमें से अठारह मामलों में पूंजी का निर्गम अधिमूल्य पर हुआ।

शाहाबाद जिले में चूने के पत्थर के निक्षेप

†*९८५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दुर्गापुर इस्पात कारखाने की आवश्यकता पूर्ति के लिये बिहार के जिला शाहाबाद में चूने के पत्थर के निक्षेपों की खोज करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई प्रारम्भिक जांच पड़ताल की गई है; और

(ग) उसका क्या परिणाम रहा ?

†**इस्पात खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान्।

(ग) जांच पड़ताल हो रही है और परिणाम विदित होने में कुछ समय लगेगा।

तीस हजारी भवन जांच समिति

*९८६. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीस हजारी भवन जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उस समिति ने यह सुझाव दिया है कि तीस हजारी भवन न्यायालय के काम के लिये उपयुक्त नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उन व्यक्तियों के विरुद्ध, जो इस भवन को गलत रूप से बनाने के लिये उत्तरदायी पाये गये हैं, कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी हां ।

(ख) समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान स्टील लि० के उत्पादों का विक्रय

†*९८७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १९ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लि० के उत्पादों के विक्रय के लिये साधारण उपक्रम संबंधी कोई निश्चय किया गया है ; और

(ख) क्या यह सरकारी क्षेत्र में या गैर सरकारी क्षेत्र में होगा या कमीशन के आधार पर होगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). लोहा और इस्पात के किसी भी अन्य उत्पादक की भांति हिन्दुस्तान स्टील लि० भी अपने उत्पादों का विक्रय करने के लिये उत्तरदायी है परन्तु यह विक्रय समय समय पर प्रचलित नियंत्रण व्यवस्था के अनुसार होना चाहिये । उसने इस कार्य के लिये अपेक्षित संघ स्थापित कर लिया है ।

विदेशों से शिक्षित इंजीनियरों का संवरण

†*९८८. **श्री दामानी :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री ओझा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग के सभापति देश में टेक्निकल पदों के लिये विदेशों में रहने वाले उच्च शिक्षित भारतीयों का संवरण करने के लिये योरोप और अमरीका गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह अपना उद्देश्य पूरा करके देशों के भ्रमण से लौट आये हैं ;

(ग) क्या उन्होंने सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है ; और

(घ) उनके मिशन का क्या परिणाम रहा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). हां ।

(ग) नहीं ।

(घ) सभापति ने केन्द्रीय सरकार के अधीन विभिन्न पदों के लिये अनेकों उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा ली ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फैरो मेंगनीज तथा फैरो-क्रोम

†*९८९. **श्री वें० प० नायर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फैरो मैंगनीज और फैरो-क्रोम के उत्पादन की अन्तिम स्थिति क्या है ; और

(ख) उपरोक्त धातुओं की वार्षिक अनुमानित आवश्यकता कितनी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) **फैरो-मैंगनीज** : पांच कारखानों में उत्पादन हो रहा है । एक छटा कारखाने ने—निम्न उदग्र भट्टी जिसे कच्चा लोहा, फैरो-मैंगनीज, और फैरो-क्रोम बनाने का लाइसेंस दिया गया है —कच्चा लोहा बनाना आरम्भ कर दिया है ।

फैरो-क्रोम : तीन कारखानों को लाइसेंस दिये गये हैं परन्तु उत्पादन किसी में भी नहीं हो रहा है ।

(ख) आजकल ३०,००० से ३५,००० टन प्रति वर्ष फैरो-मैंगनीज की और २०० से २५० टन फैरो-क्रोम की ।

टेक्निकल तथा वैज्ञानिक व्यक्ति

†*९९०. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेक्निकल शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों में प्रशासन सेवाओं को अधिक पसन्द करने की प्रवृत्ति संबंधी मामले की सरकारी जांच का क्या परिणाम रहा जिसका उल्लेख संघ लोक सेवा आयोग के आठवें प्रतिवेदन में है ;

(ख) उपरोक्त परिस्थिति में उपयुक्त रूप में टेक्निकल तथा वैज्ञानिक कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में सुधार करने के प्रश्न पर सरकार का विचार किस स्थिति में है ; और

(ग) टेक्निकल शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की ऐसी प्रवृत्ति दूर करने में सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). मामले पर वेतन आयोग की सिफारिशों की दृष्टि से विचार किया जा रहा है ।

त्रिपुरा के गैर सरकारी प्राइमरी स्कूल

†*९९१. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा मं ी** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के गैर सरकारी प्राइमरी स्कूलों की सहायता पूजा दिवसों से कई मास पहिले से रुकी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वित्तीय सहायता मासिक आधार पर देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग): एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

भारत सरकार गैर-सरकारी स्कूलों को सहायता-अनुदान का भुगतान करने का कार्य त्रिपुरा प्रशासन से लेकर राज्य-क्षेत्रीय परिषद् को देने के प्रश्न पर विचार कर रही है। त्रिपुरा प्रशासन को आशा थी कि इस प्रश्न पर भारत सरकार का निश्चय स वर्ष के आरम्भ में उपलब्ध हो जायेगा। अतः उन्होंने सम्बन्धित स्कूलों को सहायता-अनुदान का भुगतान नहीं किया। क्योंकि भारत सरकार ने भी इस मामले का अन्तिम निश्चय नहीं किया है, प्रशासन ने सहायता-अनुदान भुगतान के आदेश दे दिये हैं और अन्तिम मास तक के बिलों का भुगतान किया जा रहा है।

ब्रह्मकुमारी दैवी विश्वविद्यालय

†९९२. **श्री वाजपेयी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में "ब्रह्मकुमारी दैवी विश्वविद्यालय" के नाम से काम करने वाली एक संस्था की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त नाम में 'विश्वविद्यालय" शब्द का प्रयोग प्रचलित नियमों के विरुद्ध है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जोरहाट स्थित प्रादेशिक-अनुसन्धान प्रयोगशाला

†*९९३. **श्रीमती मफीदा अहमद :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में जोरहाट में एक प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशाला स्थापित होगी ; और

(ख) यदि हां, तो प्रयोगशाला की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रयोगशाला के लिये एक डाईरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। एक कार्यकारिणी परिषद् भी बना दी गई है जो इस प्रयोगशाला का अनुसन्धान प्रोग्राम निश्चित करेगी।

कालिदास स्मारक

†९९४. **श्री राधेलाल व्यास** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्ष से उज्जैन में प्रति वर्ष कालिदास जयन्ति को एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विदेश में किन-किन स्थानों पर कालिदास जयंती मनाई गई और उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार महाकवि कालिदास की कर्मभूमि उज्जैन में कबि का एक स्मारक बनाने का विचार है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) उज्जैन में कालिदास जयंती अखिल भारतीय उत्सव के रूप में सन् १९५८ से मनाई जा रही है ।

(ख) सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

(ग) इस बारे में मध्य प्रदेश सरकार से चर्चा हुई है और उनके प्रस्तावों का इंतजार है ।

निवेली लिग्नाइट परियोजना

†*९९५. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेली लिग्नाइट परियोजना के लिये जिनियरों और टेक्निसियनों को प्रशिक्षण के लिये रूस और जर्मनी भेजा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और वे कितने समय के लिये भेजे जा रहे हैं ;

(ग) उन पर कितना धन व्यय किया जायेगा ; और

(घ) क्या उनके साथ यह संविदा है कि वे प्रशिक्षण के उपरान्त भारत सरकार के अधीन न्यूनतम निश्चित काल तक सेवा करेंगे ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) हां ।

(ख) (१) पूर्वी जर्मनी : ३, प्रत्येक ३ वर्ष तक ।

(२) पश्चिमी जर्मनी : ३, प्रत्येक १ वर्ष तक ।

(३) रूस : २१, प्रत्येक ९ मास तक ।

(ग) लगभग ४.८९ लाख ० ।

(घ) हां ।

राष्ट्रीय नेताओं की पाण्डुलिपियों का संरक्षण

†*९९६. **श्री प्र० चं बरुआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गांधी जी, रवीन्द्रनाथ टैगोर और सुभाष चन्द्र बोस आदि महापु षों की रचनाओं, पत्रों और पाण्डुलिपियों के संकलन और संरक्षण सम्बन्धी योजना बनाने का है; और

(ख) यदि हां, ो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

घड़ियों का तस्कर व्यापार

†*९९७. **श्री प्र० गं० देब** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घड़ियों का तस्कर व्यापार गोआ की सीमा के पास के दमन से बम्बई को होता है; और

(ख) यदि हां, तो उसे रोकने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) सरकार को प्राप्त जानकारी से पता लगता है कि कुछ तस्कर व्यापार गोआ सीमा के पास दमन से बम्बई को होता है । १ जनवरी, १९५९ से अक्तूबर, १९५९ के अन्त तक जब्त की गई घड़ियों का मूल्य लगभग ६९,८०० रुपये था ।

(ख) तस्कर व्यापार को समाप्त करने के लिये समय-समय पर ये भिन्न-भिन्न उपाय किये जाते हैं और इस सम्बन्ध में की गई सब से महत्वपूर्ण कार्रवाई ये हैं :

(१) समुद्र-तट पर और भूमिसीमा पर पुलिस तथा सीमान्त सुरक्षा कर्मचारियों के सहयोग से सीमाशुल्क कर्मचारियों की और अधिक सतर्कता तथा गश्त लगाना ।

(२) आंकड़ों के संकलन के तरीकों में और आगे सुधार करना और उसका तस्कर-विरोधी कार्यों में उपयोग करना ।

(३) सीमा-शुल्क विधियों को सुदृढ़ बनाना, अधिक कठोर दण्ड देना और अधिक संख्या में अभियोग चलाना ।

भूतपूर्व सैनिकों के निवृत्ति-वेतन

*९९८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व सैनिकों के निवृत्ति-वेतन बढ़ाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या गति हुई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय होने की आशा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) से (ग). भूतपूर्व सैनिकों के सेवा निवृत्ति-वेतन बढ़ाने का कोई सुझाव इस समय सरकार द्वारा विचाराधीन नहीं है । ताहम वह, केन्द्रीय सरकार के असैनिक पेन्शनरों के लिये जारी किये गये आदेशों को देखते हुये, थोड़ी पेन्शनें पाने वाले सशस्त्रबल के पेन्शनरों पर लागू, अस्थायी बढ़ौती के, वर्तमान दरों को, बढ़ाने के ढंग का, सक्रिय निरीक्षण कर रही है । इस विषय में सरकार शीघ्र ही कोई निर्णय लेने की आशा करती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मदुरै में हीरे

†*९९९. **श्री गुलाम मोहीदीन :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को यह सूचना मिली है कि मदुरै ज़िले में प्राकृतिक हीरा उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसकी खोज करने के बारे में क्या कार्रवाई की है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वेतन-क्रम

†*१०००. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आसाम सरकार के इस निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है कि कर्मचारियों के वेतन में मंहगाई भत्ते का कुछ अंश मिला दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार आस-पास के संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण करने का विचार करती है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त):** (क) पता लगा है कि आसाम सरकार ने २०० रुपये प्रतिमास तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में मंहगाई भत्ते का कुछ अंश मिला देने का निर्णय किया है किन्तु अभी तक कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

(ख) मनीपुर प्रशासन के कर्मचारियों के लिये यही लाभ लागू करने के प्रश्न पर राज्य सरकार द्वारा औपचारिक आदेश जारी किये जाने के बाद जांच की जायेगी।

विधि आयोग का प्रतिवेदन

†*१००१. **श्री तंगामणि :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने, जिसको २० दिसम्बर, १९५८ को पुनर्गठित किया गया था, विधियों के पुनरीक्षण के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो प्रथम प्रतिवेदन के कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) और (ख). परिनियम विधि के पुनरीक्षण का काम जो अभी किया जाना है बहुत काफी है और ज्यों ज्यों समय बीतता जायेगा और अधिक नया काम बढ़ता जायेगा। पुनर्गठित आयोग, भिन्न-भिन्न विधियों की जांच करने के पश्चात् समय-समय पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता रहेगा। प्रथम प्रतिवेदन के १९६० के आरम्भ में तैयार हो जाने की संभावना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता

†*१००२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **विधि** मंत्री १० अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २७७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता दिलाने की योजना पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) ऐसी कोई योजना पर अन्तिम रूप से अभी निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विदेशों में भारतीय वैज्ञानिक

†*१००३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री पाणिग्रही :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री झूलन सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में १९५९ में अब तक कितने भारतीय वैज्ञानिकों की नियुक्ति की गई ;

(ख) उनमें से ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो पहले ही चुने जा चुके थे और जो राष्ट्रीय रजिस्टर में पंजीबद्ध थे ; और

(ग) विदेशों के अधिकांश भारतीय वैज्ञानिकों के अपने देश वापस न लौटने का विचार न होने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) पूरी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। १९५९ में वैज्ञानिकों और प्रविधिज्ञों के संचय में ५२ व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं और २२ व्यक्तियों की नियुक्ति अन्य पदों पर की गई है ।

(ख) गत जुलाई-अगस्त में विदेश से भारत वापस लौटे १०३५ व्यक्तियों में से ११२ व्यक्ति अभी भी बेकार हैं ।

(ग) सरकार को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कानपुर में विश्वविद्यालय

†*१००४. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री पाणिग्रही :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कानपुर में एक रेजीडेंशल विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता देना मंजूर कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना तैयार कर ली गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) कानपुर में एक रेजीडेंशल विश्वविद्यालय की स्थापना करने के बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार के पास से कोई भी वित्तीय सहायता संबंधी निवेदन नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अपराध रोकने के लिए ब्यूरो

†*१००५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १० अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २५७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपराधों को रोकने और अपराधियों को सुधारने के लिये ब्यूरो की स्थापना करने के संबंध में अब तक क्या प्रगति की गई है ; और

(ख) इसके कब तक कार्य आरम्भ कर देने की संभावना है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). ब्यूरो के लिये स्थान ढूंढा जा रहा है और ज्यों ही वह उपलब्ध हो जायेगा, ब्यूरो की स्थापना कर दी जायेगी ।

श्री लेवी का प्रतिवेदन

†*१००६. { श्री अजित सिंह सरहदी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १९ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११०४ के संबंध में यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज और उत्पादन के संबध में श्री लेवी के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय निकला ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां ।

(ख) मैं गत २४ नवम्बर को पहले ही सदन में तेल की खोज और उसके संसाधनों के विकास की संभाव्यताओं का विकास करने के संबंध में सरकार की नीति की व्याख्या करने वाला एक

---

†मूल अंग्रेजी में

वक्तव्य दे चुका हूं। तेल की खोज, उत्पादन और संरक्षण संबंधी नये नियमों की प्रतियां सदन के सम्मुख रखी जा चुकी हैं। उनमें भिन्न-भिन्न देशों के सारे विशेषज्ञों से प्राप्त राय को ध्यान में रख कर जो निर्णय किये जायेंगे, वे दिये हुये होंगे जिसमें श्री लेवी का प्रतिवेदन भी शामिल है।

अमरीकन डिग्री मिलें

†*१००७. श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री ले० अचौ सिंह :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीकन कौंसिल आफ एजूकेशन द्वारा प्रकाशित 'अमरीकन डिग्री मिले' नामक प्रतिवेदन की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें अन्य चीजों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि अमरीका के कुछ राज्यों ने भारत में पत्र-व्यवहार के द्वारा डिग्री देने का बहुत बड़ा व्यवसाय बना लिया है ;

(ख) क्या इस प्रकार की असैनिक प्रक्रिया को रोकने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). संबंधित अधिकारियों के पास से मांगी गई जानकारी प्राप्त हो जाने पर इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

मध्य प्रदेश में संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्र

†*१००८. श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षाओं के लिये एक केन्द्र खोलने का जो प्रस्ताव विचाराधीन था, उस पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश में भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षाओं के लिये एक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव अभी संघ लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है।

---

†नूल अंग्रेजी में

कालिदास जयन्ती

***१००९. श्री राघे लाल व्यास :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय कालिदास परिषद्, उज्जैन ने कालिदास जयन्ती समारोह मनाने तथा कालिदास अकादमी के संबंध में केन्द्रीय सरकार से अनुदान के लिये कोई प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

डीजल तेल तथा मोटर स्प्रिट

†***१०१०. श्री प्र० गं० देब :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार देश में मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल तेल के उत्पादन की असमानता को दूर करने के बारे में कोई कार्रवाई कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५२]**

निर्वाचन-व्यय

†***१०११. श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :

क्या **विधि** मंत्री ८ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १२४० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजनीतिक दलों के पास से निर्वाचन व्यय में कमी कर के संबंध में अन्तिम रूप से उत्तर प्राप्त हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो निर्वाचन व्यय में कमी करने के बारे में प्रस्ताव बनाने के लिये किस प्रकार की कार्रवाई की गई है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) केवल भारतीय जन संघ के पास से उत्तर आना बाकी था, उसने निर्वाचन आयोग के पास अपने सुझाव भेज दिये हैं। दल द्वारा दिये गये सुझावों को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५३]**

(ख) मामला निर्वाचन आयोग के विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पेंशन के मामले

†*१०१२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री २२ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेंशन के मामलों को जल्दी निबटाने के संबंध में नियमों में हेर-फेर करने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) अनिर्णीत मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) इनको कब तक निबटा देने की संभावना है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार हाल ही में सरकार द्वारा जो निर्णय किये गये उन्हें देखते हुए कुछ पेंशन नियमों में संशोधन किया जा रहा है। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप पेंशन के मामलों को निबटाने में जो विलम्ब हो जाया करता था, आशा है उसमें कमी हो जायेगी।

(ख) विभिन्न प्रशासकीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए विशेष प्रयत्नों के परिणामस्वरूप काफी संख्या में पेंशन के पुराने मामले निबटाये जा चुके हैं। २ मार्च, १९५९ को सभा में दिये गए तारांकित प्रश्न संख्या ७६७ के उत्तर में जो आश्वासन दिया गया था उसे कार्यान्वित करने की दृष्टि से १-२-५९ को दो वर्ष से अधिक पुराने मामलों के बारे में आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं और यथाशीघ्र ही एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) बकाया मामलों को निबटाने में कितना समय लगेगा इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि पेंशनें सारे भारत में फैले विभागीय प्राधिकारियों द्वारा मंजूर की जाती हैं। फिर भी स्थिति की देख-रेख की जा रही है और विलम्ब को यथाशक्ति दूर करने की दृष्टि से भी निरन्तर देख-रेख जारी रहेगी ।

हेलीकाप्टरों की खरीद

†*१०१३. **श्री प्र० गं० देब :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वेस्टलैण्ड एयरक्राफ्ट कम्पनी लन्दन को हेलीकाप्टर खरीदने के लिये आर्डर दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो एक हेलीकाप्टर का कितना मूल्य दिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

देहरादून में अंधों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

†*१०१४. **श्री स० मो० बनर्जी .** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहरादून में वयस्क अंधों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र की वर्कशाप के अंधे मजदूरों ने प्राधिकारियों को इस कारण भूख हड़ताल करने का नोटिस दे दिया है कि उन्होंने उनकी शिकायतें दूर नहीं की ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाई की है ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) इस प्रकार का नोटिस मिला है।

(ख) मजदूरों को यह सलाह दी गई है कि वे भूख हड़ताल अथवा अन्य किसी प्रकार की सीधी कार्रवाई न करें। इस बीच उन्हें बढ़ी हुई राज्य-सहायता देने के बारे में जांच की जा रही है।

विदर्भ में बहुप्रयोजनीय स्कूल

†**१५८४. श्री पांगरकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री बम्बई विदर्भ के प्रदेश में अब तक खोले गए बहुप्रयोजनीय स्कूलों की संख्या बताने की कृपा करेंगे।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : श्रीमान, सत्रह।

अल्प बचत योजना

†**१५८५. श्री पांगरकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई के मराठवाड़ा प्रदेश के पनभत्ती और नान्देर जिलों में १ मई, १९५९ से ३० सितम्बर, १९५९ तक अल्प बचत योजना के अधीन कुल कितनी राशि जमा की गई थी?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मांगी गई जानकारी नीचे दी गई है :—

(हजार रुपयों में)

जिला	लगभग शुद्ध प्राप्ति
पनभत्ती	(—) १,७५
नान्देर	८२

पंजाब में स्मारकों का सर्वेक्षण

१५८६. {**श्री हेम राज** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २२ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३७६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिरों के बारे में कोई सर्वेक्षण पूरा किया गया है, और

(ख) यदि नहीं तो यह सर्वेक्षण कब पूरा होगा ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). सर्वेक्षण हो रहा है और अभी यह बताना कि वह कब पूरा होगा मुमकिन नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा के लिए विदेशों को सहायता

†१५८७. **श्री प्र० गं० देब :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा विदेशों को १९५४ से १९५९ तक (देशवार) शिक्षा संबंधी कितनी सहायता दी गई ; और

(ख) १९४८ से कुल कितने भारतीय अध्यापक विदेश भेजे गए ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है जो सभा-पटल पर यथाशीघ्र रख दी जायेगी।

पंजाब में व्यय-कर और सम्पत्ति-कर

†१५८८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में १९५८-५९ में व्यय-कर और सम्पति-कर देने वालों की संख्या कितनी थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** पंजाब में १९५८-५९ में व्यय-कर और सम्पति-कर दाताओं की संख्या क्रमश: ६७ और ८५३ थी।

दिल्ली पोलीटेक्नीक

†१५८९. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ११ सितम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७०५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन उम्मीदवारों ने दिल्ली पोलीटेक्नीक से वाणिज्य शास्त्र में अंशकालिक नेशनल डिप्लोमा कोर्स पास किया है उन्होंने प्राधिकारियों से डिप्लोमा दिये जाने के बारे में अभ्यावेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) दिल्ली पोलीटेक्नीक के चार अंश-कालिक छात्रों ने, जिन्होंने १९५७ में वाणिज्य शास्त्र में नेशनल डिप्लोमा परीक्षा पास की थी, यह अभ्यावेदन किया है कि अंश-कालिक छात्रों के मामलों में उनके वाणिज्यिक संस्थानों की वेतनभोगी सेवा को डिप्लोमा दिये जाने के लिये व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा करने के बारे में गिनी जानी चाहिये और इस कारण उन्हें शीघ्र ही डिप्लोमा दिया जाना चाहिये।

(ख) उन्होंने अपनी नौकरी में जिस प्रकार का काम किया था उसकी जांच करने के पश्चात् यह निर्णय किया गया है कि जिन चार उम्मीदवारों ने अभ्यावेदन किया था उन में से तीन को डिप्लोमा दिया जाना चाहिये। चौथे उम्मीदवार के बारे में अभी संस्था से रिपोर्ट आनी बाकी है।

अंशकालिक छात्रों के मामले में प्रशिक्षण के बदले सम्पूर्ण वेतन-भोगी सेवा काल को सामान्य रूप से स्वीकार करने का निवेदन विचार के लिये अखिल भारतीय टेक्निकल शिक्षा परिषद के वाणिज्य बोर्ड के सम्मुख रखा जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

कसौली और डग्शई छावनियों को सहायक अनुदान

†**१५९०. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा उसके विकास योजनाएं लागू करने के लिये १९५९-६० के लिये कसौली और डग्शई छावनियों को सहायक अनुदान के रूप में कुल कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ख) इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क)

डग्शई .	. कुछ नहीं ।
कसौली . .	. ४९,४४५ रुपये ।

(ख)

कार्य का ब्योरा	मंजूर की गई राशि
१. स्कूल की इमारत और फर्नीचर	. ४,५८० रुपये
२. वाचनालय .	९०० रुपये
३. चिताओं का निर्माण . . .	. १,७३० रुपये
४. नालियों का बनाना	. ८,६७० रुपये
५. सड़क के किनारे की नालियों को नये नमूने का बनाना .	. ४,२९५ रुपये
६. सड़क प्रकाश व्यवस्था .	. ८,५०० रुपये
७. सड़कों की मरम्मत . .	. २०,७७० रुपये
योग . . .	४९,४४५ रुपये

जीवन बीमा निगम की पंचवर्षीय योजना

१५९१. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिये अपनी पचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के हेतु साधन जुटाने, संगठन कायम करने, कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करने आदि के बारे में कोई कार्यक्रम तैयार करने के प्रश्नों पर विचार किया है ;

(ख) उस कार्यक्रम की मुख्य रूप रेखा क्या है ; और

(ग) इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिये निगम का आर्थिक तथा वित्तीय दायित्व कितना बढ़ जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जी हां। निगम अपनी पचवर्षीय विकास योजना के अधीन अपने साधनों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की गई योजनाओं पर विचार कर रहा है। कार्यक्रम की खास बातें ये हैं :

(१) बीमा कराने वालों की और ज्यादा सेवा करने के लिये नये शाखा और उप-कार्यालय खोलना ;

(२) इन इलाकों में क्षेत्रीय अधिकारियों (फील्ड अफसरों) की नियक्ति करना;

(३) काफ़ी तादाद में स्थानीय एजेण्टों की भरती करना और उन्हें ट्रेनिंग देना ;

(४) चलती फिरती गाड़ियों, फिल्मों, गांवों में लगने वाले मेलों और देहाती प्रदर्शनियों के द्वारा प्रचार-कार्य की वृद्धि, खास कर देहात में;

(५) बीमा कराने वालों द्वारा प्रीमियम जमा किये जाने के लिये अधिक सुविधाएं ;

(६) काफी संख्या में स्वास्थ्य परीक्षकों की भरती ;

(७) विकाश और प्रशासनिक कर्मचारियों की ट्रेनिंग ।

(ग) निगम का अनुमान है कि उसे सब मिलाकर जितना खर्च करने की अनुमति है, इस कार्यक्रम को चलाने में उसे उससे बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

हिन्दी में निकाले गये सरकारी आदेश आदि

१५९२. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री १९ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न सख्या १०७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में विभिन्न मंत्रालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में कितने आदेश, परिपत्र, ज्ञापन आदि निकाले गये ;

(ख) कितने परिपत्र आदि हिन्दी में निकाले गये और उनमें से कितने दोनों भाषाओं में निकाले गये ; और

(ग) अंग्रेजी में निकाले गये आदेशों, परिपत्रों आदि के हिन्दी रूपान्तर तैयार न करने के यदि कोई कारण हों, तो वे क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) से (ग). मांगी गई सूचना का एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५४]**

उड़ीसा में जनता कॉलेज

†**१५९३. श्री पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में उड़ीसा में जनता कॉलेज स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कितने और कहां-कहां ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सब्जियों का परिरक्षण

†१५९४. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ११ सितम्बर १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फल तथा सब्जी परिरक्षण उद्योग में सहायता करने के लिये प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन तथा सब-स्टेशन स्थापित करने के सम्बन्ध में कुछ प्रगति हुई है और यदि हां, तो कितनी; और

(ख) उनके लिये कौन-कौन सा स्थान चुना गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) कुछ एक प्रादेशिक स्टेशनों की स्थापना के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य पूरे हो गये हैं। हेडक्वार्टर यूनिटों और मुख्य स्टेशनों के लिये आवश्यक कर्मचारी भर्ती करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

(ख) यह विचार है कि मुख्य स्टेशन दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता (यादवपुर), कोडूर, पठानकोट और लखनऊ में स्थापित किये जायें और सब-स्टेशन गोहाटी, नागपुर, त्रिचूर, कुलू, शिमला और बिहार के किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित किये जायें।

उड़ीसा में खनिज

†१५९५. **श्री पाणिग्रही :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २१ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी समिति द्वारा भेजे गये अयस्क के नमूनों से यह ज्ञात हुआ है कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में खनिज पाये जाते हैं ; और

(ख) क्या उड़ीसा के रंगमातिया तथा क्समाझी पहाड़ियों की विस्तृत खोज करने का कार्य प्रारम्भ करने का निर्णय कर लिया गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) राज्य सरकार से यह रिपोर्ट मिली है कि सहकारी समिति से प्राप्त अयस्क के नमूनों में मेगनेटाइट विद्यमान है।

(ख) राज्य सरकार १९५९-६० में विस्तृत खोज करने का विचार रखती है।

प्रविधिक प्रशिक्षण संस्था, तल्तपुर (उड़ीसा)

†१५९६. **श्री पाणिग्रही :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले के तल्तपुर में प्रविधिक प्रशिक्षण संस्था में कार्य प्रारम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर अभी तक आदिम जातीय कितने विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) जी, हां।

(ख) पचास ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंत्रालयों के कर्मचारियों में वृद्धि

१५९७. श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री मोहम्मद इमाम :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में प्रत्येक श्रेणी में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ;

(ख) जनवरी, १९५८ को उन कर्मचारियों की जो संख्या थी उसकी अपेक्षा प्रत्येक श्रेणी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) इससे सरकार के काम में कितनी शीघ्रता आई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय में वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन

१५९८. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री प्र० चं० देव :

क्या वित्त मंत्री १० अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एस० पी० जैन के विदेशों के बैंकों में कथित खातों के सम्बन्ध में जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, नहीं। जांच अभी तक चल रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

तेल सर्वेक्षण

†१५९९. **श्री राम कृष्ण गुप्त:** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २२ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अभी तक खोदे गये तेल के सभी कुओं के सम्बन्ध में परिणाम प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन कुओं से प्राप्त होने वाले तेल से देश की तेल की आवश्यकता कहां तक पूरी होगी ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री क० दे० मालवीय)** : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अभी तक किये गये निर्धारण के अनुसार आसाम के आयल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड के क्षेत्रों से ४११ लाख टन अशोधित तेल उपलब्ध हो सकेगा। अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में अभी बताना असंभव है।

ग्राम्य संस्थायें

†१६००. **श्री राम कृष्ण गुप्त:** क्या **शिक्षा** मंत्री १९ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य संस्थाओं के विभिन्न कोर्सों की पाठ्यचर्या सम्बन्धी प्रस्थापनाओं पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय ग्राम्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थाई समिति ने २७ नवम्बर, १९५९ की अपनी बैठक में मुकर्जी समिति की रिपोर्ट की सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में अध्ययन बोर्ड की प्रस्थापनाओं पर विचार किया था और यह परामर्श दिया था कि क्योंकि ग्राम्य संस्थाओं के डिप्लोमों को मान्यता प्रदान किये जाने का प्रश्न भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड के विचाराधीन है, इसलिये पाठ्यचर्या में सारवान् परिवर्तन करने से पहले उक्त बोर्ड के निर्णय की प्रतीक्षा कर लेनी चाहिये।

फ्रांसीसी सरकार द्वारा दी गई व्यावहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधायें

†१६०१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ११ सितम्बर १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि फ्रांसीसी सरकार द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रस्तावित सुविधाओं का उपभोग करने के सम्बन्ध में अभी तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : प्रशिक्षण के लिये अक्तूबर, १९५९ में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के दस पदाधिकारियों का एक दल फ्रांस भेजा गया है।

जर्मन धन विनियोजक

†१६०२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री १० अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन सरकार ने जर्मन धन विनियोजकों को रिस्क गारण्टी देने की योजना तय कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). यह ज्ञात हुआ है कि पश्चिमी जर्मन सरकार ने जर्मन धन विनियोजकों को 'रिस्क गारण्टी' (जोखिम की प्रत्याभूति) देने के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

एक कानून लागू किया है। परन्तु भारत सरकार को अभी तक उस सरकार से कोई शासकीय पत्र नहीं प्राप्त हुआ है।

कालेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों की भीड़भाड़

†१६०३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री ११ सितम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों की भीड़भाड़ को कम करने के लिये विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिये उपयुक्त परीक्षा लागू करने के सुझाव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) वह सुझाव अभी तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आदिम जाति प्रविधिक संस्था, मनीपुर

†१६०४. **श्री ल० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लुशाई पहाड़ियों के कुछ आदिम जातीय अभ्यर्थियों को आदिम जाति प्रविधिक संस्था, मनीपुर में दाखिल करने से इनकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने अभ्यर्थियों को दाखिल करने से इनकार किया गया है और उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, नहीं। चालू सेशन में लुशाई के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिये १३ आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे। उन में से एक विद्यार्थी मैट्रिक पास नहीं था और दाखिले के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हता मैट्रिक है। इसलिये उसके आवेदन पत्र पर विचार न किया जा सका। शेष १२ में से इन्टरव्यू के लिये केवल ६ विद्यार्थी आये थे और उन सभी को चुन लिया गया।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लक्कादीव में प्राइमरी शिक्षा

†१६०५. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीव द्वीपों में अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा चालू करने के सम्बन्ध में अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ख) उनके क्या-क्या परिणाम निकले हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई और कार्यवाही करने का भी कोई विचार है ;

(घ) यदि हां, तो क्या-क्या कार्यवाही की जायेगी ; और

(ङ) उक्त द्वीपों में इस समय कितने प्रतिशत बच्चे प्राइमरी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली** : (क) प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करने से पहले उसे शनैः शनैः फैलाया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). यह विचार है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में ६ से ११ वर्ष के सभी बच्चों के लिये अनिवार्य रूप से यह शिक्षा लागू कर दी जाये । उक्त अवधि में लागू किये जाने वाले विनियम के प्रारूप पर भारत सरकार विचार कर रही है ।

(ङ) ५३ प्रतिशत ।

ताड़ी सहकारी समिति मंडल, केरल

†१६०६. **श्री नारायणनकुट्टि मेनन :**
श्री पुन्नूस :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार को ताड़ी सहकारी समिति मंडल, केरल से यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि सरकार को बकाया राशि अदा करने की अवधि बढ़ा दी जाये और हानि के कारण बकाया राशि में छूट दे दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, हां ।

(ख) अभ्यावेदन की प्राप्ति पर केरल सरकार ने अगस्त की किस्त अदा करने की अवधि को ७-९-१९५९ तक बढ़ा दिया था और सितम्बर की किस्त को २०-९-५९ तक अदा करने की अनुमति दे दी थी । उसके उपरान्त एक और अभ्यावेदन प्राप्त होने पर सरकार ने सितम्बर की किस्त को २०-९-५९ को तिथि को ७ दिन तक और बढ़ा दिया था । यह अवधि केवल उन्हीं सहकार समितियों के लिये बढ़ायी गयी थी जिन्हें दूकानें नीलामी के बिना ही पांच वर्षों के औसत किराये के आधार पर दी गयी थीं । दो किस्तों की छूट दे देने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था ।

दिल्ली में 'चिल्ड्रन्स होम'

†१६०७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के चिल्ड्रन्स होम (बाल सदन) को बच्चों के पुनर्वास के कार्य में कुछ सफलता मिली है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सफलता मिली है ; और

(ग) चिल्ड्रन्स होम में इस समय कुल कितने बच्चे हैं और इसके लिये कितनी राशि निर्धारित की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, हां ।

(ख) सितम्बर, १९५७ से १४९ बच्चों को पुनः बसाया जा चुका है ।

(ग) २०० बच्चे हैं । चालू वित्तीय वर्ष के लिये कुल १,२७,४०० रुपये ।

रोहतांग दर्रे पर रज्जुपथ (रोपवे)

†**१६०८. श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब आदिम जातीय परामर्शदात्री परिषद् से इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है कि रोहतांग दर्रे पर एक रज्जुपथ (रोपवे) बना दिया जाये ताकि वर्ष के दस महीनों में आदिम जातीय क्षेत्रों में आना जाना संभव हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) पंजाब आदिम जातीय परामर्शदात्री परिषद् से इस प्रकार की कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु इस रोहतांग दर्रे पर रज्जुपथ बनाने के सम्बन्ध में पंजाब सरकार से प्रार्थना प्राप्त हुई है । पंजाब सरकार की इच्छा है कि इस कार्य को तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में किया जाये ।

(ख) राज्य सरकार को अनौपचारिक रूप से यह सुझाव दिया गया है कि यदि वे आवश्यक समझें तो इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण प्रारम्भ कर दें ।

नियमित अस्थायी कर्मचारी वर्ग की सूची

†**१६०९. श्री अ० मु० तारिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियमित अस्थायी कर्मचारी वर्ग की पहली सूची की तुलना में, जिसमें ग्रेड १ के क्लर्कों, अर्द्धस्थायी असिस्टेंटों और पास हुये असिस्टेंटों को ४ : ३ : १ के अनुपात में लिया गया था, इस बार की सूची में उनका कितना अनुपात है ;

(ख) उक्त वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के अनुपात में अब अपेक्षाकृत कितनी वृद्धि या कमी हुई है ;

(ग) ४ : ३ : १ के आधार पर ग्रेड १ के स्थायी कर्मचारियों के लिये रक्षित कोटे और अस्थायी असिस्टेंटों के लिये निर्धारित विशेष कोटे के अनुपात में कितनी कमी हुई है ; और

(घ) इस सूची में अस्थायी असिस्टेंटों को क्यों सम्मिलित कर लिया गया है और उन्हें अन्य सभी वर्गों के व्यक्तियों से वरिष्ठता को क्या सुविधा दी गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (घ). माननीय सदस्य संभवतः तृतीय नियमित अस्थायी कर्मचारी वर्ग की सूची की ओर संकेत कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५५]**

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था

†**१६१०. श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से १९५९-६० में भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के पी० एच० डी० के विद्यार्थियों के लिये कितनी छात्रवृत्तियां दी जायेंगी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५९-६० में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितनी छात्रवृत्तियां रक्षित की गयी हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) आठ ।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये कोई भी छात्रवृत्ति रक्षित नहीं है ।

राजस्थान में पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†**१६११. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५९ में पश्चिमी पाकिस्तान से बिना पारपत्र के राजस्थान में चोरी छिपे प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या **बढ़** गयी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत से पाकिस्तानी जो राजस्थान में पारपत्र लेकर आये थे, अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी वहां पर रह रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो जिन व्यक्तियों की अवधि समाप्त हो गयी है तथा जो बिना पारपत्र के आ गये हैं, उन्हें वापिस भेजने तथा अप्रधिकृत व्यक्तियों के घुस आने की रोक थाम करने के संबंध में अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में दक्षिण भारत की भाषायें

†**१६१२. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री २२ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७०१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में दक्षिण भारत की भाषाओं के अध्ययन के संबंध में अभी तक क्या व्यवस्था की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

दिल्ली विश्वविद्यालय ने अभी तक दक्षिण भारतीय भाषाओं के निम्नलिखित कर्मचारियों को नियुक्त किया है :—

रीडर	१ (भाषा विज्ञान)
लेक्चरार	४ (तामिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम)
पुस्तकालय सहायक	२

विश्वविद्यालय में शीघ्र ही एक और रीडर भी नियुक्त किया जाएगा ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी यह योजना प्रारम्भ कर दी गयी है ।

बम्बई विश्वविद्यालय की शिक्षा परिषद् दक्षिण भारतीय भाषाओं के पाठ्यक्रमों को शीघ्र ही निर्धारित कर देगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय एशियाई पुरातत्व संग्रहालय, नई दिल्ली

†१६१३. **श्री नरसिंहन्** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरातत्व विभाग ने नई दिल्ली का केन्द्रीय एशियाई पुरातन वस्तु संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली को सौंप दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय एशियाई पुरातन वस्तु संग्रहालय के गजेटिड तथा नान-गजेटिड कर्मचारियों के संबंध में क्या किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) उन कर्मचारियों को निम्नलिखित संगठनों में नियुक्त कर दिया गया है---राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, केन्द्रीय पुरातत्व विभाग की संग्रहालय शाखा कलकत्ता तथा रसायन शास्त्र संबंधी शाखा, देहरादून ।

दिल्ली निगम को रायल्टी की अदायगी

†१६१४. **श्री आसर :**
श्री वाजपेयी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ३० सितम्बर, १९५८ को दिल्ली नगर निगम द्वारा पारित किये गये इस संकल्प की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि निगम की सीमाओं के अन्दर आने वाले क्षेत्रों से दिल्ली प्रशासन द्वारा लाल बजरी, बदरपुर रेत, पत्थर, चिप्स, यमुना की रेत आदि पर प्राप्त की गयी रायल्टी निगम को अदा कर दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार यह रायल्टी पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, १८८७, जो कि दिल्ली में भी लागू है, तथा दिल्ली लघु खनिज नियम, १९३८ के अधीन रायल्टी वसूल कर रही है, परन्तु यदि निगम की सम्पत्ति अथवा भूमि को कोई क्षति पहुंचे, तो उसके लिये निगम प्रतिकर का दावा कर सकता है ।

अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की निर्वाचन न्यायाधिकरणों में नियुक्ति

†१६१५. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५७ से कितने अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा ८६(३) के अधीन निर्वाचन न्यायाधिकरणों में नियुक्त किया गया है ; और

(ख) निर्वाचन आयोग द्वारा उन निर्वाचन न्यायाधिकरणों पर कुल कितना खर्च किया गया है, जिनमें अवकाश प्राप्त न्यायाधीश नहीं हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) १ अप्रैल, १९५७ के बाद १४ अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा ८६(३) के अधीन विभिन्न निर्वाचन न्यायाधिकरणों में नियुक्त किया गया है।

(ख) ३० सितम्बर, १९५९ तक, उन निर्वाचन न्यायाधिकरणों पर, जिनके सभापति अवकाश प्राप्त उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नहीं हैं, कुल १,८०,०२० रुपे ४ नये पैसे खर्च हुये थे।

रॉक फैलर फंड

†**१६१६. श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में भारत के प्रत्येक राज्य के लिये रॉक फैलर फंड से कितना अनुदान आवंटित किया गया था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : रॉक फैलर फाउन्डेशन अमेरिका में प्रारम्भ होने वाला एक गैर-सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य है "सम्पूर्ण विश्व में मानवता के हित के लिये प्रयत्न करना।" यह संगठन भारत में १९२० से काम कर रहा है। इस फाउन्डेशन की ओर से प्रतिवर्ष के प्रारम्भ में ही विभिन्न क्षेत्रों, अर्थात्, चिकित्सा, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, कृषि, मानवशास्त्र, समाज विज्ञान आदि के लिये राशि आवंटित करता है। इस संबंध में फाउंडेशन द्वारा मुख्य रूप से यह सहायता उक्त विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को छात्रवृत्तियां तथा यात्रा अनुदान दिये जाते हैं। यह राशि किसी सरकार को नहीं दी जाती। १९५८-५९ में भारत की विभिन्न संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को कुल १,८४२,८५३ डालर प्राप्त हुये थे।

कृत्रिम वर्षा केन्द्र

†**१६१७. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कृत्रिम वर्षा बरसाने के प्रयोग करने के लिये आगरा और जयपुर में दो केन्द्र स्थापित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : आगरा और जयपुर में दो केन्द्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। कार्य संचालन के लिये कार्यवाही की जा रही है और १९६० के मानसून मौसम में कार्य आरम्भ हो जायेगा।

बंगलौर में प्रतिरक्षा इलक्ट्रोनिक्स कन्वेशन

१६१८. श्री ले० अचौ सिंह : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बंगलौर में हुये प्रतिरक्षा इलेक्ट्रोनिक्स कंवेशन में कोई वैज्ञानिक 'पेपर' प्रस्तुत किये गये थे ; और

(ख) क्या लेक्ट्रोनिक उपकरणों में आत्म निर्भर होने के लिये कोई सुझाव दिये गये थे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां। लेक्ट्रोनिक्स कंवेशन में ४० से अधिक वैज्ञानिक तथा टैक्नीकल 'पेपर' प्रस्तुत किये गये। उनका वर्गीकरण विभिन्न टैक्निकल विभागों के अन्तर्गत किया गया था।

(ख) सम्मेलन में निम्नलिखित मुख्य सुझाव दिये :—

(१) प्रतिरक्षा इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण तथा औजारों में देशीय पुर्जों का प्रयोग करने का अनुमोदन।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) देश में विशेष पुर्जों के निर्माण के लिये सामग्री तथा तरीकों के विकास तथा गवेषणा की गति बढ़ाना ।

(३) उत्पादन की गति बढ़ाने के तरीकों का सुधार ।

छावनियों में खेल के मैदान तथा पार्क

†१६१९. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की कितनी छावनियों में छावनी बोर्डों ने छावनी क्षेत्रों में रहने वाले युवकों और बच्चों के लिये खेल के मैदान और पार्क बनाये हैं ;

(ख) सिकन्दराबाद छावनी में लोगों के लिये कितने खेल के मैदान बनाये गये हैं ; और

(ग) पंचवर्षीय योजना में छावनी क्षेत्रों में इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये कितना उपबन्ध किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) कुल ६१ में से ४७ छावनियों में इस प्रकार की सुविधायें दी गई हैं ।

(ख) हैदराबाद राज्य केन्द्रीय खेल बोर्ड को टूर्नामेंट आदि के लिये दो खेल के मैदान पट्टे पर दिये गये हैं ।

(ग) उस राशि के अतिरिक्त जो बोर्डों ने अपने संसाधनों से दी है सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में खेल के मैदान और पार्क बनाने के लिये ८७.२५१ रुपये के सहायक अनुदान छावनी बोर्डों को दिये हैं ।

द्वितीय योजना की शेष अवधि और तृतीय पंच वर्षीय योजना में ११ छावनियों में अतिरिक्त खेल के मैदान और २५ छावनियों में और पार्क बनाने का विचार है ।

सचिव समिति

†१६२०. **श्री दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सचिवों की एक समिति स्थापित की है जो एक ही देश अथवा फर्म को दिये जाने वाले आर्डर की जांच करेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ग) समिति को अपने निर्णय करने में सुविधा पहुंचाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). कोई स्थायी समिति नियुक्त नहीं गई है । प्रत्येक मामले का निर्णय करने के लिये आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त स्तरों पर तदर्थ समितियां नियुक्त की जायेंगी । ये समितियां सरकार द्वारा दिये जाने वाले सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अन्तर्गत कार्य करेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प बचत

†१६२१. **श्री दामानी :**
श्री पद्म देव :
श्री पाणिग्रही :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हेम राज :
श्री परुलकर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें बताया गया हो कि निम्नलिखित अवधियों में अल्प-बचत का (राज्यवार) सरल तथा शुद्ध संग्रह कितना था :

(१) १ अप्रैल, १९५६ से ३१ मार्च, १९५७
(२) १ अप्रैल, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८
(३) १ अप्रैल, १९५८ से ३१ मार्च, १९५९ और
(४) १ अप्रैल, १९५९ से अब तक ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५६]**

विदेशों को प्रेषण

†१६२२. **श्री ओझा :**
श्री क० ड० परमार :

क्या **वित्त** मंत्री सभा–पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह जानकारी हो कि गत ५ वर्ष में भारत में चल रही विदेशी फर्मों और मिली जुली फर्मों ने अपने मुनाफे में से कितनी राशि विदेशी को प्रेषित की ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : १९५६–५७ से १९५८–५९ तक के तीन वर्षों की जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा–पटल पर रखा जाता है। इससे पहले की जानकारी उपलब्ध नहीं है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५७]**

त्रिपुरा में संयुक्त पदाली योजना

†१६२३. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद और त्रिपुरा प्रशासन के चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग विभागों के नान–गजेटिड कर्मचारियों की 'संयुक्त पदाली योजना' का सुझाव दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद के सभापति की पूर्व सम्मति प्राप्त कर ली गई है; और

(ग) क्या इस प्रकार की 'संयुक्त पदाली योजना' से त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद की नियुक्तियां करने की शक्ति भी प्राप्त हो जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). सरकार ने इसकी संभावना पर विचार किया है परन्तु प्रादेशिक परिषद अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत ऐसा करना सम्भव नहीं है। परिषद यदि चाहे तो केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन कर सकता है कि चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य तथा इंजीनियरिंग कर्मचारियों की सेवायें अपेक्षित संख्या में परिषद के सुपुर्द कर दी जायें। प्रादेशिक परिषद को यह बात बता दी गई है।

अगरताला में विकास योजनायें

†१६२४. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) द्वितीय योजना काल में अब तक अगरताला में कौन–कौन सी विकास योजनायें कार्यान्वित की गई हैं; और

(ख) कौन–कौन सी योजनायें कार्यान्वित की जाने वाली हैं?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जायेगी।

आदिम जाति झूमियों का पुनर्वास

†१६२५. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५५ के पश्चात अब तक त्रिपुरा के प्रत्येक डिवीजन में आदिम जाति झूमिया लोगों के पुनर्वास के दौरान में कितने भूमि सम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुए;

(ख) इन विवादों के क्या कारण थे; और

(ग) इन विवादों का अन्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) १९५३–५४ से अब तक त्रिपुरा के प्रत्येक डिवीजन में आदिम जाति झूमिया लोगों सम्बन्धी भूमि विवादों की संख्या नीचे बताई जाती है :

सब डिवीजन का नाम	भूमि विवादों की संख्या
१. उदयपुर	३
२. सबरूप	१२
३. बेलोनिया	४
४. अमरपुर	३
५. सोनामुरा	शून्य
६. खोवाई	२
७. कमलपुर	१०
८. धर्म नगर	२
९. सदर	शून्य
१०. कैला शहर	७
कुल	४३

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जोतदारों और झूमिया लोगों के बीच ये विवाद एक दूसरे की भूमि पर कब्जा करने और मेढ़ के कारण हुए।

(ग) ४३ म से २९ विवाद सरकारी कर्मचारियों द्वारा बीच बचाव करने से तय हो गये हैं और उनकी मेढ़ें निश्चित कर दी गई हैं। इसी प्रकार शेष विवादों का फैसला करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

प्राचीन स्मारकों का संरक्षण

†१६२६. **श्री नरसिंहन्** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व विभाग ने प्राचीन स्मारकों के ढांचों के संरक्षण के बारे में कोई पुस्तिका प्रकाशित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) पुस्तिका को राज्यों में लोकप्रिय बनाये के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां।

(ख) "कंजरवेशन मैनुअल" (संरक्षण नियमावली) की एक प्रति संसद पुस्तकालय में रखी गई है।

(ग) जिन राज्यों ने पुस्तिका मांगी थी उन्हें इसकी प्रतियां भेज दी गई हैं। पुस्तिका का क्षेत्र सीमित होने के कारण इसे लोकप्रिय बनाने के लिये विशेष कार्यवाही करने की कोई जरूरत नहीं है।

वार्धक्य प्राप्त सरकारी कर्मचारियों की सेवावधि बढ़ाना

†१६२७. **श्री राम गरीब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५८-५९ में दिल्ली और नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के कार्यालयों में कितने ऐसे कर्मचारियों की सेवावधि बढ़ाई गई जिनकी आयु ६० वर्ष से अधिक हो चुकी थी;

(ख) क्या यह सेवावधि बढ़ाने की सरकार की नीति के अनुकूल है; और

(ग) उन कर्मचारियों की क्या विशेष अर्हतायें हैं और कौन सी विशेष परिस्थिति में सरकार को उनकी सेवा अवधि बढ़ानी पड़ी?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में भूमि अर्जन

†१६२८. **श्री राम गरीब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में भूमि अर्जित करने का अधिकार दिल्ली के चीफ कमिशनर को प्राप्त है न कि दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर को;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि चीफ कमिश्नर द्वारा अल्प आय वर्ग समितियों से कहा जाता है कि समिति के लिये भूमि अर्जित करने के उनके आवेदनपत्र पर तभी कार्यवाही की जा सकती है जब वह पहले नगर निगम से प्रमाणपत्र प्राप्त कर लें कि उसे कोई आपत्ति नहीं;

(ग) क्या चीफ कमिश्नर शीघ्र कार्य करने के लिये प्रत्यक्षत: नगर निगम से प्रमाणपत्र ले सकता था;

(घ) इन समितियों को कौन प्राधिकारी बतायेगा कि अमुक स्थान मकान बनाने के लिये है और किसी ने उसे अर्जित नहीं किया है; और

(ङ) क्या उन समितियों के लिये यह जरूरी है कि वे भूमि अर्जित करने के लिये प्राधिकारियों से प्रार्थना करने से पूर्व गांव के पटवारियों से खसरा नम्बर और शजरे प्राप्त करें या कि चीफ कमिश्नर का कार्यालय स्वयं उन्हें प्राप्त कर लेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं ।

(घ) किसी भूमि के योग के बारे में दिल्ली नगर निगम कार्यालय से जानकारी मिल सकती है । मिल्कीयत के बारे में गांव के पटवारी के पास जानकारी उपलब्ध होती है।

(ङ) क्योंकि अर्जित की जाने वाली भूमि का ब्यौरा खसरा और शजरा द्वारा ही दिया जा सकता है इसलिये चीफ कमिश्नर से इसे अर्जित करने की प्रार्थना करने से पूर्व समिति को इसका स्वयं पता लगाना पड़ेगा।

वैज्ञानिकों का केरल से प्रव्रजन

†१६२९. **श्री अ० क० गोपालन ।**
श्री कुन्हन :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक केरल से दूसरे राज्यों में जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत में विदेशी

१६३०. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५९ के बाद से सरकार को ऐसे कितने मामलों का पता लगा है जिन में कुछ विदेशी अपने पारपत्र की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भारत में ठहरे रहे ; और

(ख) वे लोग किन किन देशों के नागरिक थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) **और** (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में भिखारियों का पुनर्वास

†१६३१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने बम्बई भिखारी अधिनियम के उपबन्धों की दिल्ली पर लागू करने की स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो भिखारियों का पुनर्वास करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). विषय विचाराधीन है।

दिल्ली में नगरीय क्षेत्र

†१६३२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार यह निश्चय किया है कि ५८ गांवों और बस्तियों को जो अब तक दिल्ली के ग्राम्य क्षेत्रों में शामिल थे नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). अगस्त, १९५९ में दिल्ली नगर निगम ने इस सम्बन्ध में एक संकल्प पारित किया था (प्रति संलग्न है) **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५८]**, दिल्ली नगर निगम **अधिनियम** १९५७ की धारा ५०७ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की मंजूरी निगम को भेजी जा रही है।

इस्पात के कारखानों के लिये कच्चे माल की खरीद

†१६३३. **श्री पाणिग्रही**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की मार्फत हमारे इस्पात के कारखानों के लिये कच्चे माल की खरीद के संबंध में संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार का है ;

(ख) राउरकेला और भिलाई में उत्पादन आरम्भ होने के बाद से कच्चे माल की कमी के कारण कितनी बार उत्पादन में बाधा पहुंची है ; और

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को नियमित संभरण सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रत्येक कारखाने में पृथक खरीद संग न हैं। कलकत्ते में उनका केन्द्रीय खरीद संगठन भी है। केन्द्रीय खरीद संगठन लौह अयस्क और चूने के पत्थर की खरीद की देख रेख करता है। कोयले का वितरण कोयला-नियंत्रक द्वारा किया जाता है। इस्पात के कारखानों को कोयले के संभरण की व्यवस्था करने के लिये धनबाद में आवश्यक स्टाफ़ सहित हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के एक उप मुख्य-परामर्शदाता (कोयला) हैं। अन्य कच्चा माल परियोजनाओं के अपने-अपने खरीद संगठनों द्वारा खरीदा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ऐसा कोई अवसर नहीं आया है जब कच्चे माल की कमी के कारण राउरकेला और भिलाई में उत्पादन में बाधा पहुंची हो।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अस्पताल से शिशु का अपहरण

†१६३४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० नवम्बर, १९५९ को गिरधारी लाल मैटरनिटी अस्पताल के सूति कक्ष से एक स्त्री ने एक नवजात-शिशु का अपहरण कर लिया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या पुलिस द्वारा बच्चे की तलाश सफल हो गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां, । उस शिशु का पता चल गया है और उसे उसकी मां के पास पहुंचा दिया गया है ।

राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा संस्थायें

१६३५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री ३ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २१३० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय महत्व की राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं के बारे में सरकार को परामर्श देने के लिये कुछ समय पूर्व नियुक्त की गई विशेष समिति ने इस बीच अपने काम में क्या प्रगति की है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : ९ सितम्बर, १९५९ को नई दिल्ली में हुई सलाहकार समिति की पहली बैठक में किये गये निश्चयों के अनुसार सम्बधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिये उच्च शिक्षा की कुछ विशिष्ठ संस्थाओं को एक प्रश्नावली भेजी जा रही है, इन पर ही समिति का कार्य आधारित होगा ।

गढ़वाल में गोपेश्वर का मन्दिर

१६३६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** ५ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९८३ के उत्तर के संबं में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गढ़वाल जिले में स्थित गोपेश्वर के मंदिर के जीर्णोद्धार के प्रश्न के बारे में इस बीच कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) उस निर्णय के अनुसार क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). मंदिर का निरीक्षण हो चुका है। उसके संरक्षण और मरम्मत के सवाल पर विचार हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अफज़लगढ़ में भूतपूर्व सैनिकों की बस्ती

१६३७. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १० दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२६० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर देश के जिला बिजनौर में अफज़लगढ़ में भूतपूर्व सैनिकों की बस्ती में विकास और उन्नति के लिये अब तक कौन से काम पूरे किये गये हैं।

(ख) इस बस्ती के पूर्ण विकास के लिये कौन-कौन से काम अभी अधूरे पड़े हैं ;

(ग) इन शेष कामों के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ; और

(घ) इन कामों को शीघ्र से शीघ्र पूरा करने के लिये क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) नवम्बर, १९५८ से नवम्बर १९५९ तक भूतपूर्व सैनिकों के अफज़लगढ़ उपनिवेश में यह काम और हो पाये हैं :—

लगभग ४२५ एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई गई है। ४१ भूतपूर्व सैनिक अधिक बसाए गए हैं और उन्हें ४१ जोड़ी बैल दिए गए हैं। स्वच्छ चीनी के कारखाने के लिये इमारत तैयार हो चुकी है और कारखाने ने काम करना शुरू कर दिया है। एक छोटा डाकघर खोला गया है। एक पंचायत घर बनाया गया है। मुरगीखानों को उन्नति देने के लिए एक केन्द्र खोला गया है। एक जूनियर हाई स्कूल की इमारत बन रही है ।

(ख) अभी १४७५ एकड़ भूमि कृषियोग्य बनानी बाकी है। एक पंचायतघर, बसने वालों के लिये २७२ मकान, एक जच्चाखाना सम्मिलित शिशु कल्याण केन्द्र, एक लोहारा सम्मिलित लकड़ी का कारखाना, एक पशुचिकित्सालय बनाना बाकी है। एक छोटा डाकघर, चार प्राईमरी स्कूल, ४ बच्चों के खेल के मैदान खोले जाने हैं। ग्रामोण उद्योगों को चलाना है।

(ग) तथा (घ). उपनिवेश का क्रमशः विकास हो रहा है, और उपनिवेश में आबादी बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी है विभिन्न कार्य सम्पन्न हो रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्राम्य उच्चतर शिक्षा परिषद्[1]

†१६३८. **श्री कुन्हन :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ग्राम्य उच्चतर शिक्षा परिषद् ने जुलाई, १९५९ में दिल्ली में एक परीक्षा ली थी ;

(ख) यदि हां, तो इस परीक्षा में कितने उम्मीदवार बैठे थे ;

(ग) कितने उम्मीदवार सफल घोषित किये गये;

(घ) कितने उम्मीदवार नौकरी पाने में समर्थ हो गये हैं ; और

(ङ) सफल उम्मीदवारों को उचित नौकरियां दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) से (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]National Council for Rural Higher Education.

विवरण

(क) राष्ट्रीय ग्राम्य उच्चतर शिक्षा परिषद् ने जुलाई, १९५९ में दिल्ली में कोई परीक्षा नहीं ली थी। लेकिन अप्रैल-मई, १९५९ में उसने ग्राम्य सेवाओं सम्बन्धी डिप्लोमा कोर्स के लिये एक अखिल भारतीय परीक्षा ली थी और जामिया रूरल इन्स्टीच्यूट भी अनेक केन्द्रों में से एक था। परीक्षा-फल की घोषणा १३ जून, १९५९ को की गई थी।

(ख) कुल २३५ उम्मीदवारों में से २५ उम्मीदवार जामिया रूरल इंस्टीच्यूट के केन्द्र से बैठे थे।

(ग) इन पच्चीस उम्मीदवारों में से २० सफल घोषित किये गय थे।

(घ) जहां तक सूचना उपलब्ध है जामिया केन्द्र के इन २० उम्मीदवारों में से एक को और अन्य के १३८ में से ४३ उम्मीदवारों को नौकरियां मिल गई हैं।

(ङ) सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की सलाह से शिक्षा मंत्रालय ने सफल उम्मीदवारों के नाम राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के विकास आयुक्तों के पास भेजे थे। सामान्य प्रक्रिया यह है कि इन विद्यार्थियों को काम दिलाऊ दफ्तरों में नाम लिखाने चाहियें और इन्हें ऐसा ही करने की सलाह दी गई थी। दिल्ली राज्य के विकास कार्यक्रम के अधीन पदों की संख्या सीमित होने के कारण इन विद्यार्थियों को अन्य राज्यों में कोशिश करनी पड़ती है। नौकरी देने के प्रयोजन के लिये विभिन्न राज्यों ने इस डिप्लोमा को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की प्रथम डिग्री के समकक्ष मान लिया है और ये विद्यार्थी उन नौकरियों के अधिकारी हैं जिनके लिये न्यूनतम अर्हता बी० ए० की डिग्री हो, और इन्हें अन्य उम्मीदवारों के साथ मौके की ताक़ में रहना पड़ता है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा की विशेष भर्ती

१६३९. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में हुई, भारतीय प्रशासनिक सेवा की विशेष भर्ती की परीक्षा में सफल हुये ऐसे उम्मीदवारों की संख्या क्या है जिन्हें अब तक नियुक्ति के आदेश-पत्र नहीं मिले हैं; और

(ख) इतनी देर के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) पांच।

(ख) खुली विशेष भर्ती के सफल उम्मीदवारों को राज्य सरकारों ने अपने आई० ए० ऐस० काडर के उपलब्ध रिक्त स्थानों पर नियुक्त कर लिया है। बाकी पांच उम्मीदवारों को भी अपने आई० ए० ऐस० काडर में लेने के लिये उनसे अब भी कहा जा रहा है।

बैंक

†१६४०. **श्री नागी रेड्डी :**
श्री दे० वें० राव :
श्री राममू :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में बैंकों ने कुल कितना आयात-निर्यात व्यापार निबटाया; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५६ और १९५७ की तुलना में यह कैसा बैठता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). १९५७ और १९५८ में भारतीय बैंकों ने जिस आयात और निर्यात में रुपया लगाया उनकी कीमत (नमूना विश्लेषण के आधार पर) नीचे की तालिका में दी गई है :—

(करोड़ रुपयों में)

	१९५७	१९५८
आयात . .	३२५·६	२२०·६
निर्यात . . .	२०४·५	२०१·४

१९५६ के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

बेसिक स्कूलों के अध्यापक

†१६४१. **श्री कुम्भार** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों के अधीन बेसिक स्कूलों में कितने अध्यापक १० वर्ष या उस से अधिक समय से काम कर रहे हैं और अभी स्थायी नहीं बनाये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

पंजाब में हाई स्कूलों के अध्यापक

†१६४२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के उच्चतर ग्रेड के हाई स्कूलों के हेड मास्टरों के वेतन-क्रमों में वृद्धि के लिये पंजाब सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है या दी जाने वाली है; और

(ख) यदि हां, तो १९५८–५९ में ऐसी कितनी सहायता दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कांगड़ा और होशियारपुर ज़िलों में भूतपूर्व सैनिक

†१६४३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के कांगड़ा और होशियारपुर ज़िलों में कितने भूतपूर्व सैनिकों को अभी तक खेती के लिये जमीन दी गई है; और

(ख) अब तक उन्हें अन्य क्या सहायता दी गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) कांगड़ा ९

होशियारपुर १५२

(ख) बसने वालों को जलवायु विषयक परिस्थितियों, जमीन की किस्म, भूमि के परिमाण और बसने वालों के स्वरूप के आधार पर ट्रैक्टरों, बैलों, औजारों, कुओं, नल कूपों, मकानों और पंचायत-घरों, बीज-गोदामों, औषधालयों और स्कूलों जैसी सार्वजनिक इमारतों के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार की सहायता दी जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में छात्रवृत्तियां

†१६४४. **श्री शि० न० रामौल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हिमाचल प्रदेश में उच्चतर और प्रविधिक शिक्षा के लिये जो विभिन्न छात्रवृत्तियां दी जाती हैं उनका भुगतान नहीं किया जाता ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) जरूरत-मंद विद्यार्थियों को भुगतान सुगम बनाने के लिये क्या तरीका अपनाया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). कुछ मामलों में छात्रवृत्तियों का समय से भुगतान नहीं किया जा सका। यह इस कारण हुआ कि इनके सम्बन्ध में जो प्रक्रिया अपनाई गई वह काफी विस्तृत थी। प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लिये संयुक्त आई० ए० एस० और आई० पी० एस० पदाली

†१६४५. **श्री शि० न० रामौल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त आई० ए० एस० पदाली के पद कब भरे जायेंगे; और

(ख) संयुक्त आई० पी० एस० पदाली की स्थापना कब की जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) चार पदाधिकारी नियुक्त किये जा चुके हैं। शेष पद भी यथासमय भर दिये जायेंगे।

(ख) यह प्रश्न विचाराधीन है ।

सिविल सप्लाई और बिक्री कर विभाग

१७४६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन का असैनिक संभरण (सिविल सप्लाइज़) तथा बिक्री कर विभाग अब भी अस्थायी विभाग समझे जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां।

(ख) इन दोनों विभागों को स्थापित करते समय इनका काम स्थायी नहीं समझा गया था और इसी लिये इन्हें अस्थायी रखा गया। हाल ही में सरकार को इन विभागों को स्थायी घोषित करने के बारे में सुझाव मिला है और इस मामले पर गौर किया जा रहा है ।

भिलाई का इस्पात का कारखाना

†१६४७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात, खान और इंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई के इस्पात कारखाने की दूसरी धमन भट्टी निर्धारित समय पर चालू कर दी गयी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) भिलाई की दूसरी धमन भट्टी द्वारा दिसम्बर, १९५९ में किसी समय उत्पादन आरम्भ होने की आशा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में आयकर की वसूली

†१६४८. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में १९५८–५९ में आयकर सर्किलों में निर्धारित और वसूली के आंकड़े कितने हैं ; और

(ख) पंजाब के विभिन्न सर्किलों में घट-बढ़ होने के क्या कारण हैं ; और उसी अवधि में प्रत्येक सर्किल में कितने-कितने निर्धार्य थे ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय सेना-छात्र दल

†१६४९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में इस समय राष्ट्रीय सेना-छात्र दल में कुल कितने लोग हैं ; और

(ख) वहां कितने डिवीजन कार्य कर रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय सेना-छात्र दल के तीनों डिवीजन, अर्थात, सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन और गर्ल्स डिवीजन, कार्य कर रहे हैं । ३०–११–१९५९ को राष्ट्रीय सेना-छात्र दल की वास्तविक संख्या इस प्रकार थी :

सीनियर डिवीजन	सेना-छात्र	
आर्मी विंग		१४२
जुनियर डिवीजन		
आर्मी ट्रुप्स		१,०१४
गर्ल्सस डिवीजन		
जूनियर विंग		२९८
	जोड़	१,४५४

यह सेना छात्रों की अधिकृत संख्या १,७२३ में से है । अधिकृत संख्या को १३६० से बढ़ा कर १७२३ कर देने का निर्णय अक्तूबर, १९५९ में ही हुआ था और यह आशा की जाती है कि कमी शीघ्र ही पूरी कर दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में ब्रारी से कारोनेशन पिलर तक की सड़क

†१६५०. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के डिप्टी-कमिश्नर ने ब्रारी गांव से कारोनेशन पिलर (दिल्ली) तक एक पक्की सड़क बनाने के बारे में सरकार को एक प्रतिवेदन दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सड़क के महत्व को ध्यान में रखते हुये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) से (ग). यमुना की हाल की बाढ़ के बाद जब दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ब्रारी गांव के बाढ़-पीड़ितों का निरीक्षण करने गये थे तब इस सड़क की आवश्यकता की ओर उनका ध्यान दिलाया गया था। क्योंकि यह मसला दिल्ली नगरपालीय निगम के क्षेत्राधिकार के भीतर का था इसलिये डिप्टी-कमिश्नर ने यह सवाल उनसे उठाया। निगम अधिकारियों ने इस बीच सड़क के निर्माण की एक योजना परिवहन तथा संचार मंत्रालय को भेज दी है। बाढ़ के दौरान में क्योंकि इस क्षेत्र का अधिकांश भाग जलमग्न हो जाता है इसलिये प्रविधिक विशेषज्ञ सड़क के संरेखण की जांच पड़ताल कर रहे हैं। संरेखण निर्धारित होने के पश्चात सरकार इस योजना पर विचार करेगी।

कोलम्बो योजना की बैठक

†१६५१. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलम्बो योजना के देशों की एक बैठक हाल ही में इंडोनेशिया में हुई थी और

(ख) यदि हां, तो जिन विषयों पर चर्चा हुई उनका व्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां।

(ख) बैठक की रिपोर्ट का मसविदा सदस्य देशों द्वारा पुष्टि की प्रतीक्षा में है और आशा है कि यह जनवरी, १९६० तक प्रकाशित हो जायेगा।

सदा की तरह रिपोर्ट की प्रतियां यथासमय संसद-पुस्तकालय में रख दी जायेंगी।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमिततायें

†१६५२. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री खुशवक्त राय :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कुछ वित्तीय अनियमिततायें होने की खबर है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी जांच करने के लिये कोई समिति नियुक्त की गयी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद ने इस प्रयोजन के लिये एक समिति नियुक्त की है ।

(ग) १. प्रो० जी० सी० चटर्जी ।
२. प्रो० ए० आर० वाडिया ।
३. श्री कर्त्तारसिंह मल्होत्रा ।
४. श्री आर० पी० नायक ।

डा० बी० पट्टाभिसीतारामय्या का निधन

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचना देनी है कि डा० बी० पट्टाभिसीतारामय्या का आज प्रातः हैदराबाद में देहान्त हो गया है । उनकी आयु ७९ वर्ष की थी ।

वह एक महान देशभक्त थे और उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिये बहुत बलिदान दिया । वह आन्ध्र-प्रदेश के एक महान सपूत थे । डा० सीतारामय्या १९४६–४९ में संविधान सभा के और तत्पश्चात अन्तर्कालीन संसद के सदस्य रह चुके थे । १९५२–५७ में वह मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे।

हम इस महान मित्र के निधन पर शोक प्रकट करते हैं ; मैं समझता हूं कि शोकग्रस्त परिवार के प्रति सभा अपनी समवेदना प्रकट करती है ।

सदस्यगण शोक प्रकट करने के लिये एक मिनट तक मौन खड़े हों ।

इसके पश्चात् सदस्य एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे।

विशेषाधिकार का प्रश्न

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री वाजपेयी से एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना मिली है जिसमें कहा गया है कि प्रतिरक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में इस सभा को विश्वास में लेने के बजाय, एक सार्वजनिक सभा में उसकी घोषणा की है । प्रस्ताव में कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि वह शिक्षा संस्थाओं में अनिवार्य सैनिक शिक्षा को संगठित करने का प्रयत्न कर रहेहैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्थिति है और उन्होंने यह वक्तव्य कब दिया था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : मैं समझता हूं कि शायद राष्ट्रीय छात्र सेना दल दिवस पर दिये गये भाषण का उल्लेख किया गया है ; उस दिन बम्बई के राज्यपाल के भाषण के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना दल के विस्तार के बारे में निर्देश किया गया था । राष्ट्रीय छात्र सेना दल के आकार के बारे में संसद द्वारा कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है । इसका विस्तार राष्ट्रीय छात्र सेना अधिनियम (१९४८ का इकतीसवां) के अधीन किया जा सकता है और इसके द्वारा अधिक अनुशासित जनसंख्या की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुये बहुत से छात्रों का प्रशिक्षण किया जा सकता है । कोई राष्ट्रीय सेवा योजना नहीं बनाई गई है, जैसा कि बताया गया है । माननीय सदस्य ने

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा में प्रस्तुत एक संकल्प का भी जिक्र किया है। जब मैंने वह भाषण दिया था उस समय यह संकल्प सभा के सामने नहीं था और फिर वह एक दूसरे विषय के बारे में है, जिससे उसका कुछ सम्बन्ध हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता था कि विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रश्न उठाने के बजाय सभा राष्ट्रीय छात्र सेना का विस्तार करने के प्रयत्नों का स्वागत करेगी।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सभा प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा की गई इस घोषणा का स्वागत करती परन्तु यह घोषणा जब सभा का सत्र चालू है तब सभा में ही की जानी चाहिये थी। इस समय लोक सभा में श्री प्रकाश वीर शास्त्री का अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में, गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत है। माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने बम्बई में यह घोषणा की कि २५ हजार युवकों को सैनिक शिक्षा दी जानी चाहिये। आप सभा में बता चुके हैं कि मंत्रियों को महत्व-पूर्ण घोषणायें सभा में ही करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि चूंकि उन्होंने यह घोषणा सभा के बाहर की है इसलिये यह प्रश्न सभा के विशेषाधिकारों के उल्लंघन का प्रश्न बन जाता है और इसलिये हमको विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये।

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि यह मामला विशेषाधिकार के उल्लंघन का नहीं है। यदि सभा के सत्र के समय भी कोई मंत्री नीति विषयक कोई घोषणा सभा के बाहर करता है तो हाउस-आफ-कामन्स में यह निर्णय किया जा चुका है कि वह विशेषाधिकार के उल्लंघन में नहीं आता है। इसको सौजन्यता का उल्लंघन कहा जा सकता है। जब सभा का सत्र होता हो तो उस समय सभी नीति विषयक मामलों की घोषणा सभा में की जाती है। इस नियम का इस सभा में कई वर्षों से पालन किया जाता रहा है।

इस मामले के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि यह सिर्फ राष्ट्रीय छात्रसेना दल के विस्तार का मामला है और इसके बारे में उन्हें किसी स्वीकृति आदि के लिये सभा के सामने आने की जरूरत नहीं। नई नीति की घोषणा के बारे में माननीय मंत्री ने बताया है कि उसके बारे में एक संकल्प प्रस्तुत किया जायेगा जिस पर सभा में चर्चा होगी। लेकिन यदि इस बारे में कोई घोषणा कर भी दी गई होती तो भी उसको विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है; परन्तु साथ ही मैं यह आशा करता हूं कि माननीय मंत्रिगण सभा के प्रति इस प्रकार के विषयों में सौजन्यता बरता करेंगे। जहां तक इस मामले का संबंध है इस बारे में माननीय मंत्री ने सौजन्यता का भी उल्लंघन नहीं किया है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली बिक्री कर नियमों में संशोधन

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में लागू बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, १९४१ की धारा २६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिल्ली बिक्री कर नियम १९५१ में कुछ और संशोधन करने वाली दिल्ली गजट में प्रकाशित दिनांक २६ नवम्बर,

---

†मूल अंग्रेजी में

१९५९ की अधिसूचना संख्या एफ०/४(५४)/५९ वित्त (ई) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—१७९७/५९]

व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी सामान्य करार के पन्द्रहवें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिवेदन

†**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार के संविदाकारी पक्षों के २६ अक्तूबर से २१ नवम्बर, १९५९ के बीच टोकियो में हुए पन्द्रहवें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—१७९८/५९]

संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं संविधान के अनुच्छेद ३२३ (१) के अन्तर्गत १ अप्रैल, १९५८ से ३१ मार्च १९५९ तक की अवधि के लिये लोक सेवा आयोग के नवें प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—१७९९/५९]

मद्रास मोटरगाड़ी करारोपण अधिनियम के अधीन जारी की जाने वाली अधिसूचना

†**श्री दातार** : मैं राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक ३१ जुलाई, १९५९ को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ख) के साथ पठित मद्रास मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम १९३१ की धारा १७ की उप–धारा (३) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या टी० बी० ४–३६००८ /५८/पी० डब्ल्यू० जिसमें उक्त अधिनियम की अनुसूची २ में संशोधन का प्रारूप दिया हुआ है, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—१८००/५९]

मद्रास मोटरगाड़ी करारोपण अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना

†**श्री दातार** : मैं राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के संबंध में जारी की गई दिनांक ३१ जुलाई १९५९ की उद्घोषणा के खण्ड (ख) के साथ पठित मद्रास मोटरगाड़ी अधिनियम १९३१ की धारा ११ की उप–धारा (२) के अधीन केरल गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या १७५५१/५९/पी० डब्ल्यू० टी० आई की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—१८१७/५९]

केरल बांट तथा माप (प्रवर्तन) नियमों में संशोधन

†**श्री दातार** : मैं राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के संबंध में जारी की गई दिनांक ३१ जुलाई १९५९ की उद्घोषणा के खण्ड (ख) के साथ पठित केरल बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम, १९५८ की धारा ४३ की उप–धारा (५) के अन्तर्गत केरल गजट में प्रकाशित

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल बाट तथा माप (प्रवर्तन) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) दिनांक ७ जुलाई, १९५९ की संख्या १९६०३/ई१/५९/रेव० ।
(दो) दिनांक १२ जून, १९५९ की संख्या १४५८७/ई१/५९/रेव०।
(तीन) दिनांक ११ अगस्त, १९५९ की संख्या २२५३७/ई१/५९/रेव०।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—१८०१/५९]

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियमों में संशोधन

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० ब० गोपाल रेड्डी)** : श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा की ओर से मैं समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९५९ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं—

(एक) दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १३२५ ।
(दो) दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १३२६ ।
(तीन) दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १३२७ ।
(चार) दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १३२९ ।
(पांच) दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १३३० ।
(छै) दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १३३२ ।
(सात) दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १३३३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—१८०२/५९]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

डा० बे० गोपाल रेड्डी : श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा की ओर से मैं समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० सख्या १३३४।
(दो) दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १३३५ ।
(तीन) दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १३३६ ।
(चार) दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १३३८ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—१८०३/५९]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि लोक-सभा द्वारा २ दिसम्बर, १९५९ को पारित केरल राज्य विधानमंडल (शक्तियों का

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रत्यायोजन) विधेयक, १९५९ को राज्य–सभा ने अपनी १४ दिसम्बर, १९५९ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

युवक समारोह, मैसूर में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

†**श्री केशव** (बंगलौर नगर): नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें:—

"मैसूर में हुए युवक समारोह में विद्यार्थियों पर गोली चलने और लाठी चार्ज करने की की कथित घटना।"

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर): श्रीमान मेरा एक औचित्य प्रश्न है। यह मामला विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने के बारे में है; हाल में ही आपने कानपुर गोलीकांड को राज्य में शांति व्यवस्था का प्रश्न बताकर उसे यहां उठाने की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन मैसूर घटना को उठाने के लिये आपने इजाजत दे दी है।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर): श्रीमान मैंने भी इस बारे में एक स्थगन प्रस्ताव रखा था।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैंने माननीय मंत्री महोदय से इसके बारे में पूछा था और उनका कहना है कि युवक समारोह केन्द्र का विषय है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में मेरा यह कहना है कि स्थगन प्रस्ताव ऐसा सीधासा प्रस्ताव नहीं होता है कि जिसको जब चाहा तब प्रस्तुत कर दिया जाये। यह किसी गंभीर मामले के बारे में होना चाहिए। यदि मैं किसी स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता तो इसका यह अर्थ नहीं कि अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाने की सूचना के रूप में भी उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

यदि कोई विषय केन्द्र से संबंधित है तो मैं निश्चय उसकी ग्राह्यता पर विचार करता हूं। लेकिन स्थगन प्रस्ताव ही तो एक तरीका नहीं है।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: अब तक अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह दिल्ली में होता था और इसका प्रबन्ध भारत सरकार करती थी। परन्तु कुछ ऐसा ख्याल हो रहा था कि इस समारोह पर दिल्ली वालों का ही ठेका क्यों रहा चला आये; इसको विश्वविद्यालयों के अन्य कन्द्रों में भी किया जाना चाहिए। प्राक्कलन समिति ने भी अपने चौहदवें प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि यह समारोह बारी बारी से विभिन्न विश्व विद्यालयों के नगरों में किया जाना चाहिए। इसलिए यह निणय किया गया कि भविष्य में यह समारोह देश के विभिन्न भागों में हो और इसका प्रबन्ध स्वयं विश्वविद्यालयों द्वारा ही किया जाये। तद्नुसार दक्षिण के विभिन्न विश्व-विद्यालयों को पत्र लिखे गये; मैसूर विश्वविद्यालय ने इस समारोह को करने की इस

---

†मूल अंग्रेजी में

शर्त पर जिम्मेदारी ली कि सरकार इसके प्रबन्ध का व्यय उठाये । भारत सरकार ने उनकी इस बात को स्वीकार कर लिया और इसीलिए समारोह इस वर्ष मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया । समारोह के प्रबन्ध की पूर्ण जिम्मेदारी विश्वविद्यालय पर थी। परन्तु मंत्रालय ने विश्व विद्यालय को, अपने पहले अनुभवों के आधार पर, यथा संभव था सभी प्रकार का परामर्श दिया ।

दुर्भाग्यवश समारोह में कुछ गड़बड़ हो गई जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति मर गया और अन्य कुछ व्यक्तियों को चोटें आईं। ऐसा मालूम होता है कि गड़बड़ी स्थानीय कालिजों के विद्यार्थियों की इस मांग के कारण आरंभ हुई कि समारोह के दौरान में सभी कालिज बन्द रहें और सभी कालिजों के सभी विद्यार्थियों को अडिटोरियम में निःशुल्क आने दिया जाय और उनको एकलव्य पुरा कैम्पस में जहां विभिन्न विश्वविद्यालयों के भाग लेने वाले विद्यार्थी ठहरे थे, बिना रोक टोक घुसने की अनुमति हो। विश्वविद्यालय की समारोह समिति ने प्रतिदिन एक हज़ार विद्यार्थियों को अन्दर आने का प्रबन्ध किया था। ऑडिटोरियम में २५,०० व्यक्तियों के बैठने का स्थान था जिस में से १५,०० भाग लेने वाले विद्यार्थी थे। इसलिए विद्यार्थियों की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता था। स्थानीय विद्यार्थियों को समारोह में भाग लेने का अवसर देने के लिए, विश्व-विद्यालय ने पहले घोषणा कर दी थी कि समारोह की अवधि में नगर का प्रत्येक कालिज एक दिन के लिये बन्द रहेगा और उस दिन उस कालिज के विद्यार्थी तथा अध्यापक समारोह देख सकें। उनके लिए प्रवेश शुल्क २ रुपये से कम करके १ रुपया प्रति व्यक्ति कर दिया गया था।

८ दिसम्बर, १९५९ को प्रातः विद्यार्थियों की एक भीड़ ने कैम्पस में अनधिकृत रूप से घुसना चाहा परन्तु जब वह अन्दर नहीं घुस पाये तो उन्होंने पत्थर फेंकना आरम्भ कर दिया जिसके परि-णाम स्वरूप सम्पति को कुछ नुक्सान पहुंचा । शांति से भीड़ को तितर बितर करने के पुलिस के सभी प्रयत्न निष्फल हो गए ; तब पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और जब इस से भी काम न चला तो गोली चलानी पड़ी ।

कैम्पस में रहने वाले विद्यार्थियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और वहां का वातावरण शांत बना रहा । ९ दिसम्बर को कैम्पस के आस-पास दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ लागू कर दी गई ।

इस से स्पष्ट है कि गड़वड़ कैम्पस के बाहर हुई और राज्य के उपयुक्त अधिकारियों ने शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए उचित कार्यवाही की। केन्द्रीय सरकार का उस से कोई सम्बन्ध नहीं था।

१२ दिसम्बर को मैसूर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने हमें जो सूचना भेजी है उस से पता चलता है कि स्थिति सामान्य है और भाग लेने वाले सभी विद्यार्थी सुरक्षित हैं और कार्य-क्रम योजना के अनुसार हो रहा है ।

समिति के लिए निर्वाचन

प्राक्कलन समिति

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३११ के उप-नियम (१) के साथ पठित नियम २५४ के उप-नियम (३) के द्वारा अपेक्षित रूप में, श्री मथुरादास माथुर के स्थान पर, जिन्होंने

त्याग पत्र दे दिया है, ३० अप्रैल, १९५६० को समाप्त होने वाली शेष अवधि के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये, अपने में से एक सदस्य चुनें।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३११ के उप-नियम (१) के साथ पठित नियम २५४ के उप-नियम (३) के द्वारा अपेक्षित रूप में, श्री मथुरादास माथुर के स्थान पर, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, ३० अप्रैल, १९६० को समाप्त होने वाली शेष अवधि के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये, अपने में से एक सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

चीनी (विशेष उत्पादन शुल्क) अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प तथा चीनी (विशेष उत्पादन शुल्क) विधेयक

श्री खुशवक्त राय (खेरी) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मेरे नाम पर है, उसको सबसे पहले मैं पढ़ देना चाहता हूं और ऐसा करने के लिये मैं आप की आज्ञा चाहता हूं। वह इस प्रकार है :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा २५ अक्तूबर, १९५९ को प्रख्यापित चीनी (विशेष उत्पादन शुल्क) अध्यादेश, १९५९ (१९५९ का अध्यादेश संख्या ३) का अनुमोदन करती है।"

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मुझे अपने विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ताकि विधेयक और संकल्प दोनों पर एक साथ विचार किया जा सके।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

चूंकि यह संकल्प तथा माननीय मंत्री का प्रस्ताव दोनों परस्पर सम्बन्धित हैं। अतः माननीय मंत्री भी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं और माननीय सदस्य दोनों पर एक-साथ विचार करेंगे।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि कुछ प्रकार की चीनी पर विशेष उत्पादन शुल्क लगाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : स्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री खुशवक्त राय : श्रीमन् मैं इसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि स सदन में पिछली बार १४ अगस्त को शूगर के मामले में वाद-विवाद हुआ था और उस वाद-विवाद के बाद ही हमारे

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य मंत्रालय में परिवर्तन हुआ, यहां तक कि हमारे मंत्री जी भी बदल गये । हमारे माननीय मंत्री जी के बदलने के साथ ही साथ बहुत सी और भी चीजें बदलीं, जैसे मकान बदल गया, मंत्रालय के कर्मचारी बदल गये, मंत्रालय की मेज कुर्सियां बदल गईं, मंत्रालय के टेलीफोन नम्बर त्यादि बदल गये सब चीजें तो बदलीं परन्तु सरकार की वह अभागी नीति, जिस के कारण गन्ने की काश्त करने वालों का शोषण होता है, गन्ने की काश्त करने वालों का गला घोंटा जाता है, नहीं बदली । श्रीमन्, जब वर्तमान मंत्री जी नियक्त हुए थे, तब मुझे उन से बड़ी बड़ी आशायें थीं और मैं समझता था कि माननीय मंत्री के पदारूढ़ होने के बाद गन्ने के काश्तकारों को भी कुछ अच्छा लाभ मिलेगा परन्तु मुझको ऐसा दिखाई पड़ता है कि खाद्य मंत्रालय जो है, वह एक लीक में पड़ गया है, एक रट में पड़ गया है और उस रट में से किसी के लिए भी जो उस में पड़ जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है । एक दोहा है जो श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

लीकै लीक चलति है, कायर कूर कपूत
लीक छाड़ि के चलति हैं सायर, सूर सपूत ।

श्रीमन्, मुझ को तो यह आशा थी कि हमारे मंत्री जी अपने को सपूत सिद्ध करेंगे परन्तु वह भावना जो मेरी थी, वह गलत निकली । मुझ को अफसोस के साथ आज फिर यह कहना पड़ता है कि मंत्री महोदय की तथा खाद्य मंत्रालय की जो नीति शूगर के मामले में है और जो बरताव उसका गन्ने के काश्तकारों के साथ है, वह मुनासिब नहीं है, उचित नहीं है ।

अब आप देखिये, श्रीमन्, कि यह आर्डिनेंस, यह अध्यादेश २५ अक्तूबर को निकाला गया था और १६ नवम्बर को यह सदन बैठने वाला था । सदन कब बैठने वाला है, इसका सभी को बहुत पहले मालूम था । इतना होने पर भी इस आर्डिनेंस को निकाला गया, इसकी क्या वजह है ? यह भी आपको मालूम है, श्रीमन्, कि इससे बहुत पहले से जो नीति चली आई थी, जैसे शूगर एक्सपोर्ट प्रामोशन आर्डिनेंस निकाला गया था जिसे कि पुराने मंत्री जी ने निकाला था, उससे वर्तमान मंत्री महोदय ने भी समझ लिया कि हां यह रास्ता तो खुला हुआ है, एक अध्यादेश निकाल दो और अध्यादेश निकाल दिया गया और सदन की कोई परवा नहीं की गई । अब आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि अध्यादेश निकालने से क्या होता है । सदन जब बैठा होता है, तब जो इस तरह की बात होती है वह सदन के सामने आती है और उस में कुछ संशोधन चाहें तो हो सकता है । परन्तु जब अध्यादेश जारी कर दिया जाता है और बाद में उसको स्वीकृति के लिए इस सदन के सामने पेश किया जाता है तो यह एक मान-प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है सरकार के लिए कि जब अध्यादेश बना है तो उसी तरह से विधेयक भी पास हो । अगर यह विधेयक के रूप में हमारे सामने आता तो यह सम्भव था कि इस में कोई ऐसा संशोधन हो जाता जिससे कि काश्तकारों को कुछ फायदा पहुंच जाता । यह बात हो सकती थी । परन्तु जब अध्यादेश बन गया, आर्डिनेंस जारी हो गया तब तो यह सरकार के लिए मान-प्रतिष्ठा की बात हो गई और वह चाहेगी कि जिस तरह का अध्यादेश बना है उसी तरह का विधेयक पास हो जाये ।

हमारी सरकार की तरफ से यह दावा किया जाता है कि हमारा प्रजातांत्रिक राज्य है, हमारे यहां डेमोक्रेसी है । परन्तु आज जब हम आर्डिनेंस के जरिये से राज करना चाहते हैं, कोई भी बात हो, छोटी से छोटी बात भी चाहे क्यों न हो उसके लिए इस बात का फायदा उठा लिया जाता है कि सदन बैठा हुआ नहीं है और आवश्यकता हो या न हो, अध्यादेश निकाल दिया जाता है, तो इससे प्रजातंत्र का कहां तक मेल बैठता है, यह सोचने वाली बात हो जाती है । आपके जरिये, अध्यक्ष

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अध्यादेश द्वारा हुकूमत करने की जो नीति है, उसको बदला जाना चाहिए ।

अब श्रीमन्, जो अध्यादेश निकला है, उसके ऊपर मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं । सरकार की तरफ से एक बिल भी पेश किया गया है जिस का नाम है शूगर (स्पेशल एक्साइज़ ड्यूटी) बिल । इसके स्टेटमेंट आफ आबजैक्ट्स एंड रीजंस जो दिये गये हैं, उस में तीन बातें कही गई हैं । पहली बात तो यह कही गई है कि गन्ने का मूल्य बढ़ाना है जब गन्ने का मूल्य बढ़ाना है इसलिए शूगर के दाम भी बढ़ाने होंगे और तीसरे शूगर के जब दाम बढ़ाने हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि यह ड्यूटी लगा दी जाये । ये तीन बातें हैं, जिन पर कि मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहूंगा । यही तीनों बातें अध्यादेश में हैं और यही तीनों बिल के आब्जैक्ट्स एंड रीजंस में भी हैं । एक के बाद दूसरी बात आती है । पहले गन्ने का मूल्य बढ़ाना, गन्ने के मूल्य बढ़ाने के कारण शूगर का मूल्य बढ़ाना और शूगर के मूल्य बढ़ाने के कारण एक्साइज़ ड्यूटी का लगना ।

जहां तक गन्ने के मूल्य बढ़ाने का सम्बन्ध है उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सन् १९५७ से ही जब से कि यह सदन शुरू हुआ यानी दूसरी लोक सभा शुरू हुई, तब से ही बराबर इस बात की चर्चा यहां होती रही है और यह मांग की जाती रही है कि गन्ने के दाम बढ़ने चाहियें । १८ दिसम्बर, १९५८ को जब इस सदन ने इस मामले पर बहस की थी उस समय यह कहा गया था उन माननीय मंत्री जी के द्वारा, जो उस समय थे, कि गन्ने के दाम नहीं बढ़ने चाहियें और वे इसलिए नहीं बढ़ने चाहियें क्योंकि शूगर की जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, वह बड़ी रेग्यूलेटिड इंडस्ट्री है, बड़ा रेग्यूलेटिड उद्योग है । उसके बाद आपने देखा कि इस रेग्यूलेटिड इंडस्ट्री में १९५९ में कितना पया चोर-बाज़ारी में कमाया गया । श्रीमन्, उनके लिए तो चोर-बाज़ारी करके पया कमाने की इजाज़त और हमारे काश्तकारों का मुंह बन्द, यह कहां का न्याय है । गन्ना वह पैदा करे, मेहनत वह करे और मूल्य उसी को सब से कम मिले । अब आप देखें कि मूल्य कौन मुकर्रर करते हैं । मूल्य मुकर्रर करने वाले वे लोग हैं जिन्होंने कभी खेत का मुंह नहीं देखा है, जो खेत के नज़दीक नहीं गये हैं, एक बिस्वा गन्ना भी नहीं बोया । आप मंत्रालय को देखें और मंत्रालय के ऊपर प्लानिंग कमिशन जो बैठा हुआ है, उसको देखें, उन दोनों को क्या अनुभव है, गन्ने की काश्त का ? कुछ भी नहीं है ।

अब आप देखें कि गन्ने के सन् १९५२-५३ में क्या मूल्य निर्धारित किये गये थे और उसके बाद आज के दिन कितनी महंगाई बढ़ गई है । काश्तकार जिन चीज़ों को खरीदता है उन सब के दाम बढ़ गये हैं । कपड़ा वह खरीदता है, उसके दाम काफी बढ़ गये हैं । तम्बाकू वह खरीदता है, उस पर एक्साइज़ ड्यूटी काफी बढ़ गई है । ट्रैक्टर आते नहीं हैं और अगर आते भी हैं तो काफी महंगे मिलते हैं । इस तरह से आप देखें तो आपको पता चलेगा कि उन सभी चीज़ों के, जिनको कि वह इस्तेमाल करता है, दाम बढ़ गये हैं । इतना होने पर भी गन्ने का मूल्य वही है । ऐसी सूरत में मुझे यह निवेदन करना है कि गन्ने का जो मूल्य मुकर्रर हुआ है वह कम है और वह इसलिए भी कम है कि गन्ना पैदा करने में जो लागत आती है वह एक रुपया बारह आने से अधिक आती है ।

मुझे आश्चर्य होता है कि शूगर का मूल्य ठीक है या नहीं, यह जानने के लिए तो टेरिफ कमिशन की सलाह मांग ली जाती है और यह राय शायद पांच बार मांगी जा चुकी है लेकिन उससे यह राय कभी नहीं मांगी गई कि गन्ने का मूल्य क्या होना चाहिए । मुझे यह भी मालूम हुआ है

कि अभी हाल ही में यह मामला टैरिफ कमिशन के सामने गया था और उसने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है लेकिन बदक़िस्मती हमारी यह है कि वह रिपोर्ट आज तक इस सदन के सामने रखी नहीं गई है। शायद उस पर सरकार ने अभी कोई फैसला ही नहीं किया है। रिपोर्ट आ गई है, यह मुझ को मालूम है। १९५० में जब टेरिफ कमिशन के सामने यह मामला गया था तो उसने कहा था कि २७ रुपये शूगर के दाम हों तब एक रुपया सात आने गन्ने के दाम होने चाहियें। आज ४४–४५ रुपये मन शूगर बिक रही है और मिल का दाम जो है वह ३७ रुपये ७५ नए पैसे है और ऐसी सूरत में गन्ने का दाम क्या होना चाहिए इसका आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं। सन् १९४७–४८ में जब शुगर का मूल्य ३५ रुपये ७ आने था उस समय गन्ने का मूल्य दो रुपया मन था और आज जब कि शूगर का मूल्य ३७ रुपये ७५ न० पै० है तो आप काश्तकार को क्या देते हैं? एक बार यही सरकार तै कर चुकी है कि अगर ३५ रुपये ७ आने शूगर का मूल्य हो तो गन्ने का मूल्य दो रुपया मन होना चाहिए। यह तो मैं मानता हूं कि मंत्री जी के बदल जाने के बाद लोगों में यह समझ आई कि गन्ने का मूल्य बढ़ना चाहिये, और गन्ने का मूल्य बढ़ाया भी गया, लेकिन जितना बढ़ना चाहिये था उतना नहीं बढ़ा। मैं समझता हूं कि अगर इस गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ता है तो उस का शूगर के उत्पादन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आप देखिये कि आज के दिन गुड़ का क्या मूल्य है। गुड़ बीस रुपया मन बिकता है। अगर इस के हिसाब से आप लगाइये तो काश्तकार को गन्ने के १ रु० १० आ० लेने के बजाय गुड़ बनाने में अच्छा पड़ता पड़ता है। आप चाहते यह हैं कि शकर का उत्पादन बढ़े। जो स्टेमेंट रक्खा गया है उस में आप ने कहा भी है कि शकर के उत्पादन का इन्सेन्टिव या प्रोत्साहन देने के लिये आप गन्ने के दाम बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप गन्ने की कीमत बढ़ा रहे हैं तो इस में गुड़ की कीमत का भी तो ख्याल कीजिये। अगर गुड़ की कीमत ज्यादा है और गन्ने की कीमत आप काश्तकार को कम दिलवाते हैं तो जाहिर सी बात है कि काश्तकार मिल को गन्ना नहीं देगा। आप दूसरे मुल्कों की बात देखिये। आस्ट्रेलिया भी एक पूंजीवादी देश है। हम तो उस से जरा आगे बढ़ गये हैं परन्तु वह अभी पूंजीवादी देश है। उस में जो गन्ने का मूल्य है उस की तरफ आप ध्यान दीजिये। वहां पर चीनी का दाम ४२८ रु० ६ आ० ४ पाई प्रति टन है, और गन्ने का दाम ३१६ रु० ३ आ० मिलता है। लेकिन हमारे यहां क्या स्थिति है? यहां पर चीनी का दाम ५६४ रु० ४ पाई है प्रति टन लेकिन गन्ने का मूल्य काश्तकार को ३५६ रु० १४ आ० मिलता है। दूसरे देशों को आप देखिये। पाकिस्तान में २ रु० १ आ० गन्ने का मूल्य है। इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि जो गन्ने का मूल्य होना चाहिये था वह आप नहीं कर पाये। मुझ को भी यही शिकायत है कि आज गन्ने का मूल्य २ रु० मन होना चाहिये था। लकड़ी भी हमारे शहर में २ या सवा २ रु० मन बिकती है। दिल्ली में आज मैंने पूछा तो वह साढ़े तीन रुपया मन बिकती है। पर गन्ने की कीमत १ रु० १० आ० है। लकड़ी के पैदा करने में कोई मेहनत नहीं है, कोई सिचाई नहीं होती, कोई गोड़ाई नहीं होती। परन्तु गन्ने की खेती में जो बोआई काश्तकार अक्तूबर में करता है उस में तो कम मेहनत होती है लेकिन जो जनवरी और फरवरी में बोआई करता है उसे उस में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मई और जून की धूप-लू वह अपने बदन पर लेता है। इतनी मेहनत कर के जब वह गन्ना पैदा करता है तो उसको मिल में उस की कीमत मिलती है १ रु० १० आ० मन, इस लिये कि इस में मिल मालिकों को फायदा है। मुझे बताया गया है कि जितनी शुगर मिलें हिन्दुस्तान में हैं उन के मालिक ४६ परिवार हैं। उन ४६ परिवारों के फायदे के लिये गन्ने के जो काश्तकार हैं, जिन की तादाद करोड़ों की है, उन का शोषण किया जाता है।

आज मैं आप को उत्तर प्रदेश की बात बतलाता हूं। वहां आज के दिन हड़ताल चल रही है। मैं भी वहां से कल ही आया हूं। मैं ने देखा कि गन्ने के काश्तकार गन्ना मिलों में नहीं लाते हैं।

क्यों नहीं ला रहे हैं? इस लिये नहीं ला रहे हैं कि वह समझदार हो गये हैं। हम उन से नहीं कहते हैं कि तुम गन्ना न लाओ लेकिन वह समझते हैं कि उन को गन्ने को उतने मूल्य पर नहीं देना चाहिये। इस लिये आज गन्ना मिलों में नहीं आ रहा है। जो ६९ मिलें हमारे उत्तर प्रदेश में हैं उन में से ३७ ऐसी हैं जिन के कल बन्द होने का खतरा है। कुछ तो मिलें ऐसी हैं जो पहले ही बन्द हो गई। मैं हर गांव से निकला तो वहां मुश्किल से ३ या ४ गाड़ियां कांटे पर थीं। गाड़ियां आई ही नहीं। १५ तारीख से हड़ताल शुरू हुई। मैं आप को हथगांव की मिसाल बतलाता हूं। १५ तारीख से हड़ताल शुरू होने वाली थी, लेकिन काश्तकार पहले से ही फैसला कर चुके थे कि गन्ना नहीं ले जाना है। १५ तारीख को उन्होंने मिल बन्द कर दिया लेकिन १६ तारीख को जब मिल चली तो वहां पर गन्ना ही नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि गन्ने का मूल्य बढ़ाइये क्योंकि उस का सम्बन्ध उस हड़ताल से है जो आज उत्तर प्रदेश में हो रही है। इस पर आप को विचार करना चाहिये और गन्ने का मूल्य बढ़ा देना चाहिये। आप भी जानते हैं कि जो गन्ने का मूल्य है वह मुनासिब नहीं है। उन्होंने यह इच्छा भी प्रकट की है मिलों से कि अगर वह गन्ना अधिक लेना चाहती हैं तो उन को चाहिये कि वह गन्ने का मूल्य अपने आप बढ़ा दें। हमारे मिल मालिक जो हैं, आप जानते हैं, वह कोई परोपकार के लिये मिल नहीं चला रहे हैं और आप के बिना आदेश दिये ऐसा नहीं हो सकता कि वह अपने आप दाम बढ़ा दें। आप आदेश देंगे तो वह मानेंगे क्योंकि मैं समझता हूं कि इस में उन का कोई नुक्सान होने वाला नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय**: चूंकि गन्ने का मूल्य बढ़ गया है। अतः चीनी का मूल्य भी बढ़ गया है। प्रश्न यह है कि इसका लाभ मिल मालिकों को क्यों लेने दिया जाये? यही मुख्य बातें हैं। माननीय सदस्य अन्य बातों की चर्चा क्यों कर रहे हैं?

श्री खुशवक्त राय: जो कुछ मैं कह रहा हूं उस का सम्बन्ध इन्हीं तीन बातों से है। आप देखिये कि शुगर एक्साइज ड्यूटी लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। इस लिये कि शकर का मूल्य बढ़ा। शूगर का मूल्य क्यों बढ़ा? इस लिये कि गन्ने का मूल्य बढ़ रहा है। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि गन्ने का मूल्य कम बढ़ना, शुगर का मूल्य बढ़ना और एक्साइज ड्यूटी का लगना यह तीनों बातें गलत हैं। इस लिये गलत हैं कि जो गन्ने का मूल्य है उसे जितना बढ़ना चाहिये वह उतना नहीं बढ़ा। शकर का मूल्य बढ़ना नहीं चाहिये था .....

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: चूंकि गन्ने का मूल्य बढ़ा कर १ रु० १० आने कर दिया गया अतः चीनी का मूल्य भी बढ़ गया है। सरकार चाहती है कि चीनी के कारखानों के मालिकों के पास जो चीनी भण्डार हैं, उसे बढ़े हुये मूल्य पर बेचने से जो लाभ हो वह मिल मालिकों के पास न जाये बल्कि सरकार के पास आये।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं समझता हूं कि विरोधी दल के लोग भी यही चाहते हैं कि यह अधिक लाभ मिल मालिकों के पास न जाने पावे।

†**श्री विमल घोष** (बैरकपुर): यह विधेयक चीनी के भंडार पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाता है। यदि यह अस्वीकृत हो जायेगा, तो चीनी का मूल्य नहीं बढ़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : मैं मानता हूं कि अतिरिक्त लाभ को सरकार मिल मालिकों से वसूल करे पर चीनी का मूल्य नहीं बढ़ना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि यह अध्यादेश का विधेयक पारित नहीं होगा, तो भी चीनी का दाम तो कम नहीं हो जायेगा । इस विधेयक द्वारा तो चीनी का मूल्य नहीं बढ़ाया गया है ।

†**श्री विमल घोष** : पर इस विधेयक को लाने का कारण यही है कि चीनी का मूल्य बढ़ गया है ।

†**श्री स० का० पाटिल** : जी नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : चीनी या गन्ने का मूल्य केन्द्रीय सरकार न तो नहीं बढ़ाया है । माननीय सदस्य चाहते हैं कि गन्ने की कीमत बढ़ने के बाद भी चीनी की कीमत न बढ़े । यदि यह विधेयक पारित नहीं होगा, तो मिल मालिकों को ही लाभ होगा ।

अध्यक्ष महोदय : चीनी का मूल्य बढ़ने की बात माननीय सदस्य खाद्य स्थिति संबंधी वाद विवाद में कह सकते हैं । अभी यह वाद विवाद समाप्त नहीं हुआ है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : पर चीनी का मूल्य तथा गन्ने का मूल्य दोनों परस्पर संबद्ध बातें हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं चीनी के मूल्य संबंधी मामले पर खाद्य संबंधी वाद विवाद में बोलने की अनुमति दूंगा और माननीय मंत्री उसका उत्तर देंगे ।

†**श्री विमल घोष** : प्रश्न तो यह है कि अध्यादेश को समझदारी के साथ नहीं निकाला गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सवाल यह है कि क्या सभा चाहती है कि बढ़े मूल्य का लाभ मिल मालिक हड़प कर लें या सरकार उसे ले, यही इस विधेयक का उद्देश्य है । मैं इस विषय पर चर्चा की अनुमति देने को तैयार हूं । पर मैं समझता हूं कि खाद्य संबंधी वाद विवाद में इन बातों को उठाया जाये । इस संबंध में केवल विधेयक संबंधी बातें ही उठाई जायें । यदि माननीय सदस्य चाहते तो चीनी का मूल्य बढ़ाये जाने के विषय पर ढाई घण्टे की चर्चा की अनुमति मैं दे देता ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : विधेयक व अध्यादेश की आलोचना करने के बजाय उन्हें चर्चा के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य चाहें तो चीनी के मूल्य की वृद्धि के संबंध में मैं ढाई घण्टे की चर्चा की अनुमति दे सकता हूं ।

श्री खुशवक्त राय : मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह तय है जैसा कि आप ने कहा कि शुगरकेन और शुगर प्राइस के बारे में दो घण्टे का समय दिया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बशर्ते कि यह बात खाद्य स्थिति संबंधी वाद विवाद में नहीं उठाई जायेगी । आप अपना भाषण समाप्त करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री खुशवक्त राय : श्रीमन्, आपने यह कहा कि अगर यह बिल थ्रो हो जाय तो उसका क्या असर होगा तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह बिल अगर थ्रो हो जाय तो यह मिनिस्ट्री खत्म हो जायेगी और सारा कैबिनेट खत्म हो जायेगा। इसलिए श्रीमन् ऐसी बात नहीं है कि अगर बिल थ्रो हो जाय तो उसका क्या होगा। श्रीमन्, मैं ने आपको शुगरकेन के बारे में भी बता दिया और थोड़ा सा यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्य मंत्री जी हैं उन्होंने उसका हिसाब लगवाया था कि शुगर का क्या मूल्य आता है तो उस हिसाब से उन्हें यह पता चला कि ३३ रुपये २५ नये पैसे और ३३ रुपये ३४ नये पैसे की बनती है, ३४ रुपये की शुगर बन गयी तो उस ३४ रुपये की जो शुगर बनी उसमें फिर मूल्य बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी ? और अगर यह शुगर का मूल्य नहीं बढ़ता तो यह आर्डिनेंस फिर नहीं आता और इसकी कोई जरूरत ही नहीं होती। श्रीमन् मैं यह जानना चाहता हूं कि एक्सचैकर को क्या अधिकार है कि वह उस रुपये को अपने पास रक्खे। गन्ना काश्तकारों ने दिया और काश्तकारों के उस गन्ने से चीनी बनी जिसका कि आपने मूल्य बढ़ाया और यह जो चीनी के दाम आपने बढ़ाये तो उसका लाभ आप उस गन्ने के काश्तकार को नहीं देते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अन्याय है क्योंकि जब आपने चीनी के दाम बढ़ाये तो गन्ना जिससे कि वह चीनी बनी उसका लाभ गन्ना उत्पादकों को भी मिलना चाहिए था। लेकिन सरकार तो वही चीज कर रही है जैसे दो बिल्लियों में झगड़ा हुआ और बंदर ने बांट करके सारी रोटी हज्म करनी शुरू कर दी और तमाम रोटी खा गया।

श्रीमन्, चूंकि आपने कह दिया है कि आप इस पर फिर डिबेट एलाऊ करेंगे इसलिए मैं और अधिक न कह कर बैठ जाता हूं।

श्री ब्रजराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस आर्डिनेंस की भावना और उद्देश्य का मैं स्वागत करता हूँ लेकिन साथ ही मैं ने इस सदन में कई बार इसका विरोध किया है कि सरकार को अपने आर्डिनेंस बनाने की जो ताकत है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और उसके पीछे उद्देश्य यह रहा है कि आर्डिनेंस बना कर सरकार सदन को विश्वास में नहीं लेना चाहती है लेकिन जिस वक्त यह आर्डिनेंस बना उस वक्त मैं समझता हूं कि सरकार के सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वह खुद आर्डिनेंस बना कर और जो रुपया सरकार की गलत नीति के कारण शुगर फक्टरीज के मालिकों को मिल रहा था वह रुपया अपने खजाने के लिए लेती और इसलिए मैं इस आर्डिनेंस का स्वागत करता हूं लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आर्डिनेंस बनाने की ताकत का इस्तेमाल सरकार को कम से कम करना चाहिए और हो सके तो ऐसा नियम बनाना चाहिए कि आर्डिनेंस बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठे।

असल में जहां तक कि इस गन्ने की कीमत को बढ़ाने का सवाल है और उससे सम्बन्धित जो चीनी को कीमत बढ़ाई गई और जिसके कि कारण यह आर्डिनेंस बनाना पड़ा तो वह सवाल ऐसा नहीं था जो कि २५ अक्तूबर को पैदा हो गया था। वह तो उससे पहले बहुत दिनों से चला आ रहा था। आखिर गन्ने की कीमत बढ़ाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के काश्तकार पिछले दो, तीन साल से लगातार आन्दोलन करते रहे हैं, सरकार के सामने मांगें पेश करते रहते हैं लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने उस पर कोई उचित ध्यान नहीं दिया और सरकार हमेशा यह कहती रही कि यह तो राज्य का प्रश्न है और इसलिए हम अर्थात् केन्द्रीय सरकार उस पर कोई विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं और जब उन्होंने विचार किया तो ऐसे वक्त में किया जब

कि सदन बैठ नहीं रहा था और जब कि लोक-सभा का अधिवेशन हो नहीं रहा था। इसलिए मैं तो समझता हूं कि अगर सरकार पहले से सतर्क रहे तो उसे भविष्य में इस प्रकार के आर्डिनेंस को बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पहले से इस बात को देखती रहे कि क्या जनता की मांगें हैं और क्या जनता की तकलीफें हैं और उन तकलीफों को जब हमारा सदन बैठा रहता है तो क्या उसके सामने नहीं ला सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इनको सदन के सामने लाया जा सकता है और अगर ऐसा सरकार करना शुरू कर दे तब फिर किसी आर्डिनेंस के बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इस आर्डिनेंस के भी बनाने की जरूरत न पड़ती। अब प्रश्न यह उठता है कि कहीं यह गलतफहमी न पैदा हो जाय उन लोगों के प्रति जिन्होंने कि आर्डिनेंस का विरोध करने के लिए प्रस्ताव किया है कि उनका शायद यह मशविरा है कि आर्डिनेंस के पीछे जो भावना और उद्देश्य है उसका वे विरोध कर रहे हैं तो मैं यह चीज साफ कर देना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है और किसी की भी ऐसी भावना नहीं है। सरकार की गलत नीति के कारण जो मिलओनर्स ज्यादा मुनाफा उठाने वाले थे उसको वह रोकती लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब गन्ने की कीमत बढ़ाई तो क्या चीनी की कीमत बढ़ाने की जरूरत थी? मेरा तो कहना है कि गन्ने की कीमत बढ़ने से चीनी की कीमत बढ़ाने का कहीं कोई प्रश्न नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, आपने आदेश दिया है कि मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रक्खूं हालांकि इससे सभी मामले सम्बन्धित हैं। मैं यह सिद्ध करने को तैयार हूं कि २ रुपये प्रतिमन गन्ने की कीमत देने के बाद भी आपको ३२ रुपये से ज्यादा शक्कर की कीमत देने की जरूरत नहीं है और उसी में उनका सारा मुनाफा आ सकता है। आश्चर्य तो यह है कि सरकार की तरफ से यह देखने की कोशिश नहीं की जाती है कि हम जब गन्ने की कीमत बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ शुगर की कीमत बढ़ाने की जरूरत है भी या नहीं, कोई इस प्रश्न को देखता ही नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं ने सोमवार और मंगलवार को २½ घण्टे चीनी तथा गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में चर्चा के लिये तय किये हैं। सोमवार को इस मामले को उठाने की मैं अनुमति दूंगा।

†**श्री ब्रजराज सिंह**: खत्म करने से पहले मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं। इस बात की ओर मैं सरकार का विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सरकार को मालूम है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने की हड़ताल हो रही है। मैं तथ्यों में नहीं जाना चाहता। सरकार की सूचना है कि ६ मिलों में हड़ताल है और हमारी सूचना है कि ६३ मिलों में हड़ताल है। मेरे मित्र श्री शिब्बन लाल सक्सेना का, जो कि इस माननीय सदन के एक माननीय सदस्य हैं, आज ही एक तार आया है जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की ६९ मिलों में से ६३ में हड़ताल है। यह मामला विवादास्पद हो सकता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न ऐसा है कि जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ना पैदा करने वाले ३५ लाख परिवारों का सम्बन्ध है। इस पर सहानुभूति के साथ विचार किया जाना चाहिए। आपने निर्णय किया है कि इस प्रश्न पर सोमवार को बहस होगी। मैं नहीं चाहता कि यह हड़ताल एक मिनट भी ज्यादा चले। मैं चाहता हूं कि सरकार इस को प्रतिष्ठा का सवाल न बनाए। जहां तक हमारा सवाल है हम इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं समझते। सरकार चाहती है कि उत्पादन का नुकसान न हो और हम भी यही चाहते हैं। इसलिए मैं आशा करूंगा कि सरकार इस प्रश्न पर सहानुभूति से विचार करेगी और बहस समाप्त होने के साथ ही ऐसा कदम उठाएगी कि हड़ताल समाप्त हो और चीनी के उत्पादन में कमी होने की कोई आशंका न रहे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : इस विधेवक तथा अध्यादेश के सम न्ध में किसी को आपत्ति नहीं मालूम पड़ती। सिर्फ यह बात उठाई गई है कि क्या अध्यादेश निकालना आवश्यक था और क्या सरकार को अध्यादेश निकालना चाहिए था।

हम गन्ने का मूल्य बढ़ाकर कृषकों की मदद करना चाहते थे और वह हम ने कर दिया। उत्तर प्रदेश और बिहार से लगातार मांग हो रही थी कि गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया जाये। अतः हमने यह उचित समझा कि गन्ने का मूल्य ३ आने बढ़ा दिया जाये। बाद में मूल्य बढ़ा भी दिया गया। जब यह किया गया था मिलों के पास १·९ लाख टन का चीनी का भण्डार था और हम यह नहीं चाहते थे कि इसका अनुपयुक्त लाभ उन्हें मिल अतः हमने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क २·५२ ० प्रति हण्डरवेट बढ़ा दिया। इस बात पर किसी को आपत्ति नहीं है। मुझे खुशी है कि इस मामले मे सभा सर्वसम्मति से इसे स्वीकार करती है।

गन्ने का मूल्य बढ़ने के बाद चीनी का मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं इस बारे में खाद्य मंत्री तथा उपमंत्री उत्तर देंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बात की चर्चा के लिए अलग से प्रस्ताव श्री ब्रजराज सिंह, श्री खुशवक्त राय तथा अन्य माननीय सदस्य दे सकते हैं। मैं ने अनुमति दे दी है।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा २५ अक्तूबर, १९५९ को प्रख्यापित चीनी (विशेष उत्पादन शुल्क) अध्यादेश १९५९ (१९५९ का अध्यादेश संख्या ३) का अननुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कुछ प्रकार की चीनी पर विशेष उत्पादन शुल्क लगाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ से ५, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ से ५, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : मैं प्रस्ता॰ करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : मैं इस बात पर पुरजोर आपत्ति करता हूं कि ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक सत्र के अंतिम चरण में प्रस्तुत किया जा रहा है । वस्तुत: यदि हम इन मोटे प्रतिवेदनों का अध्ययन करें तो ज्ञात होगा कि सारा संरक्षण निर्माताओं के हितों को ध्यान में रख कर किया जा रहा है । यह उचित नहीं है । वस्तुत: जब हम किसी उद्योग को संरक्षण देते हैं और इस योजन के लिये कुछ शुल्क आरोपित करते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिये कि इसके परिणामस्वरूप उस उद्योग को कितना लाभ हुआ । यह संरक्षण जारी रहता है और अधिकांश कुछ विशिष्ट उद्योग-पतियों को ही दिया जाता है और सभा को कभी इस बात से अवगत नहीं किया जाता है कि इस से कितना मुनाफा हुआ ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

उदारहण के लिये मैं अलोह धातु उद्योग को लेता हूं । इस क्षेत्र में हमारे देश की खानों का उपयुक्त विकास नहीं हुआ है और जो खानें हैं वे कुछ ही उद्योगपतियों के हाथों में हैं जब कि देश के सैंकड़ों छोटे उद्योगों और लाखों कारीगरों को इन धातुओं पर निर्भर रहना होता है । स्थिति यह है क पीतल व तांबें की चादरें निश्चित मूल्य से दुगुनी और तिगुनी कीमत पर बिक रही हैं। एक ओर हम उद्योग की सुरक्षा के नम पर संरक्षण दे रहे हैं दूसरी ओर उसके वितरण की ओर हमारा कोई ध्यान नहीं है जसके परिणामस्वरूप स्वयं निर्माताओं ने जाली नामों से कम्पनियां खोली हुई हैं और अपने वितरक नियुक्त किये हुए हैं ।

प्रशुल्क आयोग ने यह सिफारिश की थी कि धातु नियंत्रण आदेश का संशोधन किया जाय यह नहीं किया गया है न प्रशुल्क आयोग की कई उपयोगी सिफारिशों पर ही अमल किया गया है । इसका यह प्रभाव हुआ है कि उन उद्योगपतियों का जिनका इस उद्योग पर एकाधिकार है इस पर एकाधिकार बढ़ता जा रहा है। पिछली बार मैं ने यह मांग की थी कि इन उद्योगों के लागत लेखापालों का प्रतिवेदन सदस्यों को उपलब्ध किया जाय, लेकिन मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी वह उपलब्ध नहीं किया गया है । जो जांच की गई है वह भी बिल्कुल औपचारिक और दिखावे के लिये की गई है । यह जांच बम्बई में की गई है जब कि छोटे छोटे उपभोक्ता मद्रास और कलकत्ता में हैं । उन लोगों को कोई औपचारिक सूचना नहीं भेजी जाती है और न उनकी एवज म राज्य सरकारों को ही कुछ सूचना दी जाती है । राज्य सरकारों को ऐसी जांच के संबंध में अवश्य जानकारी भेजी जानी चाहिये । यदि मंत्रालय की वकास शाखा में इस कार्य के लिये पर्याप्त व्यक्ति नहीं ह तो प्रशुल्क आयोग को चाहिये था कि वे राज्यों को तत्संबंधी जानकारी प्रदान करती ।

सोडा एश उद्योग को बहुत पहले से संरक्षण मिला हुआ है तथापि धोबियों को अभी भी सोडा नियंत्रित कीमत में उपलब्ध नहीं होता है जब कि इस उद्योग ने इस संरक्षण द्वारा बहुत लाभ कमा लिया है । इस प्रकार संरक्षण देने का कोई महत्व नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वें० प० नायर]

यद्यपि प्लास्टिक उद्योग को बहुत समय से संरक्षण दिया गया है तथापि अब भी भारत में निर्मित प्लास्टिक त्रुटिरहित नहीं होता है ।

अब मैं साबूदाना उद्योग की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । संरक्षण के फल-स्वरूप इस उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है और इसके निर्यात की पर्याप्त संभावनायें हैं तथापि इसके निर्यात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

संरक्षण के कारण टेपिओका उद्योग का भी विकास हुआ है । टेपिओका की खेती हजारों एकड़ जमीन में होती है और १४,५०० व्यक्ति इस उद्योग में काम करते हैं । इन में से ११,००० व्यक्ति अनियमित कर्मचारी हैं जिन को अपने रोजगार के सम्बन्ध में किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि इस उद्योग को संरक्षण देने से इन कर्मचारियों को क्या लाभ हुआ ?

कम्पनियों के मालिक किस प्रकार शुल्क बचाते हैं इस सम्बन्ध में मैं आपको एक उदाहरण देता हूं । कार्बोरेंडम यूनीवर्सल लिमिटेड कम्पनी ने अपनी अमरीकी सहकारी कम्पनी को एक पत्र में लिखा कि वे कुछ आयातों के लिए लायसेंस प्राप्त कर चुके हैं लिहाजा वे उन्हें परिवर्तित नामों से भेजें जिससे कि उन पर शुल्क कम लगे । मैं ने इसकी एक फोटोस्टेट कापी मंत्री महोदय को भी भेजी थी लेकिन मुझे इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं मिला ।

चक्कियों के सम्बन्ध में काफी शिकायतें हैं । प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के बावजूद भी इस उद्योग को यह अनुमति प्रदान की गई है कि वह अपने दो चार एजेन्ट नियुक्त करे जो कारखाने में एक दो सप्ताह रह कर चला जाये ।

प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि सरकार ने अलौह-धातु निर्माताओं से कुछ ब्यौरे मांगे थे लेकिन उन्होंने सरकार को कोई उत्तर नहीं दिया । वस्तुतः सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रही है और यदि करती भी है तो केवल छोटे छोटे निर्माताओं के विरुद्ध ।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में दिलचस्पी रखने वाले सदस्यों को बुला कर एक सम्मेलन करें जिससे कि प्रशुल्क आयोग की जांच को और अधिक सफल बनाने तथा संरक्षित उद्योगों पर आश्रित रहने वाले श्रमिकों के हितों के सम्बन्ध में विचार किया जा सके ।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : उद्देश्य तथा कारणों के विवरण से मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई है कि संरक्षता प्राप्त उद्योगों की संख्या में कमी की जा रही है और अब जिन उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया है उनकी संख्या बहुत कम है ।

श्री वें० प० नायर ने मुनाफे के प्रश्न पर बहुत जोर डाला है । लेकिन मैं सरकार का ध्यान दूसरे पहलू की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । वह पहलू श्रम सम्बन्धी पहलू है । केवल संरक्षण देना ही पर्याप्त नहीं है, हमें यह देखना चाहिए कि क्या हम लोग ज्यादा मजूरी तो नहीं दे रहे हैं या हमारे मजदूरों का उत्पादन कम तो नहीं है, यदि ऐसा है तो हमें उन कारणों को दूर कर उत्पादन बढ़ाना चाहिए । मैं आशा करता हूं प्रशुल्क आयोग इस ओर भी विचार करेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं सर्वप्रथम यह भ्रांति दूर करना चाहता हूं कि मंत्रालय को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई जल्दी नहीं है और न हम ने अध्यक्ष महोदय से इसके लिए कम समय रखने को कहा। पिछली बार भी मैं ने अध्यक्ष महोदय से यह निवेदन किया था कि इन महत्वपूर्ण विधेयकों के लिए, जितना समय सदस्य चाहें उतना समय दिया जाय। तथापि यह ज्ञात होता है कि जो माननीय सदस्य इस विषय में दिलचस्पी रखते हैं वे कार्य मंत्रणा समिति में नहीं हैं। श्री वें० प० नायर ने भी यह शिकायत की है कि यह विधेयक अकस्मात प्रस्तुत किया गया है और वे इसके लिए तैयार नहीं थे, तथापि यदि उन्होंने प्रतिवेदन के ग्यारह से चौदह पृष्ठों को ध्यान से पढ़ा होता तो सभा में इस मामले में अधिक लाभदायक चर्चा हुई होती।

प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदनों में हम ने नई मदें ११ से १४ शामिल की हैं। उन से संरक्षित उद्योगों की उत्पादन प्रवृत्ति, थोक कीमतें तथा उनकी अनुमानित मांग और पूर्ति का पता चलता है।

हमने सदस्यों को जो सारांश परिचालित किया है उसमें संरक्षित और असंरक्षित उद्योगों की आवश्यकतायें और उन उद्योगों के उत्पादन के पहलू दिये गये हैं। इस विधेयक के अधीन जैसा कि श्री आचार ने कहा कई उद्योगों से संरक्षण हटाया जा रहा है जब कि बहुत थोड़े उद्योगों में संरक्षण जारी रखा गया है या दिया गया है। अधिकांश उद्योगों का उत्पादन ३० प्रतिशत से बढ़ कर ७० प्रतिशत हो गया है इससे देश की औद्योगिक क्षमता का पता चलता है।

श्री नायर ने मुनाफे का प्रश्न उठाया है, प्रशुल्क आयोग नियमित रूप से संरक्षित उद्योगों में मुनाफे को जांच करता है, तथा सीमेंट, कागज, चीनी, इस्पात इत्यादि की कीमतों की जांच के सम्बन्ध में उनकी कीमतों तथा उद्योग के मुनाफे पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या मंत्री महोदय यह बता सकते हैं कि उक्त उद्योगों में से किसी एक को प्रोत्साहन देने के परिणामस्वरूप उस उद्योग को कुल कितना मुनाफा हुआ ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मुनाफा केवल संरक्षण देने के कारणों से नहीं अपितु कई कारणों से होता है इन्हें संतुलन पत्र में दिखाया गया है। जांच से यह पता नहीं चल सकता कि केवल संरक्षण से कितना लाभ हुआ। उदाहरण के लिए कागज उद्योग में २६ प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। उद्योग के मुनाफे को ही आधार मान कर उसके लागत ढांचे का संशोधन किया गया है। प्रशुल्क आयोग ने यह निश्चित किया है कि कुछ मामलों में लाभ, लगाई गई पूंजी के ८ प्रतिशत से १२ प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। वस्तुतः मैं सभा से निवेदन करूंगा कि वे इन बहुमूल्य प्रतिवेदनों का अध्ययन करें जिन में कई उद्योगों के विभिन्न आर्थिक पहलुओं पर जांच की गई है।

यथार्थ अर्थों में प्रशुल्क आयोग, उपभोक्ता आयोग है। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही वे किसी उद्योग की उत्पादन क्षमता पर विचार करते हैं। श्रम या श्रम-कल्याण के प्रति प्रशुल्क आयोग का कोई दायित्व नहीं है। इस सम्बन्ध में विचार करने के लिए मजूरी बोर्ड तथा भारत सरकार की कई आर्थिक संस्थायें तथा राष्ट्रीय विकास निगम इत्यादि हैं। निसंदेह उत्पादन क्षमता बढ़नी चाहिए और कई मदों में यह बढ़ रही है इतना ही नहीं कारखानों में प्रति घंटा उत्पादन भी बढ़ा है। मैं ने इस सम्बन्ध में अभी हाल हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने का उल्लेख किया था। यही बात सूती कपड़ा, कागज तथा अन्य कई उद्योगों के मामले में हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

उत्पादन व्यय उत्पादन क्षमता से भिन्न है। प्रशुल्क आयोग मुख्यतः इस विषय पर विचार करता है कि किस प्रकार का संरक्षण दिया जाय। जहां तक उत्पादन क्षमता का प्रश्न है, भारतीय श्रमिक की प्रति व्यक्ति प्रति घंटा उत्पादन क्षमता में निश्चित वृद्धि हुई है।

पिछली बार मैं ने सभा के समक्ष सरकार का यह विचार रखा था कि वह कुछ उद्योगों के लागत व्यय का विचार करने और यह देखने के लिए कि कुछ वस्तुओं के मामले में हमारा लागत व्यय अपेक्षाकृत अधिक क्यों है सदस्यों की एक तालिका नियुक्त करना चाहती है, सरकार भारत के कुछ बड़े उद्योगों यथा सूती कपड़े, सीमेंट, चीनी, हल्का इंजीनियरिंग सामान, बाइसिकल, कागज व रेयन तथा अन्य उद्योगों के लागत व्यय का अध्ययन करने के लिए ६ तालिकायें नियुक्त करना चाहती है। इनसे उद्योगों के लागत व्यय पर प्रकाश पड़ेगा और यह ज्ञात होगा कि श्रम, व्यवस्था और कारखाने के आकार का उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुझे सभा को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता है कि विधेयक में शामिल सभी उद्योगों ने चाहे वे संरक्षित हैं या असंरक्षित काफी सफलता प्रदर्शित की है। विधेयक में प्रदर्शित प्रतिशत उत्पादन वृद्धि से यह स्पष्ट है कि भारतीय उद्योगों की दशा पर्याप्त संतोषजनक है यद्यपि ये दस ग्यारह उद्योग भारत में उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या का नगण्य अंश है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस विधेयक का समर्थन करेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खण्ड १ और २, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ और २, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं ने यह विशिष्ट प्रश्न उठाया था कि आयात किये जाने वाले तांबे और जिंक के पहुंचते मूल्य और बिक्री मूल्य में क्रमशः १००० रु० और १२०० रु० का अन्तर है। प्रशुल्क आयोग ने भी इसका जिक्र किया है। लेकिन मंत्री महोदय ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया।

†**श्री मनुभाई शाह** : सदस्य महोदय के अनुपस्थित रहने के कारण मैं ने इस सम्बन्ध में विस्तार से नहीं कहा। तांबा नियंत्रण आदेश विचाराधीन है और उसके सम्बन्ध में विस्तार से अध्ययन किया जा रहा हैं। पिछले साढ़े तीन वर्षों से, जब से यह आदेश लागू है, वस्तुतः प्रत्येक छोटे या बड़े पैमाने के उपभोक्ता को तांबा ३·५ से ६% भारत में पहुंचती कीमत में मिलता रहा है। विकास

†मूल अंग्रेजी में

शाखा के प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें कोटा मिलता रहा है। निसंदेह तांबे की कमी के कारण कभी कभी स्वयं उपभोक्ता इसे काले बाजार में बेचते हैं। ऐसी ही चोरबाजारी अन्य अलौह धातुओं के बारे में भी की जाती है।

†**श्री वें० प० नायर** : मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि क्या बिक्री कीमत और पहुंचती कीमतों के अन्तर को ध्यान में रखते हुए सरकार अलौह धातु नियंत्रण आदेश में कुछ संशोधन करने का विचार कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : पिछले १८ महीनों में सरकार ने इस सम्बन्ध में विचार कर लिया है और इस आदेश में तदनुसार संशोधन किया जा चुका है जिससे कि प्रत्येक छोटे और बड़े पैमाने के कारखानों को आयात की हुई अलौह-धातुओं का ४० से ६० प्रतिशत तक पहुंचती कीमत के ३·५ से ६ प्रतिशत मूल्य पर वह धातु उपलब्ध हो सके। वस्तुतः इन सुझावों पर, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बहुत पहिले कार्य किया जा चुका है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा का कार्य

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम चीनी के मूल्य के बारे में चर्चा करेंगे।

श्री खुशवक्त राय (खेरी) : श्रीमन्, मुझे एक निवेदन करना है कि जहां तक मुझे मालूम है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एजेंडे पर जो बात न चढ़ी हो, उस पर बहस हो। यह मामला कोई मेरे और मंत्री महोदय के बीच में नहीं है कि खुशवक्त राय और मि० थामस, ये दो आदमी इस को तय कर लें। इस मामले पर इस सदन में बहस होगी और उस में हिस्सा लेने का इस सदन के हर सदस्य को अधिकार होना चाहिए। मैं ने थोड़ी देर पहले कहा था कि यह दो, ढाई करोड़ किसानों का मामला है और उन के परिवारों के करीबन दस करोड़ लोगों का सवाल है। इसलिए सदन के सब सदस्यों को इस बारे में अपने विचार प्रकट करने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि, जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था, सोमवार या मंगलवार को इस पर बहस कर ली जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई खास सवाल नहीं है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। अगर पहले नहीं भी हुआ है, तो भी हाउस जब चाहे, ऐसा कर सकता है। अगर माननीय सदस्य इस को शुरू करने के लिए तैयार हैं और हाउस के दूसरे मेम्बर भी चाहें—अगर हम सब इतिफाक करें, तो हम इस पर आज ही बहस कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या माननीय सदस्य आज इस को शुरू करना चाहते हैं या नहीं।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : आज तैयार नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य तैयार नहीं हैं, तो मैं इस बारे में ज़बर्दस्ती नहीं कर सकता हूं। माननीय सदस्य ने शुरू करना है और अगर उन को ही एतराज़ है, तो मुझे

---

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय]

कोई दूसरा बिज़िनेस लेना होगा । चूंकि यह आज के एजेंडे में नहीं है, इसलिए दूसरा बिज़िनेस आयेगा, जो कि वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** (नासिक) : लेकिन इसको तो चार बजे लिया जाना है ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या चीनी के बारे में अब चर्चा नहीं हो सकती है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : जी हां । चर्चा हो सकती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री खुशवक्त राय प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

गन्ने तथा चीनी के मूल्य के बारे में प्रस्ताव

†**श्री खुशवक्त राय** (खेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गन्ने तथा चीनी के मूल्यों में वृद्धि के प्रश्न पर विचार किया जाये ।"

अच्छा यह होता कि इस विषय पर वाद-विवाद सोमवार या मंगलवार को होता, मगर चूंकि सरकार के पास समय नहीं है . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो भी कहना चाहते हैं, वह हृदय खोल कर कह दें ।

श्री खुशवक्त राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि गन्ने और शक्कर के मूल्य की बात है, उस में जो तरीका सरकार की तरफ से प्रयोग में आता है, वह ग़लत है । आप देखिये कि १९५२-५३ के सीज़न में गन्ने का मूल्य एकदम एक रुपया बारह आने से एक रुपया सात आने और एक रुपया पांच आने तक गिर गया । उसका फल क्या हुआ ? उस का फ़ल यह हुआ कि उसी साल से गन्ने की काश्त में कमी आई और १९५४-५५ में यह हालत आ गई कि सरकार को बाहर से शक्कर मंगानी पड़ी । सरकार द्वारा जो १९५२-५३ में गन्ने के दाम घटाये गये, उस के कारण १९५४-५५ में बाहर से शक्कर मंगानी पड़ी और उस में सरकार का काफी रुपया फ़ारेन एक्सचेंज में खर्च हुआ ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

सरकार का कहना है कि वह गन्ने के काश्तकारों को प्रोत्साहन देना चाहती है, उन को इन्सेन्टिव देना चाहती है । २५ अक्तूबर को गन्ने के मूल्य बढ़ाने के अवसर पर उस की ओर से यही कहा गया था कि हम गन्ने के मूल्य को इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हम गन्ने के काश्तकारों को इन्सेन्टिव देना चाहते हैं कि वे गन्ना अधिक से अधिक पैदा करें । यह तो ठीक है कि सरकार ने यह सोचा कि गन्ने के दाम बढ़ें, लेकिन वे कितने बढ़ने चाहिएं, इस पर उस ने विचार नहीं किया । कहा यह गया माननीय मंत्री जी की ओर से कि उत्तर प्रदेश और बिहार की यह मांग थी । मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार की असेम्बलियों ने जो दाम मांगे थे, वह एक रुपया बारह आने थे--उन्होंने उस से कम नहीं मांगा था, और जहां तक मुझे मालूम है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने भी यह सिफ़ारिश की थी कि गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया जाये । १८ दिसम्बर,

---

†मूल अंग्रेजी में

१९५८ को तो कहा गया था कि गन्ने के मूल्य न बढ़ाने के दो कारण हैं। एक बात तो यह कही गई कि इस से हम शक्कर एक्सपोर्ट कर सकेंगे। आप देखिये कि १९५८-५९ में जो शक्कर यहां बनी, उस में से कितनी शक्कर सरकार एक्सपोर्ट कर पाई, कितना निर्यात किया उस ने ? यह कहना ठीक नहीं है कि अगर गन्ने के मूल्य बढ़ जायेंगे, तो हम शक्कर बाहर नहीं भेज सकेंगे। सरकार वैसे ही शक्कर बाहर नहीं भेज पाती है। सरकार ने दावा किया था कि हम शक्कर बाहर भेजेंगे और इसलिए उस ने शक्कर एक्सपोर्ट प्रोमोशन एक्ट भी पास किया, दाम भी बढ़ा दिये चीनी के, आठ आने मन के हिसाब से और उस के बाद से वह ३६ रुपये मन बिकती रही, लेकिन सरकार कितना एक्सपोर्ट कर पाई ? पिछली बार १४ अगस्त को जब इस सदन में बहस हुई थी, तब मैं ने यह बात कही थी कि कहा तो यह जाता है कि हम निर्यात नहीं कर पाये हैं और निर्यात नहीं कर रहे हैं, परन्तु जब इसका कारण पूछा जाता है तो कहा जाता है कि साहब गन्ने के दाम बढ़ने से शूगर को हम बाहर भेज नहीं पायेंगे। यह बात, मेरे विचार में, बिल्कुल गलत है।

दूसरी बात यह कही जाती है कि साहब अगर गन्ने के दाम बढ़ा दिये जायेंगे तो गन्ने की खेती बढ़ जायेगी। यह भी गलत बात है। इसका सबूत यह है कि पिछले दिनों २३ नवम्बर को जब यहां पर बहस हुई थी उस समय माननीय मंत्री जी की तरफ से यह बात मान ली गई थी कि ऐसी कोई बात नहीं है कि गन्ने के मूल्य अगर बढ़ जायें तो गन्ने की खेती बढ़ जायेगी या गेहूं की खेती कम हो जायेगी।

१८ दिसम्बर, १९५८ को इस भवन में इस बात पर बहस हुई थी और यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की असैम्बली और बिहार की असैम्बली की सिफारिशों को मान करके गन्ने की कीमत एक रुपया बारह आने कर दी जानी चाहिए तब आपने उक्त दोनों बातें कही थीं और दाम न बढ़ाने के यही दो मुख्य कारण बतलाये थे। ये दोनों ही कारण आज के दिन समाप्त हो गये हैं।

अब देखना यह है कि गन्ने का मूल्य किन बातों को ध्यान में रख कर मुकर्रर किया जाना चाहिए। मैं तो यह समझता हूं कि गन्ने के मूल्य और बढ़ें और इस से मुझे बड़ी खुशी होगी। अभी पिछले दिनों माननीय खाद्य मंत्री जी ने इस सदन को यह बताया था कि वह एक ऐसी स्टेचुटरी बाडी बनाने वाले हैं जिस में किसानों का बहुमत होगा। अगर ऐसी बाडी बन जाये तो यह बड़ी अच्छी बात होगी क्योंकि यह बड़ी विडम्बना की बात मालूम होती है कि गन्ना तो पैदा करे काश्तकार और उसका मूल्य वे लोग निर्धारित करें जिन्होंने कभी गन्ने की खेती नहीं की है। गन्ने की खेती में फरवरी से लेकर जुलाई अगस्त तक बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है। जो काश्तकार हैं, जिन्होंने कभी खेती में जा करके गन्ना बोया है या हल चलाया है, वे जानते हैं कि कितनी मुसीबत गन्ना पैदा करने में होती है। जब वह गन्ना पैदा कर लेता है तो उसको आप मजबूर करते हैं कि वह कम कीमत पर उस को मिल मालिकों के हाथ बेच दें। पिछले पांच सालों से आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि वह अध-पेट रह कर आपकी मिलों को गन्ना दे। मिलों को गन्ना देने से उसको तो कोई लाभ होता नहीं है और लाभ होता है तो मिल मालिकों को होता है। जैसा मैंने पहले कहा और अब फिर कहता हूं कि शूगर की जितनी मिलें हैं सब को ओन करने वाले केवल ४६ परिवार हैं, ४६ परिवार ही हिन्दुस्तान की जितनी शूगर मिलें हैं, उनके मालिक हैं। उन सभी का ओनरशिप उन्ही में वैस्ट करता है। दूसरी तरफ जो गन्ना पैदा करने वाले दो करोड़ किसान हैं उनके परिवारों का आप हनन करते हैं। आज के दिन भी आप यह क्यों करते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया है। क्या आप ऐसा इसलिए करते हैं कि जैसा पहले भी कई बार कहा जा चुका है और आज भी मैं कह देना चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि उसको रिपीट करने से उसकी महत्ता खत्म नहीं हो

[श्री खशवक्त राय]

जाती है, कि जब आपका चुनाव आता है तो ये मिल मालिक अपनी थैलियां आपको जिताने के लिए खोल देते हैं।

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : ऐसा नहीं है।

†**श्री खुशवक्त राय** : यह बिल्कुल ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप चेयर को एड्रेस कर रहे हैं तो मुझे इससे इन्कार करना होगा।

†**श्री खुशवक्त राय** : आपको मैं थोड़े ही कहता हूँ।

परन्तु यह भी ख्याल होना चाहिए कि आज के दिन आप दावा यह करते हैं कि आप सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी बनाने जा रहे हैं और अगर आपका यह दावा सही है तो समाजवाद क्या मिल मालिकों की जेबें भरने से हिन्दुस्तान में आएगा या उस काश्तकार को, जिसको कि आज के दिन भी भर-पेट खाना नहीं मिलता है, भर पेट खाना देकर आएगा, यह मैं जानना चाहूँगा। जब आप मिल मालिकों की ही जेबें भरते रहते हैं तो समाजवाद कैसे आज के दिन आ सकता है, कैसे आप समाजवाद लाने की बात कह सकते हैं।

आप देखें कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री डा० सम्पूर्णानन्द ने पिछले साल वहां की विधान सभा में बोलते हुए यह कहा था कि हमारे यहां जो शूगर पैदा होती है उसकी कीमत पूर्वी जिलों में तो ३३ रुपये ३४ नए पैसे बैठती है और पश्चिमी ज़िलों में ३३ रुपये २५ नए पैसे बैठती है और इसमें मुनाफा भी शामिल है मिल मालिकों का। जनवरी फरवरी में उन्होंने यह बात कही थी। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस कीमत को ३४ रुपये भी मान लिया जाए तब भी शूगर का मूल्य इस आर्डिनेंस के आने से पहले जब कि वह ३६ रुपये था, इस ३६ रुपये मन में भी दो रुपया उनको मुनाफा होता था। बजाय इसके कि उनका मुनाफा आप घटाते आपने शुगर का मूल्य और बढ़ा दिया। आपने शूगर केन का दाम बढ़ाया तो है लेकिन उतना नहीं बढ़ाया है जितना कि आपको बढ़ाना चाहिए था।

मेरी किसानों से बात अक्सर होती रहती है। जिस चुनाव क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूँ वहां पर गन्ने की खेती बहुतायत से होती हैं। उन लोगों ने मुझे बताया है कि गन्ने की पैदावार का पक्का हिसाब तो उनके पास नहीं है लेकिन उनका अंदाजा यह है कि एक मन गन्ना पैदा करने के लिए एक रुपया बारह आने या तेरह आने लागत बैठती है।

आपने अकसर कमेटियां मुकर्रर की हैं और उन्होंने जांच करके आपको अपनी रिपोर्टें भी दी हैं। कुछ ऐसी कमेटियां भी मुकर्रर हुई हैं जिन की रिपोर्टस को आपने शायद नहीं किया है। जब पूछा जाता है तो आप कह देते हैं कि मैम्बरों को देने के लिए तैयार हैं मगर सदन में नहीं रख सकते हैं। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इंडियन शूगर कांउसिल की तरफ से एप्वाइंट की गई थी। एक दूसरी कमेटी सरदार लाल सिंह जो कि इस सदन के सदस्य रह चुके हैं उनके सभापतित्व में बनाई गई थी और उस कमेटी ने भी पता लगाया और वह भी एक नतीजे पर पहुंची कि गन्ने को पैदा करने में कितना रुपया लगता है। उन रिपोर्टों पर कोई विचार नहीं किया गया है। शूगर के मिल मालिकों ने जब पिछले साल शिकायत की कि शूगर का उनको जो मूल्य मिलता है वह कम होता है तो आपने फौरन उस मामले को टेरिफ बोर्ड के सुपुर्द कर दिया परन्तु आज तक कभी इस बात

†मूल अंग्रेजी में

की जांच करने के लिए मामला टेरिफ कमिशन के सुपुर्द नहीं किया गया है कि वह बताए कि गन्ना किस लागत पर पैदा होता है। शूगर के मामले में आपने चार पांच बार टेरिफ बोर्ड की सलाह ली है और उससे पूछा है कि शूगर का मूल्य क्या होना चाहिए मगर जहां तक देश के दो करोड़ गन्ना उगाने वाले किसानों का ताल्लुक है, उनके मामले को आप ने कभी भी टेरिफ बोर्ड की राय जानने के लिए नहीं भेजा है।

आज भी हम चाहते हैं कि शूगर का उतपादन बढ़े। लेकिन जब आपकी तरफ से किसानों के साथ इस तरह से सलूक किया जाता है तो उस हालत में उत्पादन कैसे बढ़ सकता है। आप देखें कि हमारे यहां यू० पी० में जहां पर कि सब से ज्यादा शूगर पैदा होती है, आज क्या हालत है। हमारे यहां १५ तारीख से हड़ताल शुरू हो गई है। यह दावा किया गया है कि अब तक ६३ मिलों में उस हड़ताल का असर पड़ा है। अगर इस पर आप विश्वास न भी करें तो आज के ही स्टेट्समैन में यह खबर छपी है कि ३७ मिलों पर इस हड़ताल का प्रभाव पड़ा है, ३७ मिलें एफैक्ट हुई हैं। ६९ में से ३७ मिलें एफैक्ट हो जाएं और इस कारण से एफैक्ट हो जाऐं कि काश्तकार अपने गन्ने का अधिक मूल्य मांगते हैं क्योंकि इस मूल्य पर गन्ना बेचने से उनका पूरा नहीं पड़ता है, यह कोई छोटी बात नहीं है।

आप देखें कि गन्ने की जो खेती है वह ऐसी है, गन्ना ऐसी चीज़ है, जो जल्दी खराब हो जाती है, जो पेरिशेबल कमोडिटी है। काश्तकार यह नहीं चाहता है कि उसको रोकें क्योंकि उसके रोकने की उसमें ताकत नहीं है। इससे उसका नुक्सान हो जाता है क्योंकि आगे चल कर गन्ने का रस सूख जाता है। यह बात वह पसन्द नहीं करता है लेकिन मजबूर हो कर उसे ऐसा करना पड़ता है। आखिर वह क्या करे? आधे पेट खाकर कब तक रह सकता है? जब उसने देख लिया कि सरकार की नीति ऐसी है कि वह चाहती है कि मिल मालिकों का पेट भरे और काश्तकार की जेब कटे तो मजबूर हो कर उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। काश्तकार आसानी से ऐसा कदम नहीं उठाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : काश्तकार की जेब तो आप कहते हैं कि खाली है, उसके काटने से क्या फायदा होगा ?

श्री खुशवक्त राय : जी हुजूर, जेब तो है। पैसे भले ही न हों, लेकिन जेब काट ली जाती है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कपड़ा मिल जाता है।

श्री खुशवक्त राय: मैं आपको अपनी जेब दिखाऊं। इस तरह से जेब काटी जाती है। मैं ऐग्रिकल्चर एग्जिबिशन गया था, वहां यह कट गई।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको काश्तकार नहीं समझा होगा। उन्होंने आपकी जेब में पैसे समझें होंगे।

श्री खुशवक्त राय : जी पैसा नहीं था।

श्री रघुनाथ सिंह : कैपिटलिस्ट समझा होगा।

श्री खुशवक्त राय : तो मेरा यह कहना है कि हमारी सरकार को यह बात सोचनी चाहिये, खास कर आज के दिन जब मिलों पर इतना असर पड़ रहा है तो वह कोई मिलों पर ही असर नहीं पड़ता, वह असर नेशनल वेल्थ पर होता है। अगर काश्तकार को मुनासिब दाम नहीं दिये गये तो काश्तकार गन्ना नहीं देगा, वह गुड़ बनायेगा गांव में। आपकी चीनी बननी बन्द हो जायेगी।

[श्री खुशवक्त राय]

आप देखिये कि गुड़ के दाम आज के दिन करीब २० रु० मन है। कहीं कहीं पर २१ और २२ रु० मन भी है। मेरे साथी यहां बैठे हैं जो कि गन्ने के काश्तकार हैं, उन्होंने बतलाया कि १०० मन गन्ने में करीब १५ मन गुड़ बन जाता है। अब अगर गुड़ बनाने में उसका कुल गुड़ का ६ या ७ गुना गन्ना लगता है तो वह गुड़ बनायेगा या कि गन्ने को १ रु० १० आ० मन बेचेगा ? गुड़ बनाने से जो मूल्य उसे मिलता है वह दो ढाई या तीन रु० मन मिलता है। अगर हमारे मंत्री जी यह चाहते हैं कि इस देश में शकर का उत्पादन बढ़े तो उसके लिये यह जरूरी है कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाय और वह बढ़ा हुआ मूल्य कम से कम दो रु० मन होना चाहिये क्योंकि जैसा अभी मैंने कहा कि काश्तकार को गन्ना बोने की लागत १ रु० १२ आ० या १रु० १३ आ० आती है। उसके बाद उसको ढुलाई भी करनी पड़ती है, दिन दिन इसके लिये खराब करने पड़ते हैं। जब किसान गन्ने को लेकर मिल के कांटे पर आता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। उसकी मजदूरी भी लगाइये, उसको जो तकलीफ वहां होती है उसका ख्याल कीजिये और इन सब बातों का ख्याल करके देखिये तो कम से कम ३ या ४ आ० मुनाफा तो उसे गन्ने पर होना ही चाहिये। मैं आपके जरिये से यह कहना चाहता हूं सरकार से कि आप उत्तर प्रदेश और बिहार के काश्तकारों का ख्याल कीजिये। काश्तकार आपकी तरफ मुंह फैलाये देख रहा है। आपने कृपा तो की, उस कृपा के लिये आपको धन्यवाद। परन्तु जो कृपा आपने की है वह इतनी नहींहै कि काश्तकार का पेट भर सके। इसलिये मैं आपके जरिये से यह बात कहना चाहता हूँ कि सरकार तुरन्त ही गन्ने का मूल्य २रु० मन कर दे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : मैं अपना स्थानापत्र प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। इस में मैंने गन्ने का मूल्य २ रुपये प्रति मन बढ़ाने के लिये कहा है लेकिन यह भी कहा है कि चीनी के दाम न बढ़ाये जायें।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश और बिहार में अनेकों चीनी के कारखानों में हो रही हड़ताल की छाया में हम इस सदन में, गुड़, गन्ने और चीनी की कीमतों के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं। अनेकों बार पहले भी इस सदन में गन्ने की कीमत और चीनी की कीमत पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार उस पर उतना ध्यान नहीं दे रही है जितना कि उसे देना चाहिये। सब से बड़ी दुःख की बात तो यह है कि सरकार के पास सब तरह के साधन होते हुए भी सरकार इस बात से इनकार करती है कि वह चीनी की क्या कास्ट प्राइस हो सकती है और गन्ने की क्या कास्ट प्राइस हो सकती है इसकी जांच पड़ताल करायेगी और जनता के सामने उन आंकड़ों को प्रकट करेगी।

जहां तक गांव के काश्तकार का सम्बन्ध है, हिन्दुस्तान के किसान कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, इस लिये खुद वह तो कोई हिसाब रख नहीं सकते, लेकिन सरकार की तरफ से, मैं समझता था कि चूंकि करोड़ों रु० खर्च किये जाते हैं आंकड़ों को इकट्ठा करने में और नक्शे बनाने में और लाखों लोगों का इसमें सम्बन्ध है, इनके बारे में आंकड़े इकट्ठे करने की कोशिश की जायेगी। लेकिन अब तक सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है। आखिर बार-बार हड़ताल फैक्ट्रियों में हो, किसान परेशान हों, चीनी का उत्पादन कम हो जिस का प्रभाव देश की योजनाओं पर हो, यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिये हमें अब तय करना चाहिये कि चीनी का उत्पादन अगर बढ़ाना है और किसानों की हालत भी अच्छी करनी है, तो इन सब के लिये क्या करना होगा सरकार की जो नीति

†मूल अंग्रेजी में

अब तक रही है अगर वह गलत रही है तो उस में कोई परिवर्तन करना होगा या नहीं करना होगा। । मैं निवेदन करूंगा कि आज की बहस में खाद्य मंत्री अपना दृष्टिकोण रखने की कृपा करें और उस में किसी बात की प्रतिष्ठा का सवाल न बना कर अगर अब तक कोई गलती हुई है तो उसको सुधारने की कोशिश करें। जब एक कारखाने की पैदावार के सम्बन्ध में यह नियम निर्धारित किया आ है कि उस में जितना खर्चा होता है, जितनी उस में पूंजी में लगी हुई है, उस पूंजी पर कितना परसेन्ट मुनाफा होना चाहिये, इन सब बातों का ख्याल किया जाना चाहिये, तो वही चीज क्यों आप खेत की पैदावार पर लागू नहीं करत? वही चीज किसानों के ऊपर क्यों लागू नहीं करते? मुझे अफसोस है कि सीमेंट की कीमत पिछले चार या पांच सालों में दूनी के करीब हो गई है लेकिन गन्ने की कीमत कम हुई, हालांकि चीनी की कीमत बढ़ी है। गन्ने की कीमत पिछले सात सालों के अन्दर जो पहले थी उस से भी कम है जब कि गन्ने की कीमत आज बढ़ा कर दी जा रही है, जिस के लिये खाद्य मंत्री जी कहते हैं कि हम ने चीनी की कीमत गन्ने की कीमत ३ आ० मन बढ़ाने के बाद बढ़ाई है। अगर हम वह कीमत भी देखें तो जितनी कीमत पहले गांव के किसानों को मिलती थी वह आज नहीं मिल रही है। कई एक साल पहले किसानों को २ रु० प्रति मन तक मिला है और सन् १९५२-५३ में १ रु० १२ आना प्रति मन तक मिला है लेकिन जब उसकी कीमत ३ आ० मन बढ़ा दी गई है तो भी उसे आज १ रु० १० आ० दिया जा रहा है, जिस में गाड़ी वगैरह ले जाने का खर्चा भी शामिल है। मैं जानना चाहता हूं कि कौनसी ऐसी वजह हो गई है कि जब सन् १९४६-४७ में २ रु० मन कीमत मिलती थी और सन् १९५२-५३ में १ रु० १२ आ० मन मिलती थी तो आज उस को इतनी कम कीमत मिल रही है। हो सकता है कि सरकार की तरफ से दलील दी जाय कि हम ने अपना खर्च पूरा करने के लिये एक्साइज को बढ़ा दिया है। मैं यह भी मानता हूं कि एक्साइज पहले से भी बढ़ी हुई है, लेकिन कोई रेशियो होना चाहिये, इस में कोई अनुपात होना चाहिये कि आखिर आप कितना टैक्स लेंगे किसी चीज पर और उस से जो उसकी कास्ट प्राइस है वह कितनी बढ़ जायेगी या उत्पादक को कितनी कीमत मिलेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में एक्साइज बढ़ा कर ही पेश की चीनी के जो कंज्यूमर्स हैं उनको आपने बहुत नुकसान पहुंचाया है। उसे बहुत कीमत देनी पड़ती है। लेकिन अगर दलील के लिये मान लिया जाय कि अपनी पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिये यह आवश्यक है कि चीनी पर एक्साइज हो, तो भी मैं निवेदन करूंगा कि इस एक्साईज के रहत हुए भी हम गन्ने की कीमत २ रु० प्रति मन दे सकते हैं और चीनी की जो कीमत आज दे रहे हैं उतनी देने की जरूरत नहीं है। मैं यह चीज कोई दलील के लिये नहीं कहना चाहता। मैं आंकड़ों से यह प्रस्तुत करने के लिये तयार हूं। आखिर एक मन चीनी बनाने का खर्चा कितना आता है? मेरे पास सरकारी आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। इस से पहले मैं निवेदन कर दूं कि मिल मालिकों की तरफ से एक षड़यंत्र चला करता है कि १०० मन गन्ने में १० मन से कम चीनी बनती है जब कि आम तौर से यह बात कही जाती है कि १०० मन गन्ने में १० मन चीनी बनती है। कभी मिल मालिक साढ़े नौ मन दिखलाता है, कभी सवा नौ मन दिखलाता है, इस से ज्यादा कभी नहीं दिखलाया जाता। लेकिन दक्षिण भारत में जो मिलें हैं और दूसरी जगहों पर जो मिलें हैं उन में १० मन से भी ज्यादा रिकवरी दिखाई है, और इसी लिये बार बार यहां यह दलील भी दी जाती है कि उत्तर भारत के जो गन्ना उत्पादक हैं वह अच्छा गन्ना पैदा नहीं करते और १० मन से ज्यादा रिकवरी उस से नहीं हो सकती इसलिये गन्ने के खेतों को दक्षिण में ले जाना चाहिये और शक्कर की मिलें भी दक्षिण भारत में खोली जानी चाहियें।

मैं दक्षिण और उत्तर के प्रश्न को इसलिये नहीं उठाना चाहता कि कहीं यह न समझ लिया जाय कि मेरा यह मतलब है कि दक्षिण का कोई विकास नहीं होना चाहिये। दक्षिण में भी

[श्री ब्रजराज सिंह]

गन्ने की खेती का विकास होना चाहिए और मिलें भी लगानी चाहिएं और उस में मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह जो दलील है वह गलत है कि गन्ने से रिकवरी इतनी यहां हो नहीं सकती जितनी कि दक्षिण में होती है । अगर हमें इस संबंध मे सही-सही आंकड़े प्राप्त हो सकें तो पता चल जायेगा कि उत्तर भारत में प्रति सौ मन गन्ने पर साढ़े दस मन चीनी की रिकवरी होती है लेकिन होता क्या है कि चोरी से १०० मन गन्ने के पीछे आधा मन चीनी शुगर फैक्टरीज बचा लिया करती हैं और जिसका कि कोई हिसाब नहीं होता है और इस तरह उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को जो एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है और जब टैक्स अदा करने का सवाल आता है तो वह इस तरह से आधे मन पर बचा जाते हैं । यह मैं पूरी गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं और सरकार यदि उस के पास कोई उपयुक्त मशीनरी हो तो उसके जरिए इसकी जांच करा कर देख ले कि वाकई जो मैं कह रहा हूं वह ठीक है अथवा नहीं । वह इसकी जांच करा कर देख ले कि १०० मन गन्ने पर रिकवरी १० मन है या साढ़े दस मन होती है । मैं तो यह कहूंगा कि अगर ईमानदारी से कोई इस तरह की जांच हुई तो यह साबित हो जायेगा कि उत्तर भारत की मिलों में साढ़े दस मन की रिकवरी होती है और इस तरह से आधा मन चीनी चली जाती है जिसका कि कोई हिसाब नहीं लगाया जाता है । उसके हिसाब से तो चीनी मिल मालिकों का जो मुनाफा है वह बहुत बढ़ जायेगा लेकिन जितनी रिकवरी शो की जाती है उसे हिसाब से देखें तो भी हम कुछ दूसरे नतीजों पर पहुंचेंगे ।

इस वक्त उत्तर भारत की मिलों में करीब-करीब साढे बीस लाख रुपया लगा होता है । इस में गन्ने, सैस और कोआपरेटिव सोसाइटीज का जो कमिशन है वह एक मन चीनी पर लगा कर कुल खर्चा जाकर बैठता है १६ रुपये ७० नये पैसे के । अब यह गन्ने की कीमत १ रुपये ४४ नये पैसे के हिसाब से है तो उस पर पावर, फ्यूअल और स्टोर्स पर जो खर्चा आता है वह ५३ नये पैसे होता है । वेतन पर तो दूसरी तरह की जो मजदूरियां देनी पड़ती हैं एक मन चीनी बनाने की के लिये वह खर्चा जा कर १रु० ३० नये पैसे बैठता है । पैकिंग चार्जेज ४१ नये पैसे बैठते हैं । रिपेयर्स और रेनुएल चार्जेज में ३० नये पैसे खर्च आता है । दूसरे ओवरहैड चार्जेज में भी ३० नये पैसे खर्च आते हैं और ब्याज अगर उस पर लगाया जाय तो १ मन चीनी पर १९ नये पैसे होता है और डैप्रीसिएशन भी १९ पैसे के हिसाब से लगाते हैं । इस तरह से कुल एक मन चीनी बनाने पर जो कारखाने में खर्चा आता है वह १९ रुपए ५२ नये पैसे है । इस में टैक्स शामिल नहीं है । इस पर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है सरकार की तरफ से उसका अगर हम हिसाब लगायें तो वह क्साइज ड्यूटी १० रुपये ६९ नये पैसे पड़ती है । शीरे का दाम २३ नये पैसे कम कर के अगर हम हिसाब लगायें तो इस वक्त ३० रुपये ९५ नये पैसे के हिसाब से यह चीनी कारखाने में जाकर पड़ती है । चीनी की मिल में जो ब्लौक कैप्टिल लगा होता है, उस पर १० परसेंट का मुनाफा लगा कर और हर तरह के सरकारी खर्च और टैक्स लगा कर डैप्रिसिएशन, रिपेयर्स और रैनुएल चार्जेज लगा कर चीनी की कीमत कारखाने से निकलते वक्त ३० रुपये ९५ नये पैसे होनी चाहिए । जब गन्ने की कीमत बढ़ायी गई तो ३६ रुपये शुगर की एक्स फैक्टरी प्राइस तय की गई थी और यह तय पाया था कि ५ रुपया प्रति मन से ज्यादा कोई भी शुगर फैक्टरी का मालिक मुनाफा न कमाये और सरकार की इस नीति के मुताबिक उन्होंने चीनी के दाम ज्यादा निश्चित् किये हुये थे । जब इस तरह के आंकड़े हम पेश करने को तैयार हैं कि कारखाने में चीनी के उत्पादन का खर्चा और बाहर फैक्टरी से निकलते वक्त जो उसकी कीमत है उस में दस परसेंट का मुनाफा शामिल करते हुये सारे टैक्सों को शामिल करते हैं । तो वह ३० रुपये ९५ नये पैसे से ज्यादा नहीं पड़ती है और जिसकी कि वजह से शुगर की एक्स-फैक्टरी प्राइस ३६ रुपये तय की हुई थी । जब गन्ने के दाम बढ़ाने का प्रश्न उठा और उसके दामों में

तीन आने मन की बढ़ोत्री हुई तो चूंकि १०० मन गन्ने में वह १० मन चीनी की रिकवरी दिखाते हैं इसलिये उन्होंने ३० आने प्रति मन चीनी के दाम भी बढ़ा दिये। मैं कहना चाहता हूं कि आप जो आये दिन किसानों के साथ हमदर्दी दिखाने की बात करते हैं वह वास्तविक नहीं है बल्कि केवल दिखावा और जबानी जमा खर्च ही है। आप देश के किसानों की उन्नति नहीं कर रहे हैं वरन् उनके पैरों में कुल्हाड़ी ही मार रहे हैं और उनको आप बर्बाद और नष्ट करना चाहते हैं। इस तरह से किसान का भला नहीं हो सकता है। आज उत्तर प्रदेश में ५, ६ मिलों में हड़ताल है, गन्ना उत्पादक हड़ताल पर हैं और वे अपना गन्ना मिलों पर नहीं ला रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश की सारी पुलिस मशीनरी इस प्रयत्न में लगी हुई है कि किस तरह से इस गन्ना उत्पादकों की हड़ताल को तोड़ दिया जाय। लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और १०० आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं और वे इस बिना पर गिरफ्तार किये गये कि वे गन्ना उत्पादकों द्वारा मिलों पर गन्ना लाने की राह में रुकावट डाल रहे थे लेकिन फिर भी वहां पर हड़ताल को रोक नहीं पाते और वह हो रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार इस मामले पर उचित रूप से ध्यान नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कौन ऐसा गन्ना उत्पादक होगा जो कि अपने गन्ने को अपने पास रखना चाहेगा और उसको बेच कर उसका उचित मूल्य नहीं लेना चाहेगा? गन्ना पैदा करने वाले दिल से चाहते हैं कि उनके गन्ने को खरीदा जाय क्योंकि उसको बेचने में ही उनका हित है और गन्ना एक पैरिशिबिल कमोडिटी है। अगर उसको अपने गन्ने का उचित दाम मिले तो वह क्यों हड़ताल करना चाहेगा? सरकार को उन्हें इसके लिये मजबूर नहीं करना चाहिये कि नहीं तुम्हें इसी भाव पर गन्ना बेचना पड़ेगा और अगर हड़ताल करोगे तो तुम्हें गिरफ्तार करके जेल में रख दिया जायेगा। जब भी आप किसी पदार्थ की राशनिंग और कंट्रोल करते हैं तो पहले से देख लेते हैं कि उसकी कौस्ट प्राइस क्या है और उस पर कितना मुनाफा देना चाहिये और तब उसकी कीमत तय करते हैं लेकिन गन्ने के लिये सरकार अपनी असमर्थता प्रकट करती है कि वह यह पता नहीं लगा सकती कि एक मन गन्ना पैदा करने के लिये कितना खर्चा हो जाता है और इसलिये आप गन्ना उत्पादकों को पुलिस की मदद से इस बात के लिये बाध्य करना चाहते हैं कि तुम्हें फलां प्राइस पर ही अपना गन्ना फैक्टरी को देना होगा। मैं कहूंगा कि यह तो उनके साथ सरासर अन्याय करना हुआ। यह तो देश का और किसानों का विकास और उन्नति करना नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि इस तरीके से किसानों का फायदा नहीं हो सकता है और न ही चीनी का उत्पादन बढ़ सकता है। हम सब चाहते हैं कि चीनी का उत्पादन बढ़े क्योंकि चीनी की मांग सर्वत्र बढ़ रही है। चीनी का लोग पहले से अधिक उपभोग कर रहे हैं और जाहिर है कि देश में चीनी का उत्पादन बढ़ना चाहिये। मैं आखिरी व्यक्ति हूंगा जो कि यह सुझाव दूं कि हम चीनी बाहर से अपने वास्ते मंगायें। मैं कभी यह नहीं कहूंगा कि चीनी का बाहर से हिन्दुस्तान में आयात किया जाय। जाहिर है कि जब चीनी बाहर से आयात करना नहीं है और देश में उसकी मांग बढ़ती जा रही है और आप कहते हैं कि चूंकि लोगों की आमदनी बढ़ रही है इसलिये चीनी की तरफ लोगों की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन से उपाय काम में ला रहे हैं जिससे कि चीनी का उत्पादन यहां देश में बढ़ सके। अब देश में बारबार जो हड़तालें होती हैं उसके माने यह हैं कि उत्पादन कम होगा। यह आशा करना तो फिजूल है कि जब हड़ताल खत्म हो जायेगी तो गन्ने को चीनी मिल में ले जाकर क्रश कर लिया जायेगा और चीनी बना ली जायेगी क्योंकि ऐसा होना संभव नहीं है कारण जो गन्ना मिल में नहीं आयेगा उसका गुड़ बना दिया जायेगा। वह तो एक नष्ट होने वाली चीज है। उसको खड़ा नहीं रख सकते। बार-बार सरकार की ओर से यह बात कही जाती है कि कोई गन्ना उत्पादकों द्वारा हड़ताल करने का सवाल नहीं उठ सकता है क्योंकि यह नष्ट होने वाली चीज है लेकिन जाहिर है कि जब यह नष्ट होने वाली चीज है और हड़ताल होगी तो उसका नतीजा यह निकलेगा कि उत्पादन कम होगा और चीनी मिलों में गन्ना अधिक मात्रा में नहीं आयेगा। पिछले साल आपका उत्पादन उतना नहीं था जो कि देश की जरूरत के लिये काफी होता। देश को

[श्री ब्रजराज सिंह]

जरूरत थी २१ लाख टन की और १९ लाख ७३ हजार टन पैदा हुई और जब चीनी की पहले से कमी अनुभव की जा रही है तब इन हड़तालों का क्या नतीजा होगा क्या सरकार ने यह भी सोचा है? ऐसी हालत में जाहिर है कि चीनी का उत्पादन अधिक संभव न हो सकेगा और जो चीनी का स्टाक पहले का है वह सारा खत्म हो चलेगा और मैं जानना चाहता हूं कि उस हालत में हम अपने बढ़ते हुये चीनी के खर्चे को कहां से पूरा करेंगे? असल में दिक्कत यह होती है कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता जो कि गन्ना उत्पादकों के हित में हो और यह बहुत जरूरी है कि गन्ना उत्पादकों को उनके गन्ने का उचित मूल्य मिले और जिससे कि उनको प्रोत्साहन मिले।

यह बार-बार कहा जाता है कि गन्ने की किस्म को अच्छी करने के लिये ताकि उससे ज्यादा रिकवरी हो सके, प्रयत्न होना चाहिये लेकिन क्या सरकार की मौजूदा पालिसी से यह चीज संभव हो रही है? सरकार द्वारा उसके लिये खर्चा किये जाने कि बात होती है लेकिन देखा यह जाता है कि गन्ना उत्पादकों को कुछ मिलने की बजाय कुछ अन्य लोग होते हैं जो कि उसका फायदा उठा ले जाते हैं और आमतौर से किसानों को उसका फायदा नहीं मिल पाता।

उत्तर प्रदेश में जहां गन्ने के उत्पादक रहते हैं वहां से गन्ना मिलों तक गन्ना लाने के लिये सड़क बनाने की योजना बनी लेकिन वह अभी पूरी नहीं हो पायी है। बिहार के मुख्य मंत्री ने अपनी एक अपील में किसानों से कहा कि दो पैसा प्रति मन के हिसाब से वह सड़क के लिये दें, उतना ही वह मिल मालिकों से लेंगे और कुछ सरकार देगी, स तरह से सड़क बनायी जायेगी। यह सब होने पर भी सड़क नहीं बन पाती। आप स क बनाने के लिये भी किसान से पैसा चाहते हैं। यह दृष्टिकण बदलना चाहिये।

पिछले दिनों जब हमने खाद्य मंत्री महोदय से जानना चाहा कि इंडस्ट्रियल पालिसी रिजोल्यूशन के मुताबिक सरकार चीनी के व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने के लिये तैयार है या उसको कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को देने के लिये तैयार है तो खाद्य मंत्री के पास और कोई जवाब नहीं था, उन्होंने कहा कि कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को नहीं देंगे और न सका राष्ट्रीयकरण करेंगे। एक तरफ तो आप प्रचार करते हैं कि सहकारी आंदोलन को बढ़ाना चाहिये और खेतों तक सहकारी तरीके पर होनी चाहिये, लेकिन जब कहा जाता है कि अगर आप चीनी व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते तो कम से कम इस काम को गन्ना उत्पादकों की सोसाटीज़ को दे दीजिये, तो उसके लिये भी सरकार तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें सरकार के सामने कौनसी आपत्ति है? आप चाहते हैं कि सहकारी आंदोलन का विकास हो। उत्तर प्रदेश और बिहार के जो गन्ना उत्पादक हैं उनकी सोसाटीज को यह काम दीजिये और अगर उनको नहीं देना चाहते तो दूसरे उत्पादक सोसाइटियां बनाने के लिये तैयार हैं, उनको यह काम दीजिये। जितनी मिलें हैं उनको गन्ना उत्पादकों की सोसाइटियों को चलाने के लिये दीजिये तो यह सारी समस्या हल हो जायेगी। आज केवल ४६ खानदान हैं, जैसा कि मेरे मित्र श्री खुशवक्त राय जी ने कहा, जो कि सारे देश में इस व्यवसाय को चला रहे हैं। उन खानदानों के मुकाबले में न आप तैयार हैं गन्ना उत्पादक को पूरी कीमत देने के लिये, और न आप तैयार हैं उपभोक्ता को उचित मूल्य पर चीनी उपलब्ध कराने के लिये। न आप इसके लिये तैयार हैं कि गन्ना उत्पादक अपनी कोआपरेटिव सोसाइटीज़ बना लें और वे सोसाइटियां इन मिलों को चलावें। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको इसमें आपत्ति क्या है? इसमें कहां पर और किसका नुकसान है। आपके सामने न ४६ परिवारों का इंटरेस्ट बहुत बड़ा है।

पर हम यह तो नहीं कहते कि उनको खत्म कर दिया जाये। आपके संविधान में जो व्यवस्था है उसके मुताबिक आप उनको मुआवजा दें लेकिन इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये.....

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य खत्म करें। आपको बीस मिनट तो हो गया।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं तो समझता था कि आप मुझे आधा घंटा देंगे, मैं पांच और मिनट में खत्म कर दूंगा।

तो मैं कहना चाहता हूं कि इस काम को कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को देने में आपत्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो मेरा इतना ही सुझाव है कि अगर सरकार चीनी की इस समस्या को हल करना चाहती है, अगर सरकार गन्ने के उत्पादकों की समस्या को हल करना चाहती है, अगर सरकार हिन्दुस्तान के चीनी के उपभोक्ताओं को सन्तुष्ट करना चाहती है, तो वह इन समस्याओं का हल इसी तरह से कर सकती है कि गन्ने के उत्पादक या उत्पादक और उपभोक्ता दोनों मिलकर सोसाइटियां बनायें और उनके द्वारा यह व्यवसाय चलाया जाये। मैं चाहूंगा कि अगर सरकार के सामने कोई आपत्ति है जिसकी वजह से वह ऐसा नहीं कर सकती, तो वह उस आपत्ति को सदन के सामने रखे। कहते हैं कि नई मिलों को कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को देंगे। लेकिन पुरानी मिलों के बारे में क्या कठिनाई है? मैं यह साबित कर सकता हूं कि चीनी उद्योग में जितना रुपया लगाया गया है उसका दस गुना तो चीनी के उत्पादक ले चुके हैं और जो उनके असेट्स हैं वह उनके द्वारा लगायी गई पूंजी से कहीं ज्यादा के हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप यह काम क्यों नहीं कर सकते। आप इसमें किसकी हत्या करने जा रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। अगर आप इस काम को करेंगे तो वह सरकार की नीति के ही अनुसार होगा। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई आपत्ति हो सकती है जो कि आम लोगों की समझ में न आ सकती हो जिसकी वजह से आप यह काम नहीं कर सकते।

मेरे मित्र श्री खुशवक्त राय ने कहा था कि पिछले सन १९५७ के आम चुनावों में इन चीनी के उत्पादकों ने ५० लाख रुपया कांग्रेस को दिया था। यह ठीक है कि यह सब को नहीं मिलता और न सबको यह मालूम हो सकता है। लेकिन चीनी का मामला मीठा होता है और यह ४६ आदमी मिठाई में ले जाते हैं। आज उत्तर प्रदेश और बिहार में हड़ताल हो रही है। इस समस्या को गम्भीरतापूर्वक देखना चाहिये। अभी किसान में ताकत नहीं है। लेकिन अगर आप अभी इस समस्या का हल नहीं करेंगे तो आगे चल कर किसान कह सकता है कि हम चीनी मिल को गन्ना नहीं देंगे और आपकी पुलिस की लाठी और गोली का या आपके प्रलोभन का उस समय उस पर कोई असर नहीं होगा। उस समय उत्पादक चीनी मिलों को गन्ना नहीं देंगे चाहे वह खंडसारी के लिये या गुड़ बनाने के लिये दे देंगे। तो आज जो उनकी मजबूरी है उसका आपको फायदा नहीं उठाना चाहिये। आज वह किसी दूसरे तरीके से अपने गन्ने का इस्तेमाल नहीं कर सकता इसलिये आप उसे मजबूर कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से उसकी मजबूरी का फायदा उठा कर आप अच्छा नहीं करते। आपको इस समस्या पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिये और सोचना चाहिये कि अगर गन्ने के उत्पादक यह मांग करते हैं कि उनको दो रुपया मन गन्ने का दाम दिया जाय तो यह ऐसी मांग नहीं है जिसको कि नाजायज समझा जाय। गन्ने का उत्पादन व्यय एक पया १४ आना मन से कम नहीं होता। आप उसको एक मन पर दो आने का मुनाफ़ा तो दीजिये जब कि आप चीनी के मिल मालिकों को इतना मुनाफा दे रहे हैं। और गन्ने का दाम दो रुपया मन देने से चीनी की कीमत नहीं बढ़ सकती।

[श्री ब्रजराज सिंह]

खाद्य मंत्री ने कहा कि वह निकट भविष्य में मूल्य निर्धारण के लिये एक स्टेट्यूटरी बोर्ड बनाना चाहते हैं। लेकिन वह बोर्ड तो जब बनेगा तब बनेगा, फिर यह पता नहीं कि उसमें उत्पादकों का क्या प्रतिनिधित्व होगा। सम्भव है खाद्य मंत्री महोदय उसमें एक्सपट्स को रखें। वैसे तो यहां का ७० प्रतिशत आदमी इस मामले में एक्सपर्ट है। लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि जो एक्सपर्ट बोर्ड में रखा जायेगा वह किसान के हित के खिलाफ तो नहीं जायेगा। इसके अतिरिक्त यह समस्या तो अभी हमारे सामने है जिसको हमें हल करना है। जब बोर्ड बन जायेगा तो वह तै करेगा कि किस-किस चीज का कितना-कितना मूल्य रखा जाय। लेकिन इस वक्त तो इस समस्या को हल करना है। आप चीनी के मिल मालिकों को इस वक्त इस बात के लिये राजी करें कि वह गन्ना उत्पादकों को दो रुपया मन दाम दें। ऐसा करने से गन्ने का उत्पादन भी बढ़ेगा।

अभी आपने चीनी का मूल्य निर्धारित कर दिया है लेकिन फिर भी वह चीनी उपभोक्ताओं को उस मूल्य पर नहीं मिल रही है। दक्षिण में और हिमाचल प्रदेश में दो रुपये सेर चीनी का भाव है। दूसरी तरफ हम इस समस्या को हल नहीं कर पा रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। इस प्रश्न को सरकार को सहानुभूति के साथ सोचना चाहिये।

कहा जाता है कि अगर गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया जायेगा तो चीनी का मूल्य भी बढ़ जायेगा। पर मैं साबित कर सकता हूं कि गन्ने का मूल्य दो रुपये मन देकर भी चीनी का दाम ३२ रुपये मन से ज्यादा नहीं होना चाहिये। आपको चीनी का दाम ३८, ३९ या ४० रुपये मन करने की जरूरत नहीं है।

इस सम्बन्धमें मैं एक बात और निवेदन करना चाहताहूं कि आप जो चीनी का मूल्य निर्धारित करें उस मूल्य पर उपभोक्ता को सारे देश में चीनी अवश्य मिले इसका भी प्रबन्ध होना चाहिये।

अन्त में मैं एक बात और सदन के सामने रखना चाहता हूं। आपने टेंडर सिस्टम लागू किया। बार बार खाद्य मंत्री महोदय की तरफ से यह कहा जाता है कि यह सिस्टम इसलिये लागू किया गया जिससे कि लोगों को फायदा हो। लेकिन उस दिन तो उन्होंने कह दिया कि टेंडर सिस्टम में इसलिये गड़बड़ी हो गई कि जितनी चीनी थी उससे ज्यादा लेने वाले हो गये। आपको इसके लिये कोई नियम बनाना चाहिये था। जिन लोगों ने पहले चीनी का व्यापार किया हो उनको ही चीनी मिलनी चाहिये थी। लेकिन बहुत से ऐसे आदमियों को इस सिस्टम में चीनी दी गई जिनका पहले चीनी के व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं रहा था। नतीजा यह हुआ कि बहुत से ऐसे लोगों को जो चीनी का व्यापार नहीं करते थे उनको तो चीनी मिल गई पर जो चीनी का व्यापार करते थे उनको नहीं मिली। इससे समस्या और भी उलझ गई।

तो मेरा निवेदन है कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार में हड़ताल चल रही है उसको आप बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं अगर आप ऐसा दृष्टिकोण अपनायें जो कि सहानुभूतिपूर्ण हो। सरकार शब्दों में तो कहती रहे कि हम किसान का विकास और उसकी उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन उसके कार्य इस तरह के हों कि किसान की जड़ ही काट दें, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक दिन बाद, दो दिन बाद, साल, दस साल बाद उस को बुद्धि आयेगी, उसको प्रकाश आयगा, उसमें जागृति आयेगी और वह अपने अधिकार जान जायगा। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अब किसान को ज्ञान आ गया है। अब उसको भड़काने की जरूरत नहीं है। यह कह कर कि कुछ लोग राजनैतिक फायदा उठाने के लिये किसान को भड़काना चाहते हैं, सरकार इस समस्या को टाल नहीं सकती है। सरकार को चाहिये कि वह इस पर विचार करके इस हड़ताल को खत्म कराय और गन्ने की कीमत किसानों को दो रुपया प्रति मन दिलाये। चीनी का उचित वितरण किया जाना चाहिये और इस सम्बन्ध में को-आपरेटिव सोसाइटियों के द्वारा काम होना चाहिये।

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े खेद की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बारह वर्ष पश्चात भी केन्द्रीय शासन गन्ने और चीनी के मूल्यों के निर्धारण के सम्बन्ध में कोई तर्कसंगत और युक्तियुक्त नीति निश्चित नहीं कर सका है। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश और बिहार की विधान सभाओं ने और सरकारों ने इस आशय की मांग रखी थी कि गन्ने का मूल्य एक रुपया सात आने से बढ़ा कर एक रुपया बारह आने प्रति मन कर दिया जाय। इस सदन में भी उस मांग पर बल दिया गया था। किन्तु शासन की ओर से उसे ठुकरा दिया गया और ठुकराते समय जो तर्क दिये गये, वे बड़े लचर थे और शायद आज के हमारे खाद्य मंत्री भी उन तर्कों को स्वीकार नहीं करते। उस समय कहा गया था कि गन्ने और गल्ले में एक लड़ाई हो रही है और उस लड़ाई में अगर गन्ना जीत गया और गल्ला पिछड़ गया, तो हमारे सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो जायेगा, इसलिये हम गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उससे गन्ने की खेती बढ़ेगी, जिसका खाद्योत्पादन पर बुरा परिणाम होगा। यह सन्तोष की बात है कि हमारे नये खाद्य मंत्री, श्री पाटिल साहब, ने इस बात को स्वीकार किया है कि गन्ना जिस क्षेत्र में बोया जाता है, उस क्षेत्र को थोड़ा सा बढ़ाने की आवश्यकता है। वह हमारे सामने गन्ने और गल्ले की लड़ाई का कोई हौआ खड़ा नहीं करते और उन्होंने गन्ने के मूल्य को एक रुपया सात आने से बढ़ा कर एक रुपया दस आने कर दिया है। लेकिन यह एक रुपया दस आने की वृद्धि उस समय की गई है, जब गन्ना-उत्पादक दो रुपये प्रति मन की मांग कर रहे हैं। वह मांग ठीक है या नहीं, इसकी मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि एक रुपया दस आने प्रति मन जो गन्ने का मूल्य निर्धारित किया गया है, यह किस आधार पर किया गया है, इस के पीछे तर्क क्या है, कौन सा गणित है। किसान को एक मन गन्ना पैदा करने में कितनी पूंजी लगानी पड़ती है, कितना श्रम करना पड़ता है, उसे मिल के दरवाजे तक ढो कर ले जाने में कितना व्यय देना पड़ता है, क्या इस सब का जोड़ बिठा कर और तकसंगत आधार पर यह एक रुपया दस आने मन का मूल्य तय किया गया है, या सरकार, गन्ने का मूल्य बढ़ना चाहिये, इस आवश्यकता को स्वीकार करती थी, मगर वह एक रुपया बारह आने प्रति मन या दो रुपया प्रति मन होना चाहिये, इतना उसने स्वीकार नहीं किया, तो एक मनमाने ढंग से, अलल-टप्पू तौर पर एक रुपया दस आने मूल्य निर्धारित कर दिया ?

उपाध्यक्ष महोदय, शासन की ओर से इस बात को स्वीकार किया गया है कि अभी तक गन्ने के उत्पादन में प्रति-एकड़ कितना खर्च होता है, प्रति-मन उसका कितना मूल्य होता है, यह अभी तक निश्चित नहीं किया जा सका है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार को यह पता नहीं है कि एक मन पैदा करने में कितना खर्चा होता है, तो उसने एक पया दस आने प्रति मन का मूल्य किस आधार पर तय किया है और अगर हम कहते हैं कि यह आधार गलत है, यह किसान को उसके परिश्रम का पूरा प्रतिफल नहीं देता है, इससे किसान को गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और गन्ने की पैदावार में वृद्धि नहीं होगी, तो चीनी का उत्पादन भी नहीं बढ़ाया जा सकता, तो मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार किस आधार पर हमारी इस मांग को ठुकरा सकती है। या तो स्वयं सरकार के पास ऐसे आंकड़ होने चाहियें, जिन से सरकार यह प्रमाणित कर सके कि एक रुपया दस आने मूल्य जो तय किया गया है, वह वैज्ञानिक आधारपर तय किया गया है, या उसे फिर किसानों की इस मांग को स्वीकार करना चाहिये और गन्ने का मूल्य दो रुपये प्रति मन बढ़ा देना चाहिये। जहां तक यह प्रश्न है कि गन्ने और चीनी का मूल्य क्या हो, जो पुराने खाद्य मंत्री थे, वह जाते जाते कह गये थे कि यह मामला टैरिफ कमीशन को सौंपा जा रहा है। मगर अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। अब नये खाद्य मंत्रीयहकह रहे हैं कि एक परामशदात्री संस्था, एक स्टेचुटरी बाड़ी बनाई जायेगी, मगर उसका काम केवल सलाह देना होगा और सरकार स्वतंत्र होगी कि उसकी सलाह माने या न माने। मेरा निवेदन है कि अगर सरकार सचमुच में उस मंडल में विशषज्ञों को

[श्री वाजपेयी]

रखने वाली है, तो फिर उसको उसका निर्णय स्वीकार करने के लिये भी प्रस्तुत होना चाहिये। और अगर सभी बातों का विचार करके वैज्ञानिक आधार पर निश्चित किये गये मूल्यों में हेर-फर करने का सरकार को अधिकार होगा, तो फिर वे मूल्य उत्पादकों के लिये और उपभोक्ताओं के लिये संतोषनक नहीं होंगे और अगर सरकार केवल सलाहकार समिति बनाने वाली है, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। उससे इस समस्या का हल नहीं होगा।

यह भी कहा जाता है कि अगर गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया गया, तो फिर हमें चीनी का मूल्य भी बढ़ाना पड़ता है और अभी सरकार ने गन्ने के मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि की और चीनी का मूल्य भी बढ़ा दिया। मैं नहीं समझता कि क्यों बढ़ा दिया गया। अभी हम एक अध्यादेश पर विचार कर रहे थे। उस अध्यादेश को वैधानिकता का जामा पहनाने वाला एक विधेयक भी हमारे सामने था। उस विधेयक के समर्थन में सरकारी पक्ष की ओर से जो कुछ कहा गया, उससे इस बात का स्पष्टीकरण नहीं होता कि अगर गन्ने के मूल्य में प्रति-मन तीन आना वृद्धि की गई, तो चीनी के मूल्य में वृद्धि करने की क्या आवश्यकता थी। अभी माननीय सदस्यों ने बताया कि चीनी के मिल-मालिक काफी मुनाफा कमा रहे हैं। चीनी का उद्योग ऐसा है, जिसको सरकार का सर्वाधिक संरक्षण मिला है। सरकार के आश्रय पर यह उद्योग पनपा है और मैं कहना चाहूंगा कि गन्ना-उत्पादकों की कीमत पर मिल-मालिकों ने मुनाफ़े के अम्बार लगाये हैं। आज जब उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने के मूल्य को बढ़ाने की बात की जाती है, तो मिल-मालिक धमकियां देते हैं कि हम उत्तर प्रदेश और बिहार छोड़ कर मद्रास चले जायेंगे, जैसे मद्रास भारत के बाहर है और इस संसद् के हाथ मानों मद्रास तक नहीं पहुंच सकते और किसानों के परिश्रम और पसीने का पैसा काट कर जो मुनाफ़ा वे अपनी जेबों में भर रहे हैं, वह यह संसद् उनकी जेबों से निकाल नहो सकती। मगर मिल-मालिक इस तरह की धमकियां देते हैं, यह सब के लिये एक गम्भीर बात है। सरकार चीनी की मिलों को अपने कब्ज़े में ले ले, सरकार चीनी की मिलों का राष्ट्रीयकरण करे, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि राष्ट्रीयकरण हो, राष्ट्रीयकरण को सभी रोगों की रामबाण औषधि मानने वालों में दुर्भाग्य से कहिये या सौभाग्य से कहिये, मैं नहीं हूं, मेरा स्थान उनमें नहीं है। राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता हो सकती है लेकिन हर एक स्थान पर राष्ट्रीयकरण किया जाये इससे मैं सहमत नहीं हूं। वर्तनान स्थिति में राष्ट्रीयकरण का अर्थ सरकारीकरण होता है, और सरकारीकरण मुझे मान्य नहीं है। हां अगर गन्ना उत्पादक स्वयं मिलों को चलाना चाहते हैं और उत्तरदायित्व लेने को तैयार हैं तो मैं नहीं समझता कि सरकार को उनके मार्ग में बाधक बनना चाहिये।

लेकिन चीनी की मिलें बिहार और उत्तर प्रदेश से दक्षिण में चली जायेंगी, इसलिये न तो गन्ना उत्पादकों को उनके परिश्रम का उचित मूल्य मिले और न जो उपभोक्ता हैं उनको ठीक कीमत पर चीनी दी जाये इस स्थिति को सहन करने के लिये कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हो सकता। मगर आज सरकार की जो मूल्य नीति है उसका परिणाम एक ही होता है कि जो गन्ने का उत्पादक है वह भी घाटे में रहता है उसे अपने परिश्रम का कम मूल्य मिलता है और जो चीनी का उपभोक्ता है, चीनी खाने वाला है उसको भी अधिक दाम देने पड़ते हैं। तो जो मूल्य नीति न तो उत्पादक के हितों का संवर्द्धन करती हो, न उपभोक्ताओं के हित में जाती हो, वह नीति ठीक नीति नहीं हो सकती है, वह नीति सही नहीं हो सकती, वह नीति गम्भीरता पूर्वक विचार के बाद निर्धारित की गई है, ऐसा मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूं।

इसलिये यह आवश्यक है कि गन्ने के मूल्य में वृद्धि की जाये। दो रुपये प्रति मन की मांग की जा रही है। मैं समझता हूं कि गन्ने के उत्पादन का जो खर्चा है अगर उसे जोड़ा जाये तो दो रुपये प्रति मन की मांग कोई बहुत अधिक मांग नहीं है। लेकिन अगर सरकार दो रुपया प्रति मन इसको नहीं कर सकती है तो उसे आंकड़े दे कर यह सिद्ध करना चाहिये कि किसान का उत्पादन व्यय कम होता है और वह एक रुपया दस आने मन में भी अधिक गन्ना पैदा करने की प्रेरणा पैदा कर सकता है। सरकार यह नहीं कर सकी है, इसलिये स्पष्ट है कि दो रुपया प्रति मन की कीमत स्वीकार न करने के लिये उसके पास कोई सबल और ठोस कारण नहीं हैं।

लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि गन्ने की कीमत बढ़ाई जाये, यह आवश्यक है, लेकिन उसके साथ चीनी के मूल्य में वृद्धि नहीं होनी चाहिये। अभी सरकार ने गन्ने की कीमत थोड़ी सी बढ़ाई मगर चीनी के मूल्य में वृद्धि कर दी। ऐसा लगता है कि मिल मालिकों और किसानों के बीच में सरकार तराजू लेकर बैठी है और दोनों पलड़ों को बराबर रखना चाहती है और थोड़ा सा भी वह पलड़ा किसानों के पक्ष में झुक जाये यह समाजवाद का नारा लगाने वाली सरकार को शायद सहन नहीं है। इसलिये वह प्रयत्न करती है कि पलड़े दोनों बराबर रहने चाहियें। अगर गन्ने का मूल्य बढ़ गया तो चीनी का मूल्य भी बढ़ना चाहिये, इसका अर्थ यह है कि उत्पादक को तथा उपभोक्ताओं को चीनी की कीमत और भी अधिक देनी चाहिये। मैं समझता हूं कि किसान इस देश में बहुसंख्या में हैं। सरकार की नीति किसानों के हित में होनी चाहिये, किसानों के हित को और राष्ट्रीय हित को अलग नहीं किया जा सकता है। मिल मालिकों को अगर आप छूट देना चाहते हैं तो दें मगर वह किसान के, उत्पादक के और उपभोक्ता की कीमत पर नहीं होनी चाहिये। मगर सरकार की नीति इस दृष्टि से गलत है और मैं उसका विरोध करता हूं और मैं ने एक संशोधन के द्वारा यह मांग की है कि गन्ने के मूल्य को दो रुपये मन किया जाये मगर उसके साथ साथ चीनी के मूल्य में वृद्धि नहीं होनी चाहिये और मैं चाहता हूं कि उसको स्वीकार कर लिया जाये।

†**श्री स० मो० बनर्जी**: मैं श्री वाजपेयी के इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि चीनी के मूल्यों को बढ़ाये बिना गन्ने के मूल्य बढ़ा कर २ रुपये प्रति मन कर दिये जायें। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि सरकार के मूल्य निश्चित करने की बहुत दिनों से प्रतीक्षा की जा रही थी और जब यह घोषणा की गई कि गन्ने के मूल्य १ रुपया ७ आने से बढ़ा कर १ रुपया १० आने कर दिए गए हैं तब हम सबको बड़ा आश्चर्य और दुःख हुआ। मैं इस मूल्य वृद्धि का आधार भी नहीं समझ पाया हूं। हमें बताया जाये कि गन्ने के मूल्यों की वृद्धि किस आधार पर की गई है; क्योंकि मेरी सूचना के अनुसार गन्ने के मूल्य २ रुपया प्रति मन कर देने पर भी चीनी के मूल्य पर कोई असर नहीं पड़ सकता।

जब भी कभी चीनी के मूल्य कम करने अथवा गन्ने के मूल्य बढ़ाने का प्रश्न उठाया जाता है तभी मिल मालिक मिलें बन्द करने की धमकी देने लगते हैं या कहते हैं कि इससे चीनी के दाम बहुत बढ़ जायेंगे। मिल मालिक बहुत लाभ उठा रहे हैं तथा जब भी उनके लाभ में से कुछ लेने अथवा किसानों को दिलवाने का प्रयत्न किया गया है तभी उन्होंने धमकियां दी हैं।

आज बिहार तथा उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों ने हड़ताल कर रखी है; हमारे उपमंत्री का कहना है कि यह अनुचित हड़ताल है और यह किसी ठोस कारण से नहीं की गई है। मेरा विचार है कि यदि मिलों को मज़दूरों के बारे में ऐसा कहा जाये तब तो शायद कुछ ठीक भी हो सकता है कि उन्होंने गलत कारणों से हड़ताल की है लेकिन हमारे किसान वर्ग के बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० मो० बनर्जी]

हमारे किसान अपनी शान्तिप्रियता के लिये प्रसिद्ध हैं और वे यों ही किसी के कहने में आकर हड़ताल नहीं कर सकते। उनके बारे में ऐसा कहना कि ग़लत परामर्श के कारण उन्होंने हड़ताल का सहारा लिया है एकदम निराधार है। मैं जानता हूं कि गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि गन्ने के मूल्य बढ़ाने के बारे में माननीय प्रधान मंत्री से आकर मिले और हर कोशिश की गई कि हड़ताल न हो परन्तु उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया गया और तब लाचार हो कर उन्हें हड़ताल करनी पड़ी। मैं आप से एक सीधा सवाल पूछता हूं ; क्या मिल मालिकों ने असीमित मुनाफ़ा नहीं कमाया है ; क्या उन्होंने गन्ना उत्पादकों और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचा कर ऐसा नहीं किया है ? यदि मेरी बात में पचास प्रतिशत सचाई भी है तो क्या दो रुपये तक मूल्य नहीं बढ़ायें जा सकते ?

इस सम्बन्ध में मेरा नम्र निवेदन है कि सरकार एक आयोग नियुक्त करे जिसमें इस सभा के कुछ सदस्य हों और वह आयोग गन्ने के मूल्यों को बढ़ाने के बारे में विचार करे जिससे गन्ना उत्पादकों की यह हड़ताल समाप्त हो जाये। सरकार को बिना हिचक एक आयोग बना देना चाहिये, जो सारे आंकड़े इकट्ठे करे और यह देखे कि चीनी के दाम बढ़ाये बिना गन्ने के दाम बढ़ाये जा सकते हैं या नहीं। यदि नहीं बढ़ाये जा सकते तो वह इसके कारण बताये। यदि यह हड़ताल कुछ दिन और चलती रही तो यू० पी० के इस उद्योग को बहुत नुकसान उठाना पड़ जायेगा।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले खाद्य और कृषि मंत्री श्री एस० के० पाटिल का शुक्रिया अदा करना चाहता कि उन्होंने किसानों की आवाज को सुना और उसे मान कर गन्ने की कीमत १ रु० ७ आ० मन से १ ० १० आ० मन तक बढ़ाई। लेकिन यह कहते समय मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि आज जो चीनी की अहमियत है, जो खांड की अहमियत है, सन्देश के अन्दर वह बहुत ज्यादा है। बावजूद स बात के कि कल अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि चीनी के बगैर हम मर नहीं सकते, एक बात सही है कि पिछले दस सालों के अन्दर अगर किसी चीज की खपत देश में दुगुनी हुई है तो वह चीनी की है। यह अच्छी बात है या बुरी बात है देश के लिये, स सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना नहीं है। यह बात सच है कि दस सालों में इस की खपत दुगुनी हो गई है और आगे भी दस सालों में स की खपत दुगुनी या इससे ज्यादा बढ़ेगी। ज्यों ज्यों देश की तरक्की के लिये ज़्यादा रुपया खर्च होता जाता है, चीनी की मांग और मिठाई की मांग बढ़ती जाती है। अगर उसे हमें और भी बढ़ाना है तो मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि जब हमारी यू० पी० की स्टेट कांग्रेस पार्टी सदस्यों और दूसरे सदस्यों ने मिल कर क प्रस्ताव पास किया और इसी तरह से बिहार के सदस्यों ने प्रस्ताव पास किया कि गन्ने का मूल्य जो है वह १ रु० १२ आ० निर्धारित होना चाहिये, तो मेरी समझ में नहीं आता कि हम लोगों के पास, जो प्रजातंत्र के हिमायती हैं, कैसे यह हक रह जाता है कि हम उन की इस सलाह को न मानें। अगर हम पिछले साल उन की सलाह नहीं मान सके तो मैं चाहता था कि हम इस साल तो जरूर उन की सलाह को मानते और अच्छा होता कि १ ० १० आ० मन के बजाय १ रु० १२ आ० मन गन्ने की कीमत रखते।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : अब तो वह २ रु० मांगते हैं।

चौ० रणवीर सिंह : मैं मानता हूं कि समय आयेगा जब हम को उन्हें २ रु० मन भी देना होगा।

श्री ब्रजराज सिंह : अभी देना होगा।

चौ० रणवीर सिंह : हमें मालूम होना चाहिये कि इस की क्या वजह है कि इस देश के अन्दर हर एक चीज की कीमत, हर एक आईटेम की कीमत बढ़ रही है लेकिन १० सालों के अन्दर अगर किसी चीज की कीमत घटी है तो वह गन्ने की घटी है । चीनी की भी कीमत बढ़ी है लेकिन गन्ने की कीमत घटी है । आखिर गन्ने की भी कोई पैदा करता है, और गन्ने को पैदा करने वाले कोई एक, दो आदमी नहीं, दो करोड़ इन्सान हैं । अगर कोई यह समझता हो कि उन पर किसी एक पार्टी का असर है, तो वह गलती करता है, उन पर किसी पार्टी का असर नहीं है । आज का किसान काफी समझदार है, वह समझता है कि किस चीज के होने में उस को नफा है । अगर इस चीज को देखा जाय तो पिछले दस बारह सालों के इतिहास में जिस जिस चीज की कीमत बढ़ी, उसी उसी चीज की पैदावार अगले सालों में बढ़ गई । अगर हम चहाते हैं कि चीनी की पैदावार बढ़े तो इस के लिये जरूरी होगा कि जो गन्ना पैदा करने वाले हैं उनकी गन्ने की कीमत को बढ़ायें । हम इस मसले को हल नहीं कर सकते अगर हम कहें कि यह दक्षिण भारत और उत्तर भारत का झगड़ा है, इस से भी मसला हल नहीं हो सकता अगर कोई कहे कि यह खंडसारी और शुगर फैक्ट्रीज का झगड़ा है यह भी गलत है । अभी हमारे दोस्त ने कई आंकड़े पेश किये । मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस झगड़े को मिटाने के लिये ताकि देश की हुकूमत के लिये यह झगड़ा पैदा न हो, अगर स प्रा स र्ड की जरूरत पड़े, और सरकार उसे न बनाना चाहे, तो जरूरी है कि सारे देश की जितनी शुगर मिलें हैं वह सब कोआपरेटिव सोसाइटी की मिलें बना दी जायें । हम ने जब इस चीज को पास किया, इस सदन ने पास किया और कांग्रेस पार्टी ने भी इसे माना है कि हम इस देश के अन्दर कोआपरेटिव को बढ़ावा देंगे, तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस को छोड़ कर कौन सी ऐसी चीज है जिस के द्वारा हम कोआपरेटिव को बढ़ावा दे सकते हैं । गन्ने की मिलें ही ऐसी चीज हैं जिन के अन्दर घाटे की कोई सम्भावना नहीं । बगैर घाटे के डर के हम आगे बढ़ सकते हैं । इस से यह झगड़ा भी खत्म हो जाता है कि गन्ना पैदा करने वालों को क्या मूल्य मिले । अभी कई लोगों ने कहा कि कमिशन बने । कमिशन बन कर क्या करेगा यह मेरी समझ में नहीं आया । वह किस तरह से इमदाद कर सकता है किसानों की, यह भी मेरी समझ में नहीं आया । मैं चाहता हूं, और यह एक ऐसी चीज है जिस का बगैर किसी कमिशन के फ़ैसला किया जा सकता है, कि गन्ने की जितनी मिलें हैं वह सारी की सारी समाजवादी ढांचे पर कोआपरेटिव सोसाइटी की बनें । इस सम्बन्ध में कहा जाता है कि मिलें जो हैं उन की मशीन पुरानी हैं । जब हम कोआपरेटिव सोसाइटी को मिलों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो कई सदस्यों का विचार है कि इस की क्या जरूरत है कि हम पुरानी मिलों को खरीद कर कोआपरेटिव बनायें । उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हर एक मिल की एक बुक वैल्यु होती है और उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है और डिप्रिसिएशन चार्जेज को छोड़ कर इनकम टैक्स के अन्दर की भी कराई जाती है । इस सब के हिसाब से एक कीमत मुकर्रर हो हर एक मिल को, इनकम टैक्स के कागज के मुताबिक जिस शुगर फैक्ट्री की जो कीमत हो उस कीमत के ऊपर वह किसानों को दे दी जाय । सरकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर किसान इतना पया न इकट्ठा कर सकें तो सरकारी बैंक जो है, रिजर्व बैंक, उन की मदद के लिये आये और उन को रुपया दें । इसके अलावा एक बात कहे बगैर मैं नहीं रह सकता क्योंकि मेरा तजुर्बा एक शुगर कोआपरेटिव फैक्टरी का है कि यह जो सरकार का कहना है कि हम शुगर कोआपरेटिव फैक्टरीज को बढ़ावा दे रहे हैं वह मेरी समझ में नहीं आया है । शुगर कोआपरेटिव फैक्टरीज को जो सूद देना पड़ता है उस सूद की दर वही है जो कि एक आम आदमी को या कोई एक कम्पनी जो कि शुगर फैक्टरी चलाती है उसको देना पड़ता है और जो सहूलियत एक कारखानेदार और एक कम्पनी को मिलती है वही सहूलियतें कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी को मिलती हैं । ऐसी हालत में मेरी समझ में नहीं आता कि हम किस मुंह से यह कह सकते हैं

[चौ० रणवीर सिंह]

कि हम कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। हम ब्याज की दर में उनकी कोई रिआयत नहीं देते हैं और न कोई और ही रिआयत उनको देने को तैयार हैं और हर एक कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी को तकरीबन ४०, ५० लाख रुपया सूद पर लेना होता है और उनको भी उसी भाव से और उसी सूद पर कर्ज दिया जाता है जैसे कि एक आदमी या कम्पनी को दिया जाता है। ऐसी हालत में मेरी समझ में तो यह कहना कि सरकार कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज को पनपाना चाहती है और प्रोत्साहन देना चाहती है केवल जबानी जमाखर्च ही हो जाता है। अगर हम वाकई जो कहते हैं उस को करना चाहते हैं तो एक तो यह होना चाहिये कि जितनी भी शुगर कोआपरेटिव फैक्टरीज के जिम्मे कर्जा हो, उस पर रिजर्व बैंक को जो बैंक रेट है उसके हिसाब से उनसे सूद लिया जाय जो कि पया उन्होंने शुगर फैक्टरीज को लगाने के लिये लिया हो। चाहे वह वर्किंग कैपिटल की शकल में हो और चाहे वह इंस्टाल करने की शक्ल में हो उस सारे के सारे कैपिटल के ऊपर जो सूद की दर हो वह रिजर्व बैंक की दर से हो। मैं चाहता हूं कि यह हिदायत लागू हो।

सके अलावा जितनी और दूसरी शुगर फैक्टरीज़ हैं वह शुगर फैक्टरीज तमाम की तमाम बुक वैल्यु पर किसानों को दे ी जांय और वहां पर उनकी सोसा टियां बनाई जांय। इसके बाद मैं एक और चीज़ निवेदन करना चाहता और वह यह है कि मेरी समझ में नहीं आता कि यहां पर उत्तर और दक्षिण का झगड़ा खड़ा किया जाता है लेकिन यह अजीब हालत है कि दक्षिण की शुगर मिलों के मिल मालिक शुगर की अपने यहां रिकवरी १६ फी स ी तक दिखाते हैं। वहां पर चीनी का भाव उत्तर की अपेक्षा अधिक होता है तो स चीज का फायदा कौन उठाता है? अजीब बात है कि उत्तर प्रदेश की चीनी जो खर्चा डाल कर बम्बई या मद्रास के अन्दर पड़ ी है उस भाव से उसकी दर मुकर्रर करना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जहां १६ परसेंट रिकवरी हो उसका तो भाव वहां दक्षिण भारत के अन्दर या बम्बई के अन्दर हमारे वहां से कहीं सस्ता होना चाहिये। वह क्यों महंगा है? वह क ों सस्ता नहीं करते? उसका कौन मुनाफा उठाता है? मैं कहना चाहता हूं कि उसका बहुत ज्यादा हिस्सा कारखानेदार की जेब में जाता है और इसलिये उचित यह होगा कि कारखानेदार की जेब को हमारी सरकार को देश की भलाई के वास्ते इस्तेमाल करना चाहिये।

†**श्री झुनझुनवाला** (भागलपुर) : आज भारत में वित्तीय दृष्टिकोण से चीनी उद्योग को दूसरा विशालतम उद्योग माना जाता है। हमारे यहां आज चीनी उद्योग की स्थिति इस प्रकार की है कि सरकार, मिल मालिक तथा उपभोक्ता सभी चीनी के बढ़े हुये मूल्यों की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं और सही तथ्यों को जानने की प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि चीनी के बढ़े हुये मूल्यों से सबसे अधिक नुकसान उपभोक्ता को हो रहा है। मैं यह नहीं कहता कि गन्ने के दाम न बढ़ाये जायें लेकिन यह कहना ग़लत होगा कि १ रु० ७ आने या १ रु० १० आने प्रति मन के मूल्य पर गन्ने का उगाना फ़ायदेमन्द नहीं है। इसके साथ अगर मिल मालिक यह कहें कि उन्हें नुक़सान हो रहा है तो यह भी बिल्कुल ग़लत है; वे बहुत अधिक फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरा विचार है कि सरकार ने इस बारे में उचित कार्यवाही नहीं की है जिससे गन्ना उत्पादक अधिक गन्ना उगा सकें। सब से पहले सरकार ने ६ पाई प्रति मन का उपकर लगाया और कहा कि इस कर से जो धन मिलेगा उसका उपयोग गन्ने के उत्पादन के तरीक़ों आदि में सुधार करने के लिये किया जायेगा। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि गन्ने के उत्पादन में सुधार करने के बारे में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है। मैं समझता हूं

†मूल अंग्रेजी में

कि यदि गन्ने का उत्पादन वैज्ञानिक तरीकों से शुरू कर दिया जाये तो उत्पादन २० टन प्रति एकड़ से ४० टन प्रति एकड़ तक हो जायेगा और इस प्रकार गन्ना उत्पादक को अधिक आय होने लगेगी। मैं समझता हूं कि हमें सिर्फ़ अनुमान से गन्ने आदि के दाम नहीं तय कर देने चाहियें। इसके लिये हमारे पास आंकड़े होने चाहियें। सरकार को एक समिति बनानी चाहिये जो इन सब बातों पर विचार करे और यह तय करे कि गन्ने और चीनी के क्या दाम होने चाहियें।

†**श्री मणियंगाडन** (कोट्टयम) : श्रीमान, सरकार ने गन्ने के मूल्य बढ़ाने के बारे में जो अधिसूचना जारी की है उसमें यह दिया है कि गन्ने के मूल्य १ रुपया ४४ नये पैसे से बढ़ा कर १ रुपया ६२ नये पैसे २५ अक्तूबर से किये जा रहे हैं। इसका तात्पय यह हुआ कि सरकार के अनुसार गन्ने की फसल २५ अक्तूबर से आरम्भ होती है। मैं बताना चाहता हूं कि देश के अन्य किसी भाग में होता हो लेकिन केरल राज्य में ऐसा नहीं होता। केरल में एक ही चीनी का कारखाना है, पम्बा वैली चीनी कारखाना। वहां गन्ना २७ सितम्बर से पेरा जाने लगा था और २५ अक्तूबर तक किसानों ने इस वर्ष १९,३०० टन गन्ना मिल को दे दिया था। इस प्रकार आप देखेंगे कि केरल राज्य के उन किसानों को, जिन्होंने इस तारीख से पहले गन्ना दिया, कितनी हानि उठानी पड़ेगी। मेरा निवेदन है कि गन्ने के बढ़े हुये मूल्य इस वर्ष जितना गन्ना दिया गया उस सब पर लागू किये जाने चाहियें, चाहे वह किसी भी तारीख को दिया गया हो। ऐसा करने से समस्त भारत के किसानों को गन्ने के समान मूल्य मिल सकेंगे और किसी के प्रति भेद-भाव नहीं रहेगा।

मैं यह भी समझता हूं कि सरकार ने जो १ रुपया ६२ नये पैसे मूल्य रखे हैं वह भी अपर्याप्त हैं; इसको भी और बढ़ाया जाना चाहिये। केरल राज्य में केवल एक चीनी फैक्टरी है और वही बहुत लाभ एकत्रित कर रही है। इसलिये चीनी के और मूल्य बढ़ाये बिना मिल मालिकों से किसानों को और धन दिलाया जा सकता है।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, कई सालों से यह सवाल उठता चला आ रहा है कि गन्ने के दाम बढ़ाये जायें। इसके साथ ही साथ यह सवाल भी उठता आया है इस सदन में कि चीनी के दाम कम किये जायें। तीन साल से लगातार इस सदन में इस मामले पर बहस हो रही है। लेकिन अजीब बात है कि सरकार का व्यवहार इस मामले में उत्साहवर्द्धक नहीं रहा है। सरकार का व्यवहार देख करके मुझे तो महाकवि तुलसी दास जी की एक बात याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था :

"श्रीमद वक्र न किन्ह के ही, प्रभुता बधिर न काहि।"

अधिकार पाकर इस तरह से हमारे शासक वर्ग के लोग किसानों को और तमाम देश की बातों को भला देते हैं और कभी कभी जब वे जनहित की बात करते हैं तो उसमें थोड़े से आदमियों को जनता मान लेते हैं, बाकी को दुश्मन मान लेते हैं। तो मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया है कि जनता किसको कहते हैं। उत्तर प्रदेश के चार जिलों में हड़ताल चल रही है जिसके बारे में कभी कभी यह कह दिया जाता है कि राजनीतिक दलों द्वारा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है लेकिन सभी किसान उसमें हिस्सा ले रहे हैं और इतना होने पर भी जब उस दिन यह सवाल यहां आया तो कहा गया कि यह पब्लिक हित में बात नहीं है। अब अगर मिल मालिकों को ही पब्लिक माना जाता है, तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है और अगर उनको ही सारी पब्लिक नहीं माना जाता है तो सरकार को अपने रवैये को बदलना होगा और लाजिमी तौर पर जनता की उन बातों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सरजू पाण्डय]

को देखना होगा जिनके कारण न केवल चीनी का उत्पादन ही कम होता है बल्कि साथ-साथ इस देश में अव्यवस्था भी उत्पन्न होती है ।

मुझ याद है जब पिछले दिनों इस विषय पर यहां बहस हुई थी तो खाद्य मंत्री जी न कहा था कि अगर गन्ने के दाम बढ़ा दिये जायें तो लोग ज्यादा गन्ना बोने लगेंगे और जब वे गन्ना ज्यादा जमीन में बोयेंगे तब दूसरे जो खाद्य-पदार्थ हैं उनकी कमी पड़ जायेगी । उन्होंने इसके साथ ही साथ यह भी कहा कि इससे चीनी के दाम भी बढ़ जायें । सैंकड़ों एक्सपर्ट कमेटियां बैठी हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्टों में कहा है और यह बड़ी साधारण सी बात है और सभी यह जानते हैं कि जितने आने मन गन्ना उतने रुपये मन चीनी । अगर गन्ना दो रुपये मन होगा तो चीनी के दाम ३२ रुपये मन से ज्यादा नहीं हो सकते हैं ।

लेकिन एक तरफ तो चीनी के दाम बढ़ते जा रहे हैं और उनको घटाने की व्यवस्था सरकार नहीं करती है, दूसरी तरफ जब यह मांग की जाती है कि गन्ने के दाम भी बढ़ाये जायें, तो यह बहाना कर दिया जाता है कि लोग दूसरे अनाजों की खेती को छोड़ कर इसकी खेती करना शुरू कर देंगे और जब हड़ताल इत्यादि होती है तो लाठियों, गोलियों इत्यादि से काम लिया जाता है । मैं गोरखपुर, देवरिया इत्यादि पूर्वी जिलों को देख करके आया हूं और वहां पर मैंने देखा है कि किस तरह से मिल मालिकों के फाटकों के पास दस दस दिन तक गन्ने की गाड़ियां लगी रहती थीं मगर १५ तारीख को होने वाली हड़ताल को फेल करने के लिये वे बाहर से गन्ना मंगा कर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका गन्ना उन्होंने नहीं लिया है । वे आज की ठंडी रातों में बाहर एक चादर के साथ पड़े रहते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है । अगर सरकार से इसके बारे में कहा जाता है तो जवाब दे दिया जाता है कि मिल मालिक वहां से भाग जायेंगें । अगर वे भाग जायेंगे तो उनके लिये ो आपकी लाठियां और गोलियां ठंडी हो जायेंगी लेकिन गरीब किसानों के लिये वे तैयार हैं । अगर मिल मालिक भाग जायेंगे तब गोलियां नहीं चलेंगी, तब लाठियां नहीं चलेंगी, तब जन-हित नहीं टूटेगा लेकिन अगर किसान कहेगा कि उसकी कमाई का हक उसे मिलना चाहिये तब उन पर लाठी, डंडा, गोली सब कुछ बरसाने की कोशिश की जायेगी । यह रवैया बदलना चाहिये और जनता के हित को देखकर सब काम होना चाहिये । दरअसल में हमें मुल्क के अन्दर लोगों को इतमीनान दिलाना चाहिये और जब आपने ऐसा किया तभी किसानों की हालत को आप सुधार सकते हैं अन्यथा नहीं ।

यह बात भी माननीय मंत्री जी को मालूम होनी चाहिये कि अगर किसानों की आर्थिक दशा खराब हुई, अगर किसानों के पास खरीदने की शक्ति न रही, तो ये मिलें भी बन्द हो जायेंगी, ये दूकानें भी बन्द हो जायेंगी, जब पैसा रहेगा ही नहीं तो वे खरीदेंगे कहां से । आज हालत यह हो रही है पूर्वी जिलों में कि उन्हें लगान का पैसा अदा करना है, कोओप्रटिव सोसाइटीज़ वाले और कर्ज वाले उन के सिर पर सवार हो रहे हैं और इतना होने पर भी उनको गन्ने का दाम इतना भी नहीं मिलता है जितना सूखी लकड़ी का आज है । आज सूखी लकड़ी दो रुपया मन बिकती है और जो गन्ना है वह एक रुपया दस आना मन । मेरे एक माननीय दोस्त ने ठीक ही कहा है कि अजब स्थिति है कि टके सेर भाजी, टके सेर खाजा बिक रहा है । आज ये दोनों ही बराबर हैं ।

बहुत से फैक्ट्स सदन के सामने पेश किये गये हैं और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उन पर गौर करें । गन्ने के दाम अगर बढ़ें तो किसान ज्यादा खेती नहीं करेंगे । मेरी दसियों किसानों से बातचीत हुई है और उनसे मुझे पता चला है कि कोई किसान एक एकड़ में गन्ने की काश्त करता है,

कोई इससे भी कम में करता है। इस वास्ते यह बहाना बनाना कि गन्ने की खेती बढ़ जायगी, गलत है। अगर इतना होने पर भी आप समझते हैं कि वह बढ़ेगी तो आप इस पर लिमिट लगा सकते हैं, आप इस पर कोई प्रतिबन्ध लगा सकते हैं लेकिन उनके हक तो उनको मिलने चाहियें।

कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि गन्ने के दाम तो बढ़ें लेकिन चीनी के दाम नहीं बढ़ने चाहियें। अभी जो बिल आया था और जो कि पास हो चुका है उसमें कहा गया है कि पिछली चीनी जो रुकी हुई है, जोकि स्टाक के अन्दर मौजूद है, उसी के ऊपर उस बिल का असर पड़ता है, यानी उसी पर टैक्स लगेगा। लेकिन आगे जो चीनी आयेगी क्या उसका दाम भी कम करने आप जा रहे हैं, क्या ऐसा बिल भी ला रहे हैं कि आइंदा चीनी के दाम भी तय हो जायें, उसके दाम भी कम हो जायें? इसलिये मैं समझता हूं कि एक कमिशन मुकरर्र होना चाहिये जोकि यह पता लगाये कि गन्ने के उत्पादन पर क्या लागत आती है और साथ ही साथ वह चीनी की कीमत भी तय करे। अगर आपने ऐसा न किया तो इसका नतीजा यह होगा कि आपका समाजवाद का नारा धरा का धरा रह जायेगा, जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वे कागजों पर ही रह जायेंगी और दूसरी तरफ देश का आर्थिक ढांचा छिन्नभिन्न हो जायेगा और रात दिन झगड़े होते रहेंगे। इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का दोष नहीं होगा। मैं तथा मेरे दल के लोग भी यह नहीं चाहते हैं और न दूसरे दलों के लोग चाहते हैं कि हड़ताल हो लेकिन सरकार का जो रवैया है, वह भी बदलना चाहिये और जब वह लाठी और गोली पर उतर आती है तो उस वक्त उसका लाजिमी तौर पर जो नतीजा निकलता है, वह हमारे सामने आता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी आज एलान करें गन्ने के दाम बढ़ाने का ताकि किसानों में सन्तोष पैदा हो सके और अपनी तरफ से हम विश्वास दिलाते हैं कि केवल झगड़े के लिये झगड़ा नहीं होगा। हम यह चाहते हैं कि किसान को उसकी मेहनत का उचित फल मिले और उसको यह फल नहीं मिला तो इसमें कोई धमकी की बात नहीं, हमारे चाहने पर भी शांति स्थापित नहीं हो सकती। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी कोई उचित कदम उठायेंगे और गन्ने का भाव दो रुपया मन करन की घोषणा करेंगे।

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** (रामनाथपुरम्) : उपभोक्ताओं के हित की सामान्य रूप से अवहेलना की गई है। जब श्री जैन खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के मंत्री थे तो उन्होंने यह घोषणा की सारे भारत में चीनी का मूल्य एकसा रहेगा। उत्तर भारत में चीनी का उत्पादन मूल्य दक्षिण भारत की अपेक्षा अधिक है। दक्षिण भारत में चीनी का उत्पादन मूल्य १ रुपये ५ आना प्रतिविस है। लेकिन भारत सरकार द्वारा १ रुपया दस आना प्रतिविस समान मूल्य कर दिया गया। इससे भारत सरकार को तो कोई लाभ नहीं हुआ लेकिन मिल मालिकों को ४ से ५आना प्रतिविस का लाभ हो गया। मेरा निवेदन है कि इस चीनी (विशेष उत्पाद शुल्क) विधेयक को चीनी के मूल्य के अन्तर को ठीक करने के लिये जून अथवा जुलाई में ही लाना चाहिये था। सारे भारत में एक समान मूल्य का तो मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जब दक्षिण में चीनी सस्ते दामों पर उत्पादित होती है तो दक्षिण भारत के लोग उसे अधिक मूल्य पर क्यों खरीदें।

दूसरी बात यह है कि आजकल चीनी का वितरण भी लाभदायक नहीं है। लोगों को बड़ी असुविधा एवं कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वितरण की वर्तमान व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं है। लोगों को नियंत्रित मूल्य पर चीनी नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि मिलों के अभिकर्ता खुदरा व्यापारियों को चीनी ठीक तरह से नहीं देते। मेरा निवेदन है कि वितरण की व्यवस्था बदलनी चाहिये और खुदरा व्यापारियों को चीनी उनके घर पर मिलनी चाहिये जिससे मुख्यकार्यालय

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुब्बया अम्बलम्]

तक उनका आने जाने का खर्चा बच जाये। साथ ही सरकार को इस बात की भी व्यवस्था करनी चाहिये कि खुदरा व्यापारियों को कम से कम ६¹/₄ प्रतिशत का लाभ हो। सारे भारत में एक समान मूल्य रखने की नीति के फलस्वरूप मिल मालिकों को बहुत लाभ हुआ है। हम देखते हैं कि इन चीनी मिलों के शेयरों का मूल्य होने वाले अत्यधिक लाभ के परिणामस्वरूप पहले से ही ५० से ६० प्रतिशत तक बढ़ जाता है। अतः मेरा निवेदन है कि जहां उपभोक्ता को चीनी के मूल्य के लिये अधिक धन देना पड़ता है वहां सरकार को इस बात की भी व्यवस्था करनी चाहिये कि मिल मालिकों को अधिक लाभ न होकर वह सारी राशि सरकारी खजाने में आवे।

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़कर अन्य राज्यों में हम देखते हैं कि चीनी २ रुपये प्रति सेर के भाव से बिक रही है। प्रति वर्ष चीनी का मूल्य बढ़ रहा है। अन्य खाद्यान्नों की अपेक्षा गत वर्षों में चीनी का मूल्य बहुत अधिक बढ़ गया है।

यह भी देखने में आया है कि जब कभी किसी भी वस्तु का उत्पादन शुल्क बढ़ाया जाता है तो उसका प्रभाव उपभोक्ता पर पड़ता है। हालांकि माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है किन्तु फिर भी मुझे सन्देह है कि इसका प्रभाव निश्चय ही खुदरा बाजार पर पड़ेगा। अतः सरकार को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिये कि उपभोक्ता को चीनी उचित मूल्य पर मिले।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत): उपाध्यक्ष महोदय, इधर कई रोज से हम यह यत्न करते रहे हैं कि सरकार का ध्यान गन्ने के मसले की ओर दिला सकें और मुझे खुशी है कि कई रोज की मेहनत के बाद आपने आज मुझे यह मौका दिया है कि इस मसले पर यहां हाउस में गौर हो सके।

जहां तक गन्ने का सवाल है, गवर्नमेंट का भी ख्याल है और दूसरे लोगों का ख्याल है कि गन्ना देश में ज्यादा पैदा होता है मगर शायद उनको यह ख्याल नहीं है कि यहां इस देश में गन्ने की पैदावार सिर्फ क तिशत ही होती है और बाकी गल्ले का उत्पादन होता है। जिन इलाकों में गन्ना पैदा होता है वह उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे तराई के लाके हैं जहां कि गन्ने के अलावा और कोई चीज पैदा ही नहीं हो सकती। इसलिए गन्ने का मसला एक ऐसा मसला है कि किसानों को गन्ना बोना ही पड़ता है। इसकेअलावा गन्ना एक ऐसी क्रौप है जिससे कि दूसरी क्रौप्स की अपेक्षा ज्यादा पैसा मिलने की संभावना होती है, इससे कुछ अधिक आमदनी होने की उम्मीद रहती है। इसलिए गन्ने का जो सवाल है यह एक बहुत बड़ा सवाल है और कई वर्षों से बराबर हम सको ठीक से हल करने और चीनी अधिक पैदा करने की बात कहते रहे हैं। यह जो गन्ने का सवाल पैदा हुआ यह सबसे पहले सन् ५२ और ५३ में हुआ। उससे पहले गन्ने की माकूल कीमत मिल ी थी लेकिन इस साल ५२, ५३ में गन्ने की कीमत मिल गेट पर १ रुपये ५ आने और आउट स्टेशंस पर १ रुपये ३ आने कर ी। सन् ५२, ५३ के पहले यह फर्क नहीं था। सन् ४६, ४७ में चीनी का भाव था २० रुपये १४ आने मन और गन्ने की कीमत थी १ रुपये ४ आने मन फिर सन् ४७, ४८ में २ रुपये मन गन्ने का दाम था और चीनी का भाव उस समय ३५ पये मन था। हालांकि मिल मालिकों ने यह वायदा किया था कि वह शक्कर की कीमत २३ पये मन से ज्यादा नहीं करेंगे लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा कि चीनी की कीमत ३० रुप े से कभी कम नहीं हुई

†मूल अंग्रेजी म

बल्कि और ज्यादा ही होती रही लेकिन गन्ना उत्पादकों को बराबर मिल गेट पर १ रुपये ५ आने मन और आउट स्टेशंस पर १ रुपये ३ आने मन के हिसाब से मिलता रहा। अब गन्ना उत्पादकों और किसानों में चूंकि उनको उनकी उपज के मुनासिब और जायज दाम नहीं मिल रहे हैं इसलिये उनमें एक असंतोष है। यह खेद का विषय है कि सरकार का ध्यान बजाय किसानों के मिलमालिकों और पूंजीपतियों की ओर अधिक है। सरकार का ध्यान जो गन्ना उत्पादक हैं उनकी तरफ कम है। ऐसा हमें शुबहा होता है। इसकी पुष्टि स बात से हो जाती है कि सन् ५२, ५३ में जब चीनी का भाव ३० रुपय मन से कम नहीं हुआ था तो सरकार ने बाहर से करीब १०० करोड़ रुपये की चीनी मंगाई और वह २० रुपये मन के हिसाब से मंगाई गई लेकिन मुझे ताज्जुब है कि २० रुपये मन की चीनी होने के बावजूद भी वह हिन्दुस्तान में ३० रुपये मन से कभी कम नहीं हुई। इस तरह से इन चीनी के मिलमालिकों का शोषण बराबर जारी है।

उपाध्यक्ष महोदाय आपको यह सुन कर ताज्जुब होगा कि जब किसान पर कोई रकम वाजिब होती है लगान की तो उसके बैल कुर्क होते हैं उसका मकान कुर्क होता है और बीवी बच्चे तक कुर्क हो जाते हैं लेकिन ऐसी बहुत सी मिलें हैं, मेरी कांस्टीटुएंसी पीलीभीत में ही एक मिल है जिसको कि २०, २५ लाख रुपया दिया गया है। इसी तरह बरेली में एक मिल है उस पर करीब १५, १६ लाख पया वाजिब है लेकिन उनसे कुछ नहीं पूछा जाता। किसान हालांकि वे मिलों को गन्ना चुके हैं लेकिन उनको उसका पैसा नहीं मिलता है और और वे इस कारण बड़े परेशान हैं। उनकी क बात भी नहीं पूछी जाती है हांलांकि इस ऐक्ट के अन्दर यह प्राविजन् है कि मिलमालिकों को इसके लिए मजबूर किया जा सिकता है और उनका लाइसेंस तक कैंसिल किया जा सकता है। कानून में यह दिया हुआ है कि अगर चीनी के मिलमालिक गन्ने के दाम किसानों को अदा न करें तो उन पर कोअरसिव मेथड्स इस्तेमाल किये जा सकते हैं लेकिन हम देखते हैं कि उनके लिए कुछ नहीं किया जाता है और ससे स्पष्ट है कि सरकार की नीति जो है वह किसानोंके खिलाफ है और सरकार सरमायेदारों की मदद करती रही है और यह दुख का विषय है कि आज भी वही सरमायेदारों की मदद करने की पुरानी ीति बराबर जारी है।

जब सन् ४६, ४७ में गन्ने का भाव दो पये प्रतिमन था तो चीनी ३५ रुपये ७ आने मन थी लेकिन आज जब कि गन्ने के दाम नहीं बढ़ाये गये हैं तो चीनी खुले भाव ५० रुपये प्रतिमन बाजा ों में बिक रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कौनसा हिसाब है जिसकी कि रू से गन्ने की कीमत दो रूपये प्रति मन नहीं होनी चाहिए ? साफ का तकाजा है कि गवर्नमेंट को गन्ने की कीमत बढ़ाने के बारे में हमदर्दी से सोचना चाहिए।

अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा और गवर्नमेंट के लोग भी इस बात को कहते हैं कि गन्ने के बारे में सरकार ने कोई फीगर्स इकट् ा नहीं की हैं और सलिए सरकार यह नहीं जानती कि गन्ने की पैदावार में कितना पया सर्फ होता है और उसकी शकल क्या है। जैसा कि एक दोस्त ने सुझाव दिया मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट स सिलसिले में तहकीकात करे कि वाकई गन्ने की शरह क्या होनी चाहिए उसकी पैदावार के हिसाब से।

जहां तक सरकार को गन्ने से होने वाली आमदनी का सवाल है सरकार को उससे काफी आमदनी होती है। एक मन चीनी पर १० रुपये ११ आने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है और १ पये १४ आने विन्शयल सैस होता है। इसके अलावा साढ़े सात आने मन कोआपरेटिव

[श्री मोहन स्वरूप]

कमिशन दिया जाता है। इस तरह से कुल १३ पये और कुछ पैसे प्रतिमन चीनी पर सरकार को आमदनी होती है। इसके अलावा सरकार को खंडसारी का ड्यूटी से भी इनकम होती है। अलकोहल से भी उसकी आमदनी हो ी है। इसी तरह रेलवे फ्रेट के जरिए भी सरकार को आमदनी होती है। १ करोड़ मन शीरा उत्तरप्रदेश में हुआ था और उस से अलकोहल पैदा हो ा है और उससे भी सरकार को आमदनी हो ी है। सलिए सरकार को स बा में जरा इंसाफ से काम लेना चाहिए और यह देखना चाहिए कि गरीब गन्ने के काश्तकारों के साथ अन्याय न हो और उनको भी उनके गन्ने के मुनासिब दाम मिलें जहां हम चीनी के कंज्यूमर्स की बात सोच हैं, मिलमालिकों की बात सोचते हैं वहां हमारा फर्ज यह भी हो जाता है कि हम किसानों के हित की भी बात सोचें जो कि तन मेहनत करके गन्ना पैदा करते हैं जो कि गरमी, सर्दी, लू और धूप की पर्वाह न करके रात दिन खेतों में मशक्कत करते हैं। अब समय आ गया है जब सरकार को अधिक देरी न करके इस सा मसले पर विचार करके गन्ना उत्पादकों के साथ साफ करना चाहिए।

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: मैं इस बात का स्वागत करता हूँ कि सरकार को सदन के समक्ष यह सिद्ध करने का अवसर मिल रहा है कि हाल ही में गन्ने का जो मूल्य बढ़ाया गया है वह ठीक ही था। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि गन्ना उत्पादकों की संख्या बहुत अधिक है, सलिए मिल मालिकों के मुकाबले में सरकार को उनके हितों का अधिक ध्यान रखना चाहिए। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि सरकार की सहानुभूति निश्चित रूप में उत्पादकों के साथ है। परन्तु ऐसा होते हुये भी मिल मालिकों के हितों का ी ध्यान रखना ही होगा ताकि वे चीनी उत्पादन कर सकें। सके साथ दूसरी बात जिसका ध्यान रखना पड़ता है वह गन्ने के मुकाबले में अन्य फसलों की है। ीसरी बात जिसका ध्यान रखना बड़ा जरूरी है वह उपभोक्ताओं का हित है। न सबको सामने रख कर यदि देखा जाय तो पता चलेगा कि यदि किसी के साथ रियायत की गयी है तो वे गन्ना उत्पादक ही हैं। इसमें कोई सरकार की प्रतिष्ठा का कोई प्रश्न नहीं है। जैसा कि श्री बनर्जी ने कहा है। १९५३-५४ से यह प्रथा रही है कि गन्ने की फसल बोने के पहले ही यह घोषित कर दिया जाता है कि उत्पादकों को गन्ने का क्या दाम मिलेगा। इस बार भी फसल बोने से काफी पहले मई १९५९ में गन्ने की कीमतों की घोषणा कर दी गई थी।

गत वर्ष जब इस संबंध में आन्दोलन हुआ था तो इस बात पर विचार किया गया था। परन्तु अब एसा मालूम होता है कि कुछ राजनीतिक दलों के लिए यह वार्षिक धंधा बन गया है। दिसम्बर १९५८ में इस आन्दोलन तथा इससे संबंधित प्रश्नों के सभी अंगों पर मंत्रिमंडल में विचार हुआ था। सरकार का यही निश्चय था कि मूल्य १ रु० ७ आने से बढ़ाने का कोई कारण नजर नहीं आता, परन्तु फिर बाद में कई बातों का ध्यान करत हुए हमने कीमत १ रु० ७ आने से बढ़ा कर १ रु० १० आन कर दी।

कीमतें निर्धारित करने का पूर्ण इतिहास भी सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। गन्न की कीमतों को निर्धारित करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार ने १९५०-५१ में प्राप्त किया था। हमने उस समय १ रु० १२ आने कीमत निर्धारित की थी। यह कीमत १९५१-५२ तक चलती रही। इस बीच हम ने देखा कि अधिकाधिक भूमि पर गन्ने की खेती होने लग गयी। अतः सब बातों पर विचार करते हुए सरकार ने गन्ने का मूल्य इतना अधिक रखना ठीक नहीं समझा यह कीमत १९५२-५३ में कम कर के १ रु० ५ आ० कर दी। इस के बाद फिर गन्ने की खेती कम भूमि

†मूल अंग्रेजी में

में होने लगी । तो हमने १९५३-५४ में गन्ने की कीमत फिर बढ़ा कर १ ० ७ आने निर्धारित कर दी । तब से लेकर २५ अक्तूबर तक दाम यही रहे हैं।

इस के बाद कुछ और बातें भी इस दिशा में सामने आईं जिनका ध्यान रखना जरूरी था । उत्तर प्रदेश और बिहार के विधान मंडलों ने सिफारिश की कि ये कीमतें बढ़ा कर १ रु० १२ आने कर देनी चाहिएं । श्री वाजपेयी तो चाहते हैं कि कीमत २ रु० मन कर दी जाये ।

सब से पहले बिहार विधान सभा में यह मामला दिसम्बर १९५७ में आया और वहां यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि ये कीमतें बढ़ा कर १–१२–० कर देनी चाहिए । फिर भी सरकार को तो इस मामले में सब बातों का ध्यान रखना है । बिहार सरकार ने भी विधान सभा के इस प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार के पास भेजते हुए इस मामले पर विशेष जोर नहीं दिया । ठीक यही अवस्था उत्तर प्रदेश विधान सभा की है जिसने कि इस मामले पर प्रस्ताव पारित किया था और कहा कि इन मामलों पर किसी बोर्ड द्वारा विचार किया जाना चाहिये । परन्तु उसने कीमतों में वृद्धि करने की सिफारिश नहीं की थी । परन्तु जब मई १९५९ में न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया तो दोनों उपरोक्त विधान मंडलों ने सरकार से यह सिफारिश की कीमतों को बढ़ाना जरूरी है । साथ ही उन्होंने यह भी सिफारिश की कि यह बढ़ी हुई कीमत १–१२–० ही होनी चाहिए । परन्तु हमनें जब सारी बातों पर विचार किया तो इस परिणाम पर पहुंचे कि तीन आना प्रति मन से अधिक मूल्य बढ़ाना उचित नहीं । ऐसा करते हुए मनमानी नहीं की गयी प्रत्युत उत्पादकों के हित का ध्यान रख कर ऐसा किया गया है ।

ऐसा करते हुए उत्पादन की लागत का भी पूरा ध्यान रखा गया है । क्योंकि अन्य फसलों से इसका मुकाबला नहीं हो सकता, इसे तो हर हालत में उत्पादक को बेचना ही होता है । अतः यह बड़ी आवश्यक बात है कि उत्पादन के खर्चे का पूरा ध्यान रख कर ही न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाय । १९५४-५५ से लेकर तीन वर्षों की उत्पादन लागत और अन्य सब व्यय मिला कर यह कीमत रु० १–०–६ प्रति मन फैलती है । हमने रेलवे स्टेशन पर दिये गये गन्ने की कीमत १ रुपया ५ आने निर्धारित की है और मिल के दरवाजे पर दिये गये माल की कीमत १ रुपये ७ आने प्रति मन निर्धारित की है । गन्ने की खेती का प्रकार देखते हुए यह सोचना शायद ठीक हो कि गन्ना उत्पादक काफी नफा ले रहे हैं । फिर भी सब कुछ सोचते हुये यह कहना कठिन है कि १–५–० प्रति मन अथवा १–७–० प्रतिमन की कीमत बहुत ही कम थी । यह इस लिए भी ठीक है कि इस प्रकार से मूल्य निर्धारित करने के पश्चात् हर साल अधिकाधिक भूमि में गन्ने की खेती की गयी है । गन्ना उत्पादक अपना माल चीनी मिलों को देते हैं अतः गन्ने की खेती का प्रति वर्ष विस्तार होता गया ।

हमारी जानकारी के अनुसार गन्ने की खेती काफी बढ़ रही है । गत बार हमारे सम्बन्ध मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि कीमतें बढ़ाने का कोई सवाल नहीं है इसलिए नहीं कि इस से अधिकाधिक भूमि में गन्ने की खेती होने लगगी । यदि गन्ना की खेती के अधीन भूमि बढ़ेगी तो थोड़ी ही बढ़ेगी । परन्तु हमें दूसरी फसलों का भी ध्यान रखना है और यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । यदि हम इन सब बातों की ओर समुचित ध्यान दें, तो इसी परिणाम पर पहुंचेंगे कि जो भी दाम निर्धारित किये गये हैं, वे उचित ही हैं ।

सभा को यह भी पता है कि उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार और पंजाब में ३० जुलाई १९५८ को गन्ने की कीमतें निर्धारित की गयी थीं । जब ये कीमतें निर्धारित की गयीं, तो उस से चीनी की कीमतें भी बढ़ने लग गयीं । हमने चीनी का दाम ३६ रु० प्रति मन निर्धारित किया था । और गन्ने

[श्री अ० म० थामस]

का दाम १/५/– और १/७/– प्रति मन। इस तरह सब खर्चे अथवा कर इत्यादि का व्यय निकाल कर मिल मालिकों को कुल २.४ प्रतिशत का नफा उपलब्ध हो सका। यह कहा गया है कि मिलों वाले बहुत अधिक नफा कमा रह हैं। यह ठीक हो सकता है, बम्बई और एक आध अन्य स्थानों की मिलों ने नफा कमाया भी। चीनी का मूल्य निश्चित करते समय गन्ने का मूल्य निश्चित करना चाहिए। उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार के कारखानों के लिए ३६ रुपये मन का मूल्य निर्धारित किया गया था उसके आधार पर मिल मालिकों का नफा २.७ प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ता।

निर्माण व्यय, निर्धारित अनुसूची के अनुसार फैलाया जाता है और उसके अनुसार गन्ने की कीमत में वृद्धि होने के कारण चीनी की कीमतों में १ रुपया ८५ नये पैसे प्रति मन की वृद्धि हो गयी।

कुछ माननीय सदस्यों का सुझाव था कि इस सारे प्रश्न को एक समिति के सुपु कर दिया जाय। परन्तु ऐसा आवश्यक नहीं समझा गया। वास्तव में चीनी के लागत व्यय के प्रश्न को प्रशुल्क आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसने भी अपने प्रतिवेदन में इसका समर्थन किया है, और यह प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है। यद्यपि इस समय प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों को प्रकट करने का अधिकार मुझे नहीं है परन्तु मैं इतना बताना चाहता हूं कि प्रशुल्क आयोग की भी इस मामले में सिफारिश यही है कि चीनी का ३६ रु० प्रति मन तथा गन्ने का १ रु० ५ आना अथवा १ रु० ७ आना प्रति मन दाम बिल्कुल उचित ही है।

मैं सदन को एक और महत्व पूर्ण बात बताना चाहता हूं जो कि किसी ने नहीं कही है। वह यह है कि हमने यह न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है, परन्तु हमने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि मिलों ने अधिक नफा कमाया तो जो मूल्य संबंध सूत्र हमने १९५८-५९ में निर्धारित किया था, उसके अनुसार उन्हें गन्ना उत्पादकों को अधिक मूल्य देना होगा। गत वर्षों में हमने काफी रकम अदा की है और इस दिशा में की गयी लाखों की अदायगी के आंकड़े मेरे पास विद्यमान हैं। कीमतों के सूत्र के पहले भी ऐसा किया जाना अनिवार्य था। १९५२-५३ में हमनें १०० लाख दिया, १९५३-५४ में ११३ लाख, १९५४-५५ में ७१ लाख, १९५५-५६, में ६२ लाख और १९५६-५७ में ८५ लाख दिया गया। यद्यपि इस सूत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कारखानों क लिये अदायगी की कुछ अधिक गुंजाइश नहीं होगी क्योंकि कारखानों में चीनी की कीमतें निर्धारित हैं। बम्बई और दक्षिण के कारखानों के लिये इस सूत्र के अन्तर्गत अदायगी करन की काफी गुंजाइश है। ये कारखाने गन्ना उत्पादकों को अधिक दाम देने में भी समर्थ हैं।

श्री वाजपेयी ने यह संशोधन दिया है कि गन्ने की कीमत २ रु० मन और बढ़ा दी जाये। इससे सारा हिसाब लगा कर चीनी की कीमत बहुत अधिक बढ़ जायेगी। इसके अतिरिक्त और भी कई एक बातों का ध्यान रखना है। हमने अनेक प्रकार की और भी रियायतें दी हैं। कीमतों के सूत्र के अन्तर्गत उत्पादन शुल्क में ५० प्रतिशत छट देने की बात भी कही गई है। परन्तु यह उस हालत में है जब कि मिलों का उत्पादन एक निश्चित मात्रा से अधिक हो। ये सब उत्पादन के लिये प्रेरणा देने के लिये है ताकि वे गुड़ और खांडसारी बनाने वालों के मुकाबले में अधिक ठहर सकें और गन्ना उत्पादकों के न्यूनतम मूल्य में कुछ वृद्धि हो जाये। अतः इन सब चीजों को एक साथ सामने रख कर ही निर्णय करना पड़ता है।

नवम्बर में चीनी उत्पादन का समय आरम्भ हो जाता है अतः इस समय उत्पादन का कोई अनुमान कर लेना समय से पूर्व ही होगा। परन्तु फिर भी हालात को देखते हुये मैं कह सकता हूं कि शायद गत वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष उत्पादन दुगुणा हो जाये। मेरी माननीय सदस्यों से अपील है कि उन्हें इस दिशा में किसी भी प्रकार के आन्दोलन को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार के लाभ की सम्भावना नहीं हो सकती। हो सकता है कि इससे उत्पादन को कुछ हानि ही हो। हड़ताल अथवा आन्दोलन का किसी भी ऐसी संस्था ने समर्थन नहीं किया जो कि गन्ना उत्पादकों की मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि संस्था कही जा सके। गन्ना उत्पादक संघ, प्रन्तीय गन्ना उत्पादक सहकारी संघ इत्यादि ने तो कोई नोटिस नहीं दिया है। राजनीतिक दलों का तो उल्लेख करना व्यर्थ है क्योंकि वे तो स्थिति का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। ये राजनीतिक नेता उन लोगों को रोकते हैं जो कारखानों में गन्ना देने जाते हैं। इस प्रकार गन्ना न मिलने के कारण कुछ कारखाने ही बन्द हो गये हैं। श्री खुशवक्तराय जी ने बताया कि ३३ कारखाने बन्द हो गये हैं, परन्तु मेरी जानकारी यह है कि उत्तर प्रदेश के ७० कारखानों में से इस समय केवल ९ ही बन्द हुये हैं। बिहार में भी आन्दोल न का प्रभाव केवल पांच कारखानों पर पड़ा है। आन्दोलन का प्रभाव बहुत अधिक कारखानों पर नहीं पड़ा है। परन्तु फिर भी मैं वह बात कहने का साहस करूंगा जो कि मैंने कल भी कही थी कि हड़ताल करना अच्छी बात नहीं है। उत्पादकों को इस बात के लिये जितनी शीघ्रता से सचेत कर दिया जाये (कि वे हड़ताल न करें) उतना हो अच्छा है। इस सम्बन्ध में और कई एक महत्वपूर्ण बातें प्रश्न काल अथवा अन्य अवसरों पर कही जा चुकी हैं। मैं गन्ने की कीमत को और बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री खुशवक्त राय: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ही गौर से माननीय मंत्री जी की स्पीच सुनी। पर उसके सुनने के बाद भी मेरा विश्वास यह है कि गन्ने की कीमत २ रु० मन होनी चाहिये। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे मैं अपनी राय बदलूं। उन्होंने सिर्फ एक एन्क्वायरी का जिक्र किया कि एक एन्क्वायरी हुई। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन फर्मों में वह एन्क्वायरी की गई उन में जो लेबरर्स शामिल हुए क्या वह बेगार करते थे कि १४ आ० ६ पाई की कीमत पर गन्ना पैदा हो गया। अभी मेरे मित्र श्री बनर्जी बोल रहे थे, उन्होंने दरख्वास्त की थी, मैं भी उस दरख्वास्त को दोहराना चाहता हूं कि सरकार को इसे अपने मान या प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये। अब शीघ्र ही गन्ने की कीमत १ रु० १२ आ० कर दिया जाय, उसके बाद जब भी जरूरी समझें कमिशन मुकर्रर कर दें। कमिशन जो भी कीमत बता देगा वह हम मान लेंगे। गन्ने की जो कीमत तय हुई है उसके बारे में मुझ से और मंत्री जी का पत्र व्यवहार हुआ है। मैं उन का पत्र पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। मैं ने पूछा था कि आप जो एक्साइज ड्यूटी लगाने जा रहे हैं उस का डिस्ट्रिब्यूशन कैसे होगा। माननीय मंत्री जी ने उस के जवाब में मुझे लिखा है कि गन्ना उत्पादकों को अतिरिक्त उत्पादन का लाभ अथवा उत्पाद शुल्क में छट अनिर्धारित तत्व हैं। छूट का लाभ पाने के लिये कारखानों को अपने हित में अधिक गन्ना अपने यहां मंगाने के लिये गन्ना उत्पादकों को अतिरिक्त मूल्य देना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि खुद पाटिल साहब का पत्र है। उन्होंने खुद माना है कि फैक्ट्री को गन्ने के दाम बढ़ा देने चाहियें। मैं चाहता हूं कि सरकार खुद इस की ताकीद करे। सरकार यह जानती है कि जो मिनिमम प्राइस मुकर्रर हो जाती है, उससे एक पैसा भी ज्यादा काश्तकार को नहीं मिलता है। इस लिये मैं अ-यक्ष महोदय के जरिये से मंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुझे दुख है कि हमारे खाद्य मंत्री इस समय मौजूद नहीं हैं वर्ना

[श्री खुशवक्त राय]

मैं उन से भी अपील करता कि गन्ने की कीमत अभी १ रु० १२ आ० मुकर्रर कर दी जाय उसके बाद कमिशन जैसा कहे वैसा किया जाय ।

†**श्री जाधव** (मालेगांव) : माननीय उपमंत्री ने बताया है कि अधिक एकड़ भूमि में खेती की जा रही है । कुछ दिन पूर्व यह भी बताया गया था कि प्रति एकड़ उत्पादन भी बढ़ा है । लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि जब चीनी मिलें भी छः और बढ़ गई है तो ऐसी स्थिति में चीनी कहां गई ।

†**श्री अ० म० थामस** : यह सच है कि अधिक एकड़ भूमि में गन्ने का उत्पादन हो रहा है । लेकिन इसके बावजूद भी उत्पादन कम हुआ है । क्योंकि मार्जीनल खेतों को उत्पादन के लिये अधिक लिया गया है । और उनका लेना भी उचित है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री वाजपेयी के स्थानापन्न प्रताव को सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री वाजपेयी का स्थानापन्न प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया ।

सभा में विभाजन हुआ;

पक्ष में ४३ और विपक्ष में १२३ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : चूंकि स्थानापन्न प्रस्ताव अस्वीकृत हो चुका है अतः मूल प्रस्ताव रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह सिर्फ़ चर्चा के लिये था ।

वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**श्री नारायणन्कुट्टि मेनन** (मुकुन्दपुरम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की उपलिब्धयां और सेवा की शर्तों सम्बन्धी जांच आयोग के प्रतिवेदन, तत्सम्बन्धी सरकारी संकल्प और वित्त मंत्री द्वारा ३० नवम्बर, १९५९ को सभा में दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है ।"

अगस्त १९५७ में जब कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल करने की सूचना दे दी थी और उन्हों ने हड़ताल करने का निश्चय कर लिया था तो अंत में सरकार ने निश्चय किया कि एक वेतन आयोग की नियुक्ति की जाये । लेकिन वेतन आयोग के सदस्यों के नाम जान कर लोगों को थोड़ी निराशा हुई क्योंकि वे लोग ऐसे थे जिन्हें न तो मजूरी निर्धारित करने से अथवा श्रम नीति से कोई सरोकार नहीं था जब कि प्रथम वेतन आयोग के सदस्यों के साथ यह बात लागू नहीं होती थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गत अधिवेशन में जब विरोधी सदस्यों की ओर से वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में संदेह प्रकट किया गया तो माननीय वित्त मंत्री ने आश्वासन देते हुये कहा था कि यह भी संभव हो सकता है कि वेतन आयोग कर्मचारियों के कुल वेतन में कुछ कमी भी कर दे । इस आयोग के प्रतिवेदन को पढ़ने के पश्चात् यह निश्चित हो गया कि उनकी भविश्यवाणी सही थी ।

प्रथम वेतन आयोग में एक श्रमिक नेता को सम्मिलित किया गया था । और उसके कारण उस आयोग द्वारा कुछ सिद्धान्तों की स्थापना की गई और कर्मचारियों के वेतन की सिफारिश भी की गई । लेकिन इस वर्तमान आयोग के सदस्यों की ओर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट हो जायेगा कि इसके दो सदस्य आई० सी० एस० थे जिन्होंने ऊंचा वेतन पाने वालों का हित ध्यान में रखा, एक कांग्रेसी सदस्य थे जिन्होंने कांग्रेस सरकार का हित देखा । दो अर्थशास्त्री थे जिन्होंने आर्थिक पहलु से इस स्थिति का अध्ययन किया । और उनके विचारों का कहीं-कहीं उल्लेख मिलता है । कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जिसने साधारण कर्मचारियों के हित को ध्यान में रख कर कार्य किया हो ।

इस आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य सन् १९५७ में फैले हुये उस असंतोष को समाप्त करना था जो उन दिनों २० लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों में व्याप्त था । सन् १९५३ से ही दूसरे वेतन आयोग की स्थापना करने की मांग की जा रही थी । इस वेतन आयोग की स्थापना इसलिये हुई थी कि लोगों के वेतन में वृद्धि होगी । यह आशा थी कि यह वेतन आयोग ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि को ध्यान में रख कर सारी स्थिति का सर्वेक्षण करेगा और कर्मचारियों के असंतोष को दूर करेगा । लेकिन इस आयोग के प्रतिवेदन को देखने के पश्चात् २० लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को ही निराश नहीं हुई है बल्कि अन्य वर्गों को भी इससे निराशा हुई है । केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को इससे कुछ मिला भी नहीं है बल्कि कुछ कर्मचारियों को तो हानि भी हुई है ।

पहिला वेतन आयोग १९४६ में नियुक्त हुआ था । उसने वेतन के ढांचे का अध्ययन किया और किसी निर्णय पर पहुंचा तथा कुछ सिफारिशें की तथा उन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया । उस आयोग की सब से महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि महंगाई भत्ता जीवन निर्वाह व्यय के अनुसार हो । लेकिन सरकार उस आयोग की इस सिफारिश को कार्यान्वित करने में असफल रही इसीलिये १९५२ और ५३ में यह मांग की गई कि वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाये और दूसरा वेतन आयोग नियुक्त किया जाये ।

प्रथम वेतन आयोग ने मजूरी का सिद्धान्त युद्धोत्तर काल में तैयार किया और उन्हीं दिनों औद्योगिक विवाद विधेयक पारित होने को था अतः उस अधिनियम के पारित होते ही देश के सभी औद्योगिक न्यायाधिकरणों ने वेतन इस आयोग के सिद्धान्त के अनुसार स्वीकार कर लिये ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में उद्योगों में ऊंचे वेतन की मांग की गई । दूसरे पंचवर्षीय योजना के शुरू में १५ वां अखिल भारतीय श्रम सम्मेलन हुआ जिसमें न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का नया सिद्धान्त स्वीकार किया गया । उस सम्मेलन में अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए श्रम मंत्री ने कहा था कि हमने यहां श्रमिकों की मांग और नियोजकों तथा सरकार के विचारों का अध्ययन किया है और इस समझौते पर पहुंचे है कि देश में निर्वाह मजूरी की धारणा के लिये यह एक नया सिद्धान्त होगा । इसी सिद्धान्त के आधार पर बहुत से न्यायाधिकरणों ने बहुत से स्थानों पर पंचाटों के फैसले किये । लेकिन सरकार ने उस सम्मेलन में पारित सिद्धान्त को कार्यान्वित नहीं किया और वह अपनी बात से पीछे हट गई । अतः मैं सरकार पर विश्वास हनन का दोष आरोपित करता हूं । भारत के वित्त मंत्री ने आयोग को

[श्री नारायणन् कुट्टि मनन]

भी यह लिख दिया सरकार उस सम्मेलन में पारित सिद्धान्त को मानने के लिये तैयार नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि अखिल भारतीय श्रम सम्मेलन का निर्णय भारत सरकार पर भी लागू होता है और सरकार उसे मानने के लिये बाध्य है। अतः सरकार का यह पक्षपातपूर्ण व्यवहार है कि औद्योगिक श्रमिकों को तो देने के लिये कुछ और कहती है और अपने आदमियों को कुछ और देती है। यह तो सरकार का नैतिक पतन है।

सरकार की शुरू से ही यह प्रवृत्ति रही है कि वह असलियत में इस झगड़े को निपटाना नहीं चाहती। हालांकि उसने वेतन आयोग की नियुक्ति भी हड़ताल को टालने की दृष्टि से की थी। वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की भी इसी दृष्टि से हुई कि सरकार की बात बनी रहे। इस आयोग के प्रतिवेदन को पढ़ने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि आयोग ने भारत के सामान्य व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं पर विचार तो किया है लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा है। ज्ञात होता है कि सरकार ने आयोग को बता दिया है कि औद्योगिक उत्पादन तथा कृषिजन्य उत्पादन में कमी हो रही है। वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं; और करारोपण की गुंजाइश नहीं है, घाटे के आयव्ययक की भी गुंजाइश नहीं है और न उधार लेने की ही बात है आदि आदि। अर्थात् दूसरे शब्दों में हम कहें कि सरकार ने आयोग से कह दिया कि कोई भी सिफारिश मत करो। इस प्रतिवेदन का सरसरी तौर से अध्ययन किया जाये तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि सरकार ने कहा है कि "हम और कुछ देने के लिये तैयार नहीं है।" अतः आयोग से सरकार का ऐसा कहना नैतिक पतन है। आयोग ने यह स्वीकार किया है कि एक व्यक्ति को प्रत्येक दिन के लिये २२०० कैलोरीज आवश्यक है जो कि जापान में एक सामान्य स्तर माना जाता है लेकिन आयोग ने डा० आया-कोयाडा की सिफारिश को कि एक मनुष्य को ३,००० कैलोरी प्रतिदिन चाहिये ठुकरा दिया है। अच्छे स्तर के लिये पहले बताई गई सभी बातों को आयोग ने अस्वीकार कर दिया है।

इस आयोग की सिफारिशों का प्रभाव दूरगामी होगा। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिये न्यूनतम वेतन निश्चित नहीं किया है। प्रथम आयोग ने महंगाई भत्ता बढ़ते हुए निर्वाह व्यय के अनुसार निश्चित किया था। लेकिन सरकार ने उस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया, और १९५२ में एक गैडगील समिति की नियुक्ति की। इस समिति ने सरकार की शरादत के आधार पर यह निर्णय दिया कि महंगाई भत्ते में कटौती की जाये और उसके कुछ भाग को वेतन में मिला दिया जाये। हर साल सरकार यह आश्वासन देती है कि चीजों के मूल्य कम होंगे क्योंकि औद्योगिक तथा कृषिजन्य उत्पादन बढ़ रहे हैं। इस आयोग ने भी इस स्थिति को ध्यान में नहीं रखा कि चीजों के मूल्य बढ़ने की प्रवृत्ति में है। हम देखते हैं कि जीवन निर्वाह व्यय ४.४ गुना बढ़ गया है। इस आयोग ने क्रम से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते के बारे में भी कुछ नहीं कहा है। अतः जब तक आयोग इस बारे में कोई दृढ़ सिफारिश न करे तब तक सरकार से कुछ भी मिलने की आशा नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि कर्मचारियों को सामान्य न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया गया है। इसकी सिफारिशों के परिणामस्वरूप कर्मचारी कई रूप में कुछ राशि खोयेंगे ही। हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। और सरकार कर्मचारियों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं कर रही है। हम देखते हैं कि इन सिफारिशों के परिणामस्वरूप डाक तार विभाग के कुछ कमचारी ९ से लेकर १६ रुपये प्रतिमास तक कम

वेतन पायेंगे। कहने को तो सरकार ५ रुपये बढ़ायेगी लेकिन दूसरी ओर चीजों के मूल्य बढ़ने के कारण उन्हें ७।।) रुपये अधिक देने पड़ेंगे।

भविष्य निधि में अनिवार्य कटौती की सिफारिश करके आयोग ने यह भुला दिया है कि कर्मचारियों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे कुछ भी कटौती करा सकें। कर्मचारियों ने अपनी भविष्य निधि से जो राशियां उधार ली हैं उनसे यह स्पष्ट हो जायेगा। अवकाश प्राप्ति पर मिलने वाली निवृत्ति वेतन में जो लाभ दिये गये हैं उनसे भी कर्मचारियों को कोई विशेष लाभ नहीं होगा क्योंकि अवकाश ग्रहण करने के पश्चात प्रायः लोग २ अथवा २।। वर्ष तक ही जीवित रहते हैं। अतः यह सुविधा भी भ्रम में डालने वाली है

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में आयोग ने कहा है कि ऐसी आशा है कि भविष्य में वस्तुओं के मूल्य नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दूसरी ओर ऊँचा वेतन पाने वालों की चर्चा करते समय आयोग ने कहा है कि इन लोगों का वेतन कम हो गया है क्योंकि वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं। अतः इनके वेतन के लिये कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की जा रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आयोग की यह सिफारिश परस्पर विरोधी है। तथा १५वें अखिल भारतीय श्रम सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्ताव की विरोधी हैं।

अन्त में मैं प्रतिवेदन करना चाहूंगा कि इस कमी को दूर करने के लिये एक ही उपाय है और वह यह है कि सरकार इन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को बुलाये और उनसे इस विषय पर बातचीत करे। आयोग ने ठीक ही कहा है कि केन्द्रीय सरकार के ये २० लाख कर्मचारी विकास सम्बन्धी कार्यकलापों के अच्छे साधन हैं। अतः योजना के हित तथा देश के विकास सम्बन्धी कार्यवाहियों की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सरकार कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करे और जो कमियां रह गई हैं उनके बारे में सर्व सम्मत उपाय ढूंढ़े ताकि कर्मचारियों के प्रति किये गये अन्याय तथा कमियों की पूर्ति हो सके।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सरकार इसकी चर्चा के लिये और अधिक समय जुटाने में कठिनाई महसूस कर रही है। शनिवार को बैठक हो नहीं सकती। इसलिये अब केवल दो ही दिन—सोमवार और मंगलवार को—इसके लिये कुछ समय दिया जा सकता है। श्री नाथ पाई।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर): सरकार इसकी चर्चा के लिये अधिक समय नहीं देना चाहती। वित्त मंत्री इससे सम्बन्धित वाद-विवाद को आरम्भ भी नहीं करना चाहते। इतना ही नहीं, वित्त मंत्रालय के दो मंत्री भी इस समय अनुपस्थित हैं। इससे पता चलता है कि सरकार बीस लाख सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति कितनी गम्भीर है।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: वित्त मंत्री तो उपस्थित हैं। दो वरिष्ठ मंत्री यहां उपस्थित हैं। यदि चारों मंत्री उपस्थित होते, तो भी उत्तर तो एक ही मंत्री देते। इस तर्क में कोई सार नहीं है।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : यदि मैं भी उपस्थित न होता तब तो अवश्य ही गलत बात होती। लेकिन जब मैं उपस्थित हूं तब दूसरे मंत्रियों की अनुपस्थिति पर आपत्ति नहीं की जा सकती। मैं तो यही समझता हूं। और मैं आपको बता दूं कि उनमें से एक उपमंत्री

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

अस्वस्थ हैं और डाक्टरी आदेश के अनुसार, कार्यालय में नहीं आ रहे हैं। वह यहां नहीं आ सकते। इन सब बातों को जानते हुए भी ऐसे आरोप लगाये गये हैं। आरोपकर्ता को इस पर खेद प्रकट करना चाहिये। **(अन्तरबाधायें)**

†**श्री नाथ पाई** : मैं जानता हूं कि मुझे क्या कहना चाहिये। मैं ने आरोप तो कोई भी नहीं लगाया। मैंने तो यह कहा है कि इससे शायद उनकी गम्भीरता का पता चलता है। उपमंत्री की अस्वस्थता का मुझे दुःख है। मेरी कामना है कि वह शीघ्र ही स्वास्थ्य-लाभ करें।

तन आयोग की सिफारिशों का पता लोगों को समय से पहले चल गया था। इसका कारण यह नहीं था कि किसी पत्रकार ने पहले से उनका पता लगा कर सबको बता दिया हो। वास्तविक कारण यह था कि सरकार ने स्वयं ही एक ब योजनापूर्ण ढंग से उन सिफ़ारिशों की बातें समय से पहले कर्मचारियों तक पहुंचाई थीं। सरकार का उद्देश्य था कर्मचारियों को कड़वा घूंट पीने के लिय पहले से तैयार करना। सरकार की यही योजना थी।

२८ अक्तूबर के 'फ्री प्रेस जर्नल' में ये सिफारिशें बिलकुल इन्हीं शब्दों में प्रकाशित हुई थीं। इस तरह सरकारी कर्मचारियों को यह आघात सहने के लिये पहले से तैयार किया गया था। इसके पीछे एक पूर्व निश्चित योजना थी।

वेतन आयोग के सभी सदस्य बड़े सम्भ्रान्त और सम्माननीय व्यक्ति हैं। लेकिन बाइबिल में कहा गया है कि पेड़ के फल को देख कर ही उसके बारे में राय बनानी चाहि। इसलिये हमें आयोग की सिफारिशें ही देखनी चाहिये।

सरका ी कर्मचारी पिछले २८ महीनों से इस आयोग पर आशाभरी निगाहें लगाये हुये थे। और इतने लम्बे अर्से बाद जब सिफारिशें सामने आईं तो वे निराशा में डूब ग। सभी कर्मचारी हतोत्साहित हो गये हैं। वैसे, इन सिफारिशों में कुछ अच्छाइयां भी ह, जैसे कि अस्थायी कर्मचारियों को भी पेन्शनों का लाभ देना।

लेकिन कुल मिला कर आयोग का दृष्टिकोण यही मालूम पड़ता है, कि सरकारी कर्मचारियों को और ज्यादा कड़ा परिश्रम करना चाहिये पर उनको देने के लि आयोग के पास अधिक कुछ नहीं है। सरकारी कर्मचारियों का गौरव इसी बात में है कि वे आधे पेट रह कर मृत्यु के शिकार बन जायें। सिफारिशों से यही धुन निकलती है।

इसम सबसे पहली बात तो यह है कि वेतन आयोग अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है। आयोग के निर्देशपद में यह शामिल नहीं था कि वह सरकारी कर्मचारियों की उपलब्धियों में, पहले ही बहुत अपर्याप्त रहने वाली उपलब्धियों में कुछ कटौती कर सके। आयोग को सिर्फ यही काम सौंपा गया था कि उनको कितना और दिया जा सकता है।

लेकिन वेतन आयोग ने अपने सीमाधिकार का अतिक्रमण करके, योजना आयोग के कृत्यों को स्वयं पूरा करना चाहा है। नीति-निर्धारण का काम भी उसने अपने ऊपर ले लिया। और, इस प्रकार वेतन आयोग ने योजना आयोग और संसद् दोनों ही के कृत्य स्वयं ही करने

---

†मूल अंग्रजी में

चाहे हैं। वेतन आयोग का कृत्य केवल इतना ही था कि वह तीसरी और चौथी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के आमद-खर्च की जांच करे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

पर आयोग ने इसकी परवाह तक नहीं की। वेतन आयोग ने वित्त मंत्री तक के दायित्व को स्वयं ही निभाने की कोशिश की है; और वित्त मंत्री चुप हैं। वेतन आयोग ने पूरे देश का आय-व्ययक तैयार करने का प्रयास किया है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : खण्ड (२) से माननीय सदस्य की बात बिलकुल कट जाती है। माननीय सदस्य को वह पढ़ना चाहिये।

†**श्री नाथ पाई** : श्री मोरारजी देसाई ने ऋग्वेद विश्वामित्र के लहजे में कह दिया है--"इदं न मम"। यह प्रतिवेदन मेरा नहीं है। लेकिन मैं बताता हूं कि यह उनका ही है।

माननीय प्रधान मंत्री ने अप्रैल १९५० में संसद् में अपना एक वक्तव्य देते हुये कहा था कि उचित वेतन समिति की सिफारिशों के आधार उचित वेतन का सिद्धांत मानने के लिये सरकार वचनबद्ध है। उसके कुछ महीने बाद ही, उचित वेतन समिति की सिफारिशों के आधार पर एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया था। लेकिन अस्थाई संसद् भंग होने से वह विधेयक व्यपगत हो गया था।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : माननीय सदस्य शायद श्रम मंत्रणा बोर्ड के प्रतिवेदन का उल्लेख कर रहे हैं। वह तो उचित वेतन समिति के बहुत बाद बना था। मंत्रणा बोर्ड की सिफारिशों पर सरकार ने कभी विचार ही नहीं किया।

†**श्री नाथ पाई** : श्री मोरारजी देसाई की बात से, यह ज्यादा सही है। लेकिन उन दोनों में जिन सिद्धान्तों का निरूपण किया गया था वे वही हैं जिनसे आपके प्रधान मंत्री वचनबद्ध हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : पता नहीं मेरी उपस्थिति में भी, मेरी बात को ग़लत ढंग से क्यों पेश किया जा रहा है। मैंने उचित वेतन समिति का तो उल्लेख ही नहीं किया था। मैं उस समय भारत सरकार में नहीं आया था। मैंने सिर्फ़ उसी एक समिति का उल्लेख किया था, जिसकी कुछ बैठकों में मैंने भाग लिया था। उसी सिलसिले में, मैंने कहा था कि जिस समय वह संकल्प पारित हुआ था, मैं उस बैठक में उपस्थित नहीं था, और उसके पारित होने में मेरा कोई योग नहीं था। मैंने केवल इतना ही कहा था। पता नहीं माननीय सदस्य कहना क्या चाहते हैं। मैंने माननीय प्रधान मंत्री के वक्तव्य का प्रतिवाद किया ही नहीं। माननीय सदस्य ग़लत बयानी क्यों कर रहे हैं ?

†**श्री नाथ पाई** : मैं तो संवैधानिक दायित्व का मतलब यह समझता हूं कि लोक तंत्र में सरकार का संसदीय दायित्व सामूहिक रहता है और निरन्तर बना रहता है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : फिर माननीय सदस्य भ्रमक बात कह रहे हैं। मैंने प्रधान मंत्री के वक्तव्य का दायित्व लेने से तो इन्कार नहीं किया। वह अनिवार्य रूप से मेरा भी दायित्व है। चूंकि माननीय सदस्य पर ऐसा कोई बंधन नहीं है, इसलिये वे सभी को उससे मुक्त समझते हैं।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथ पाई** : सभी बन्धनों से मुक्त व्यक्ति को वेदों में योगी कहा गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपने विषय पर ही बोलें।

†**श्री नाथ पाई** : मैं कह रहा था कि वेतन आयोग की सिफारिशें बड़ी ही अपर्याप्त और निराशापूर्ण हैं। कर्मचारियों की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से वे अत्यंत ही निराशाजनक हैं।

मैंने श्री मोरारजी देसाई के कथन का उद्धरण इसीलिये दिया था कि वह वित्त मंत्री हैं। बड़ दुःख की बात है कि वह देश के वित्त मंत्री हो कर भी इसे सरकार का 'बोझ' बताते हैं। यदि असैनिक सेवाओं के कर्मचारी संतुष्ट और अनुशासन बद्ध हों, निष्ठापूर्ण हों, तो क्या देश की कोई हानि हो जायेगी? उन को देश का 'बोझ' बताना, एक बड़ी विचित्र सी बात है। इस सम्बन्ध में, उचित वेतन समिति ने अपनी सिफारिश में कहा था कि यदि सरकार चाहती है कि निजी क्षेत्र के न्यूनतम वतन एक निश्चित स्तर से नीचे न गिर पाये, तो उसे अपने सबसे निचली श्रेणियों के कर्मचारियों को भी उसी स्तर के वेतन देना चाहिये।

लेकिन आज क्या हो रहा है?. निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को जो वेतन मिल रहे हैं वे सरकारी कर्मचारियों के वेतनों की अपेक्षा कहीं ऊंचे हैं। जीवन बीमा निगम, रक्षित बैंक और राज्य बैंक में भी एक मैट्रिक पास क्लर्क का वेतन ९० पये से शुरू हो कर ३०० रुपये तक जाता है, जब कि सरकारी क्लर्क को ११० पये से शुरू करके ज्यादा से ज्यादा १८० रुपये तक दिये जाते हैं।

इसके विरुद्ध तर्क यह दिया जाता है कि इतना रुपया कहां से लाया जाये? इसके बारे में न्यायाधिपति राज्याध्यक्ष ने कहा था कि यदि कर्मचारी रखे जाते हैं तो अच्छी तरह से रखा जाना चाहिय, नहीं तो उनकी संख्या कम कर दी जानी चाहिये। उन्होंने कहा था कि विभाग कितना दे सकता है, उसकी क्षमता कितनी है, यह प्रश्न इस समस्या से संगत ही नहीं है। सरकार इस प्रकार का तर्क नहीं दे सकती।

सरकार कहती है कि इन सिफारिशों के मानने से उस पर १६ करोड़ रुपये का बोझ और बढ़ जायेगा। श्री मोरारजी देसाई का विभाग इन १६ करोड़ पयों के अधिकांश भाग को सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अपने ही पास रखेगा। इससे यह बोझ आधा रह जायेगा। साथ ही, वित्त मंत्री ने काम के घण्टे बढ़ाने और आकस्मिक तथा अर्जित छुट्टियों के प्रकार की छुट्टियों, और सार्वजनिक छुट्टियों तक में कमी करने की सिफारिश की है। और, इनको एक साथ रख कर हिसाब लगाया जाये, तो अब सरकारी कर्मचारियों को साल भर में पहले से ३१ दिन ज्यादा काम करना पड़ेगा। आस्ट्रिया जैसे देश में भी, जो समाजवादी होने का दावा तक नहीं करता, कर्मचारियों को १२ महीने के काम के लिये १४ महीनों का वेतन दिया जाता है।

सार्वजनिक छुट्टियों के बारे में अक्सर यही तर्क पेश किया जाता है कि हमारे देश में उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। शायद रही भी हो। लेकिन हमारे देश की सार्वजनिक छुट्टियों का मुकाबिला उन देशों की सार्वजनिक छुट्टियों से किया जाता है, जहां रहन-सहन की स्तर कहीं अच्छा है, वेतन कहीं ऊंचे हैं और जलवायु हमारे देश से बिलकुल भिन्न है। मैं मानता हूं कि ब्रिटेन में सार्वजनिक छुट्टियों की संख्या कम है, लेकिन वहां की काम की अन्य परिस्थितियों को भी तो देखिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा अनुरोध है कि काम की परिस्थितियों को देख कर ही सार्वजनिक छुट्टियों के प्रश्न पर विचार किया जाये ।

सरकार श्रम के मूल्य की तो कोई गणना करती ही नहीं। सभी प्रकार की छुट्टियों में कटौती करने से, सिर्फ रेलवे को जितने अतिरिक्त श्रम घंटे मिल जायेंगे, उससे रेलवे को लगभग २३ करोड़ रुपये का लाभ होगा। तब सोचिये कि जब सभी दो लाख सरकारी कर्मचारी बिना किसी अतिरिक्त वेतन के साल भर में ३१ दिन ज्यादा काम करेंगे तो सरकार को कुल कितना लाभ होगा ?

वेतन आयोग की इन सिफारिशों ने कर्मचारियों की पदोन्नति के बारे में भी जो सिद्धांत रखा है वह कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध है। इन सिफारिशों ने पदोन्नति संबंधी पहले की सारी नीति को काट दिया है। पहले चार बार इस समस्या पर चार प्रमुख निकायों ने विचार किया था और कुछ सिद्धांत पेश किये थे। लेकिन इस आयोग न उन सभी को उठाकर ताक में रख दिया है।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा को अनिवार्य बनाकर, रेलवे कर्मचारियों को अब तक मिलने वाली चिकित्सीय सुविधाओं को बन्द कर दिया गया है, और इससे कर्मचारियों पर बोझ बढ़ गया है। अब उन्हें आठ आने प्रति महीने देने पड़ेंगे, जबकि पहले बाजार से खरीदी गई दवाओं का पूरा मूल्य सरकार से मिल जाता था। कर्मचारियों के लिये आठ आने ही काफी पड़ जाते हैं।

मैं वेतन आयोग की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कर्मचारियों को बचत की आदत डालनी चाहिये। लेकिन जिनका पहले ही खर्च पूरा नहीं होता हो, उनसे बचत कराने का मतलब यही है कि वे अपने रहन सहन का स्तर और भी गिरायें।

दूसरा खतरनाक सिद्धांत यह रखा गया है कि भविष्य निधि में जमा किये रुपयों की ठीक वही राशि कर्मचारियों को उनकी सेवा की समाप्ति पर दे दी जायेगी। यानी यदि आज किसी के पांच रुपये भविष्य निधि में जमा किये जाते हैं तो २० साल बाद उसे पांच रुपये ही मिल जायेंगे। लेकिन बीस साल बाद रुपये का मूल्य कितना गिर जायेगा। आज भी हम पांच रुपयों से उतनी चीजें नहीं खरीद सकते जितनी कि १९३९ में खरीद सकते थे। और बीस साल बाद तो उन पांच रुपयों से आज के मुकाबिले एक-तिहाई वस्तुयें भी नहीं खरीदी जा सकेंगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों पर बोझ और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है।

भविष्य निधि की अनिवार्य योजना का असर यह होगा कि जिस कर्मचारी को अभी भत्तों सहित १०५ रुपये मिलते हैं, उसे भविष्य निधि काट कर अब कुल १०३ रुपये ही मिलेंगे। इसी तरह आज कुल ११९ रुपये पाने वाले को आगे से ११६ रुपये ही मिलेंगे। उसकी भविष्य निधि १० प्रतिशत के हिसाब से काटी जायेगी।

†**श्री जगजीवन राम** : दस प्रतिशत काटा जायेगा ? आपको ठीक ठीक पता नहीं है।

†**श्री नाथ पाई** : हर श्रेणी के लिये भविष्य निधि का दर अलग अलग है। मैंने इसीलिये एक निश्चित श्रेणी का उल्लेख किया है। माननीय मंत्री यदि इससे सहमत नहीं हैं, तो इसके विरुद्ध आंकड़े पेश करें।

†**श्री मोरारजी देसाई** : आंकड़े पेश किये जायेंगे, जिनको आप नहीं जानते।

†**श्री नाथ पाई** : अब सरकारी क्वार्टरों की समस्या लीजिये। अभी तक जिस कर्मचारी को कुल ११० रुपये मिलते थे, उसे ६ रुपये किराये में देने पड़ते थे, लेकिन अब ११ रुपये देने पड़ेंगे। वेतन और मंहगाई भत्ता मिला देने से, उसे यह नुकसान होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नाथ पाई]

बड़े दुःख की बात है कि वेतन आयोग ने सारी असैनिक सेवाओं को सुदृढ़ बनाने का एक अवसर खो दिया है। आयोग ने कहा है कि आचरण नियम बिलकुल सन्तोषप्रद हैं। क्या नियम ४क और ४ख सन्तोषप्रद हैं ? सरकारी कर्मचारी इनको हटवाने के लिये बरसों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। यानी यह कहना भी अपराध है कि "मैं भूखा हूं" ?

फिर मैं पूछता हूं कि सरकार ने आयोग की सभी सिफारिशों को स्वीकार क्यों नहीं किया ? सरकार ने अतिव्यस्कता की अवस्था ५८ नहीं मानी, ५५ ही रखी है। लेकिन यदि सरकार चाहेगी, दूसरे शब्दों में यदि मंत्रिगण चाहेंगे, तो कर्मचारी को तीन वर्ष के लिये और सेवा में रखा जायेगा। इससे पक्षपात और भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्रिगण जिस भी कर्मचारी से खुश होंगे, उसे तीन वर्ष और सेवा करने दी जायेगी। सरकार को ऐसी शक्ति नहीं दी जानी चाहिये। मंत्रियों के स्वयं विवेक पर इसे नहीं छोड़ा जाना चाहिये।

म माननीय गृह-कार्य मंत्री, वित्त मंत्री और रेलवे मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे अब भी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठें और उनकी बातें सुनें। आशा है कि माननीय गृह-कार्य मंत्री वेतन आयोग कि इस सिफारिश को स्वीकार कर लेंगे कि सभी के लिये एक सामान्य परिषद् बनाई जाये। माननीय मंत्रिगण सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मिलें और अनियमितताओं को दूर करें।

वेतन आयोग ने तो कर्मचारियों की आशाओं पर पानी फेर ही दिया है और अब यदि सरकार भी उनके लिये कुछ नहीं करती, तो इस सभा को सरकार से कहना चाहिये कि वह अपने कर्मचारियों के साथ न्याय करे। मध्य प्रदेश की घटनाओं से हमें कुछ सीखना चाहिये। इस समस्या पर सोचना चाहिये और सरकारी कर्मचारियों के साथ न्याय करना चाहिये। तभी हम कर्मचारियों को कार्यक्षम और निष्ठावान बना सकेंगे।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : वेतन आयोग का प्रतिवेदन देखकर मुझे यह कहावत याद पड़ी है : खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, और वह भी सड़ी गली सी। इस प्रतिवेदन का प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ेगा। मुझे सबसे बड़ी चिन्ता तो यह है कि इस प्रतिवेदन में सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं पर जिस दृष्टिकोण से विचार करने की कोशिश की गई, वह कार्मिक संघीय आंदोलन के मूल दृष्टिकोण से बिलकुल ही भिन्न है।

सब से पहली बात तो यह कि इस आयोग में कार्मिक संघों की ओर से एक भी व्यक्ति नहीं रखा गया। वरदाचारी आयोग में कार्मिक संघों का एक प्रतिनिधि रखा गया था। दूसरी चीज यह कि इस प्रतिवेदन में उचित वेतन की परिभाषा बड़े ही विचित्र ढंग से की गई है। वह पहले के तीनों आयोगों—१९१२ के इर्सलिंगटन आयोग, १९२३ के ली आयोग और वरदाचारी आयोग—की परिभाषा से भिन्न है। सरकार पहले ही यह सिद्धांत मान चुकी थी कि कर्मचारियों की कार्यक्षमता बनाये रखने के लिये जरूरी है कि उनको केवल निर्वाह वेतन के अलावा भी कुछ सुविधायें दी जानी चाहियें। इस आयोग ने इस सिद्धांत को धता बता दी है।

९३ प्रतिशत सरकारी कर्मचारी तीसरी और चौथी श्रेणियों के हैं। उनको इन सिफारिशों से कोई भी लाभ नहीं होगा। रेलवे के द्वितीय वर्ग के जिस एकाउन्टस् क्लर्क को अभी तक भत्ते वगैरह मिलाकर कुल १३७ रुपये मिलते थे, अब १४२ रुपये मिलेंगे। लेकिन पहले जहां उसके

---

†मूल अंग्रेजी में

७ रुपये २ आने भविष्य निधि में कटते थे, अब ९ रुपये ३ आने कटेंगे। इस प्रकार उसे हर महीने २ रुपये १५ आने कम मिलेंगे। और प्रथम ग्रेड के एकाउन्टस् क्लर्कों को हर महीने ४ रुपये १० आने अतिरिक्त मिलेंगे।

चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के अब तक ४ रुपये ३ आने भविष्य निधि के काट कर, कुल ८५ रुपये १३ आने मिलते थे, लेकिन अब इसके बाद ५ रुपये १३ आने भविष्य निधि के काट कर कुल ८९ रुपये ३ आने मिलेंगे, यानी ३ रुपये ६ आने अधिक।

लेकिन सभी को साल भर में ३१ दिन ज्यादा काम करना पड़ेगा।

डाक तथा तार विभाग के चौथी श्रेणी के चपरासियों वगैरह को कुल ७५ रुपये मिलते थे, और अब ८० रुपये मिलेंगे, लेकिन ५ रुपये भविष्य निधि में काट लिये जायेंगे। यानी मिलेगा कुछ भी नहीं। हां, ३५ रुपया बुनियादी वेतन पाने वालों को अवश्य ही ढाई रुपये का लाभ होगा।

डाकियों को भी कुछ नहीं मिलेगा। हां, ४७ रुपये बुनियादी वेतन पाने वालों को १ रुपया हर महीने ज्यादा मिलेगा, और ४६ रुपये पाने वालों को १ रुपया कम मिलेगा। बड़े डाकियों को हर महीने २ से लगाकर ४ रुपये हर महीने कम मिलेंगे।

डाक-तार विभाग के उन क्लर्कों को हर महीने २ से लगाकर ९ रुपये हर महीने कम मिलेंगे जिनको अभी ७० से लगाकर १७० रुपये तक मिलते हैं। नीचे के क्लर्कों को हर महीने ८ से लगाकर १९ रुपये तक कम मिला करेंगे।

इस वर्तमान आयोग ने उचित वेतन की उन सभी परिभाषाओं को ठुकरा दिया है जिनका निरुपण पहले के कई आयोग कर चुके थे।

हम पहले से मांग कर रहे थे कि कार्यक्षमता अवरोध (एफीशियन्सी बार) को हटा देना चाहिये। लेकिन इस आयोग ने उसे हटाने की बात तो दूर, उसे कायम रखने के साथ ही उसके बाद अधिक दर से होने वाली वेतन वृद्धि को भी हटा दिया है। आयोग ने इस सिद्धांत को स्वीकार ही नहीं किया है कि कार्यक्षमता अवरोध पार करने के बाद वेतन वृद्धि की दर बढ़ा दी जानी चाहिये। रेलवे में प्रथम वर्ग के एकाउन्टस् क्लर्कों को कार्यक्षमता अवरोध पार करने के पहले और उसके बाद भी ८ रुपये की दर से ही वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी।

आयोग के प्रतिवेदन में इस सिद्धांत के संबंध में भी कोई चर्चा नहीं की गई है कि मूल्यों को स्थिर रखने उनको स्थायित्व देने का दायित्व सरकार का है। यदि निर्धारित मुल्य का सिद्धान्त मान लिया जाता, तो कर्मसारियों को कोई कष्ट ही न रह जाता।

कर्मचारियों के वर्गीकरण के मामले में भी बड़ा घपला किया गया है; सभी मान्य सिद्धांतों को धता बता दी गई है। आयोग ने अपनी सिफारिशों की कार्यान्विति की तिथि १–७–५९ निश्चित की थी, लेकिन सरकार ने उसे मन माने ढंग से बदलकर १–११–५९ कर दिया है। इस प्रकार भी कर्मचारियों को ही घाटे में रखा गया है। इतना ही नहीं, सभी प्रकार की छुट्टियों में कटौती करके, सरकारी कर्मचारियों से देश के विकास के लिये, बिना किसी वेतन वृद्धि के, अधिक काम करने को कहा गया है।

[श्री नाथ पाई]

यह आयोग भानुमती के एक पिटारे की तरह बन गया था। लोगों को इससे बड़ी-बड़ी आशायें थीं। लेकिन जब उसे खोला गया उसमें से एक मरी मक्खी भी नहीं निकली। इसलिये सारे कर्मचारी अब व्यग्र हो उठ हैं, बौखला गये हैं। और बौखलाया हुआ आदमी सब कुछ कर सकता है। इसलिये सरकार को चेत जाना चाहिये और कर्मचारियों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देना चाहिये। हमारे देश, हमारी योजनाओं, और हमारी सरकार के भी हित में यही है।

†**अध्यक्ष महोदय**। यह चर्चा कल भी जारी रहेगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, १८ दिसम्बर, १९५९/२७ अग्रहायण, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[शुक्रवार, १७ दिसम्बर, १९५९
२६ अग्रहायण, १८८१ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. .	२७०१—२३
तारांकित प्रश्न संख्या		
९६८	सचिवों के साथ मंत्रियों के संबंध .	२७०१–०२
९६९	उच्चन्यायालयों में छुट्टियां और काम के घंटे	२७०२—०४
९७०	उड़ीसी ृत्य	२७०४–०५
९७१	जाली लाटरी व्यवसाय	२७०५–०६
९७२	ट्रकों और ट्रैक्टरों का निर्माण . . .	२७०७—०९
९७३	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर . . .	२७०९–१०
९७४	पलाना लिग्नाइट	२७११—१३
९७५	'डार्ट–६' विमान इंजनों का निर्माण . . .	२७१३–१४
९७६	केन्द्रीय युद्ध-सामग्री डिपो, छदेकी में खरीद में अनियमिततायें .	२७१४
९७७	अमृतसर के जलियांवाला बाग में राष्ट्रीय स्मारक . .	२७१४—१६
९७८	अन्डमान के लिये दांडिव नियम	२७१६–१७
९७९	केरल में शांति और व्यवस्था बनाये रखना . .	२७१७–१८
९८२	दिल्ली में सत्याग्रह	२७१८—२०
९८३	भूमि अधिग्रहण	२७२०
९८४	कलकता में चांदी परिशोधन का कारखाना . .	२७२१—२३
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . . .	२७२३—६२
तारांकित प्रश्न संख्या		
९८०	छोटे ट्रेक्टरों की बिक्री	२७२३–२४
९८१	पूंजी निर्गम	२७२४
९८५	शाहाबाद जिले में चूने के पत्थर के निक्षेप . . .	२७२४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
९८६	तीस हज़ारी भवन जांच समिति	२७२४–२५
९८७	हिन्दुस्तान स्टील लि० के उत्पादों का विक्रय	२७२५
९८८	विदेशों से शिक्षित इंजिनियरों का संवरण	२७२५
९८९	फैरो-मैंगनीज़ तथा फैरो-क्रोम	२७२६
९९०	टेक्निकल तथा वैज्ञानिक व्यक्ति	२७२६
९९१	त्रिपुरा के गैर-सरकारी प्राइमरी स्कूल	२७२६–२७
९९२	ब्रह्मकुमारी देवी विश्वविद्यालय	२७२७
९९३	जोरहाट स्थित प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला	२७२७
९९४	कालिदास स्मारक	२७२७–२८
९९५	निवेली लिग्नाइट परियोजना	२७२८
९९६	राष्ट्रीय नेताओं की पांडुलिपियों का संरक्षण	२७२८
९९७	घड़ियों का तस्कर व्यापार	२७२९
९९८	भूतपूर्व सैनिकों के निवृत्ति-वेतन	२७२९
९९९	मदुरै में हीरे	२७३०
१०००	वेतन-क्रम	२७३०
१००१	विधि आयोग का प्रतिवेदन	२७३०
१००२	गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता	२७३१
१००३	विदेशों में भारतीय वैज्ञानिक	२७३१
१००४	कानपुर में विश्वविद्यालय	२७३२
१००५	अपराध रोकने के लिये ब्यूरो	२७३२
१००६	श्री लेवी का प्रतिवेदन	२७३२–३३
१००७	अमरीकन डिग्री मिलें	२७३३
१००८	मध्य प्रदेश में संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्र	२७३३
१००९	कालिदास जयन्ती	२७३४
१०१०	डीजल तेल तथा मोटर स्प्रीट	२७३४
१०११	निर्वाचन व्यय	२७३४
१०१२	पेंशन के मामले	२७३५
१०१३	हेलीकाप्टरों की खरीद	२७३५
१०१४	देहरादून में अन्धों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र	२७३५–३६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१५८४	विदर्भ में बहुप्रयोजनीय स्कूल	२७३६
१५८५	अल्प बचत योजना	२७३६
१५८६	पंजाब में स्मारकों का सर्वेक्षण	२७३६
१५८७	शिक्षा के लिये विदेशों को सहायता	२७३७
१५८८	पंजाब में व्यय कर और सम्पत्ति कर	२७३७
१५८९	दिल्ली पॉलीटेक्नीक	२७३७
१५९०	कसौली और डग्शाई छावनियों को सहायक अनुदान	२७३८
१५९१	जीवन बीमा निगम की पंचवर्षीय योजना	२७३८-३९
१५९२	हिन्दी में निकाले गये सरकारी आदेश आदि	२७३९
१५९३	उड़ीसा में जनता कालेज	२७३९
१५९४	सब्जियों का परिरक्षण	२७४०
१५९५	उड़ीसा में खनिज	२७४०
१५९६	प्रविधिक प्रशिक्षण संस्था, तख्तपुर (उड़ीसा)	२७४०
१५९७	मंत्रालयों के कर्मचारियों में वृद्धि	२७४१
१५९८	विदेशी मुद्रा संबंधी विनियमों का उल्लंघन	२७४१
१५९९	तेल सर्वेक्षण	२७४१-४२
१६००	ग्राम्य संस्थायें	२७४२
१६०१	फ्रांसीसी सरकार द्वारा की गयी व्यावहारिक प्रशिक्षण संबंधी सुविधायें	२७४२
१६०२	जर्मन न विनियोजक	२७४२-४३
१६०३	कालेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों की भीड़-भाड़	२७४३
१६०४	आदिम जाति प्रविधिक संस्था, मनीपुर	२७४३
१६०५	लक्कदीव में प्राइमरी शिक्षा	२७४३-४४
१६०६	ताड़ी सहकारी समिति मंडल, केरल	२७४४
१६०७	दिल्ली में चिल्ड्रन्स होम	२७४४-४५
१६०८	रोहतांग दर्रे पर रज्जुपथ (रोपवे)	२७४५
१६०९	नियमित अस्थायी कर्मचारी वर्ग की सूची	२७४५
१६१०	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था	२७४५-४६
१६११	राजस्थान में पाकिस्तानी राष्ट्रजन	२७४६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

१६१२	उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में दक्षिण भारत की भाषा	२७४६
१६१३	केन्द्रीय एशियाई पुरातन वस्तु संग्रहालय, नई दिल्ली . .	२७४७
१६१४	दिल्ली निगम को रायल्टी की अदायगी . . .	२७४७
१६१५	अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की निर्वाचन न्यायाधिकरनों में नियुक्ति	२७४७–४८
१६१६	रॉक फैलर फंड	२७४८
१६१७	कृत्रिम वर्षा केन्द्र	२७४८
१६१८	बंगलौर में प्रतिरक्षा इलेक्ट्रोनिक्स कन्वैशन	२७४८–४९
१६१९	छावनियों में खेल के मैदान तथा पार्क .	२७४९
१६२०	सचिव समिति	२७४९
१६२१	अल्प बचत संग्रह	२७५०
१६२२	विदेशों को प्रेषण .	२७५०
१६२३	त्रिपुरा में संयुक्त पदाली योजना .	२७५०–५१
१६२४	अगरताला में विकास योजनयें .	२७५१
१६२५	आदिम जाति झूमिया लोगों का पुनर्वास	२७५१–५२
१६२६	प्राचीन स्मारकों का संरक्षण . . .	२७५२
१६२७	वार्धक्य प्राप्त सरकारी कर्मचारियों की सेवावधि बढ़ाना	२७५२
१६२८	दिल्ली में भूमि अर्जन .	२७५२–५३
१६२९	वैज्ञानिकों का केरल से प्र जन	२७५३
१६३०	भारत में विदेशी	२७५३–५४
१६३१	दिल्ली में भिखारियों का पुनर्वास . . .	२७५४
१६३२	दिल्ली में नगरीय क्षेत्र . .	२७५४
१६३३	इस्पात के कारखानों के लिये कच्चे माल की खरीद	२७५४–५५
१६३४	अस्पताल से शिशु का अपहरण . . .	२७५५
१६३५	राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा संस्थायें .	२७५५
१६३६	गढ़वाल में गोपेश्वर का मन्दिर . .	२७५५
१६३७	अफज़लगढ़ में भूतपूर्व सैनिकों की बस्ती	२७५६
१६३८	राष्ट्रीय ग्राम्य उच्चतर शिक्षा परिषद्	२७५६
१६३९	भारतीय प्रशासनिक सेवा की विशेष भर्ती	२७५७
१६४०	बैंक	२७५७–५८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६४१ बेसिक स्कूलों के अध्यापक २७५८

१६४२ पंजाब में हाई स्कूलों के अध्यापक . . . २७५८

१६४३ कांगड़ा और होशियारपुर जिलों में भूतपूर्व सैनिक . . २७५८

१६४४ हिमाचल प्रदेश में छात्रवृत्तियां . . . २७५९

१६४५ दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लिये संयुक्त आई० ए० एस० और आई० पी० एस० पदाली . . . २७५९

१६४६ सिविल सप्लाई और बिक्री कर विभाग २७५९

१६४७ भिलाई का इस्पात का कारखाना २७५९–६०

१६४८ पंजाब में आय कर की वसूली . २७६०

१६४९ हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय सेना-छात्र दल . . २७६०

१६५० दिल्ली में ब्रारी से कारोनेशन पिलर तक की सड़क २७६१

१६५१ कोलम्बो योजना की बैठक . . . २७६१

१६५२ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमिततायें २७६१–६२

निधन संबंधी उल्लेख २७६२

अध्यक्ष महोदय ने डा० बी० पट्टाभि सीतारामय्या के, जो भारत की संविधान सभा और अस्थायी संसद् के सदस्य थे, निधन का उल्लेख किया। इसके पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में एक मिनट तक मौन खड़े रहे।

विशेषाधिकार का प्रश्न २७६२–६३

अध्यक्ष महोदय ने विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा देने की योजना के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा सभा में नहीं अपितु बम्बई में की गई घोषणा के बारे में एक विशेषाधिकार का प्रश्न, जिसकी सूचना श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दी गई थी, उठाने की अनुमति नहीं दी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र २७६३–६५

(१) दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में लागू बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, १९४१ की धारा २६ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिल्ली बिक्री कर नियम, १९५१ में कुछ और संशोधन करने वाली दिल्ली गजट में प्रकाशित दिनांक २६ नवम्बर, १९५९ की अधिसूचना संख्या एफ० ४(५४)/५९—वित्त (ई) की एक प्रति।

सभा पटल पर रखे गये पत्र (क्रमशः) **विषय** **पृष्ठ**

(२) व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार के संविदाकारी पक्षों के २६ अक्तूबर से २१ नवम्बर, १९५९ के बीच टोकियो में हुये पन्द्रहवें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति।

(३) संविधान के अनुच्छेद ३२३ (१) के अन्तर्गत १ अप्रैल, १९५८ से ३१ मार्च, १९५९ तक की अवधि के लिये लोक सेवा आयोग के नवें प्रतिवेदन की एक प्रति।

(४) राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के संबंध में दिनांक ३१ जुलाई, १९५९ को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ख) के साथ पठित मद्रास मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम, १९३१ की धारा १७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या टी० वी० ४–३६००८/५८/पी० डब्ल्यू० की एक प्रति, जिसमें उक्त अधिनियम की अनुसूची २ में संशोधन का प्रारूप दिया हुआ है।

(५) राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के संबंध में जारी की गई दिनांक ३१ जुलाई, १९५९ की उद्घोषणा के खंड (ख) के साथ पठित केरल बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम, १९५८ की धारा ४३ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत केरल गजट में प्रकाशित केरल बाट तथा माप (प्रवर्तन) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रतिः—
(एक) दिनांक ७ जुलाई, १९५९ की संख्या १९६०३/ई१/५९/रेव०
(दो) दिनांक १२ जून, १९५९ की संख्या १४५८७/ई१/५९/रेव०
(तीन) दिनांक ११ अगस्त, १९५९ की संख्या २२५३७/ई१/५९/रेव०

(६) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ ख की उप-धारा (४) तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९५९ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रतिः—

(एक) दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १३२५।

(दो) दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १३२६।

(तीन) दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १३२७।

(चार) दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १३२९।

सभा पटल पर रखे गये पत्र (क्रमशः) **विषय** **पृष्ठ**

(पांच) दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १३३०।

(छै) दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १३३२।

(सात) दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १३३३।

(७) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १३३४।

(दो) दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १३३५।

(तीन) दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १३३६।

(चार) दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या १३३८।

राज्य सभा से सन्देश २७६५-६६

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने अपनी १४ दिसम्बर, १९५९ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २ दिसम्बर, १९५९ को पारित किये गये केरल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, १९५९ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना २७६६-६७

श्री केशव ने मैसूर में हुये युवक समारोह में विद्यार्थियों पर गोली चलाने तथा लाठीचार्ज की कथित घटना की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया।

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने उस संबंध में एक वक्तव्य दिया

समिति के लिये निर्वाचन २७६७-६८

श्री दासप्पा ने प्रस्ताव किया कि इस सभा के सदस्य श्री मथुरादास माथुर के स्थान पर, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, ३० अप्रैल, १९६० को समाप्त होने वाली शेष अवधि के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये, अपने में से एक सदस्य चुने। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विषय पृष्ठ

अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प—अस्वीकृत २७६८

श्री खुशवक्त राय ने राष्ट्रपति द्वारा २५-१०-५९ को प्रख्यापित चीनी (विशेष उत्पादन शुल्क) अध्यादेश, १९५९ (१९५९ का अध्यादेश संख्या ३) के अनुमोदन के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया। विचार के बाद संकल्प अस्वीकृत हुआ।

विधेयक—पारित २७६८-८१

(१) राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) ने प्रस्ताव किया कि चीनी (विशेष उत्पादन शुल्क) विधेयक, १९५९ पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड वार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ।

(२) उद्योग मत्री (श्री मनुभाई शाह) ने प्रस्ताव किया कि भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५९ पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड वार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ।

गन्ने और चीनी के मूल्य के बारे में प्रस्ताव . . . २७८२-२८०८

श्री खशवक्त राय ने कहा कि गन्ने और चीनी के मूल्य की वृद्धि के प्रश्न पर विचार किया जाये। श्री वाजपेयी ने उस पर एक स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री खुशवक्त राय ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। स्थानापन्न प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ और चर्चा समाप्त हुई।

वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव २८०८-१८

श्री नारायणनकुट्टि मेनन ने प्रस्ताव किया कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की उपलब्धियों और सेवा की शर्तों संबंधी जांच आयोग के प्रतिवेदन, तत्संबंधी सरकारी संकल्प और वित्त मंत्री द्वारा ३० नवम्बर, १९५९ को सभा में दिये गये वक्तव्य पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

शुक्रवार, १८ दिसम्बर, १९५९/२७ अग्रहायण, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि—

खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) संशोधन विधेयक और विवाहित स्त्रियों की सम्पत्ति (विस्तार) विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करना व उन्हे पारित करना; वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर अग्रेतर विचार, और गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प।